ISSN-0971-8397

योजना

मार्च 2017 विकास को समर्पित मासिक ₹ 30

विशेषांक

2017-18

केंद्रीय बजट 2017-18: व्यापक विश्लेषण
एन आर भानुमूर्ति
ए श्रीहरि नायडु

केंद्रीय बजट 2017-18: वित्तीय व्यवहार्यता
चरण सिंह

भारतीय अर्थव्यवस्था: एक पड़ताल
रवींद्र एच ढोलकिया

रोजगार और औद्योगिक विकास की दिशा
अरुप मित्रा

विशेष आलेख

नये अवतार में भारतीय रेल का बजट
अरुणेन्द्र कुमार

फोकस

अवसंरचना की मजबूती का बजट
कृष्ण देव

केंद्रीय बजट: आंकड़ों के आईने में

केंद्रीय बजट 2017-18

रुपया आता है

रुपया जाता है

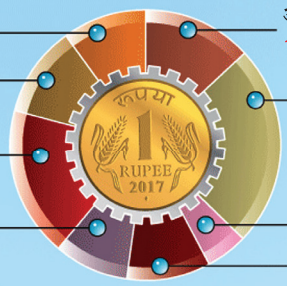

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज 2017-18

पीआईबी/केबीके

बजट का सार

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	2015-16 वास्तविक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 संशोधित अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	11,95,025	13,77,022	14,23,562	**15,15,771**
पूंजी प्राप्तियां	5,95,748	6,01,038	5,90,845	**6,30,964**
कुल प्राप्तियां	17,90,783	19,78,060	20,14,407	**21,46,735**
आयोजना व्यय	7,25,114	8,01,966	8,69,847	**9,45,078**
आयोजना-भिन्न व्यय	10,65,669	11,76,094	11,44,560	**12,01,657**
कुल व्यय	17,90,783	19,78,060	20,14,407	**21,46,735**
राजस्व घाटा	3,42,736	3,54,015	3,10,998	**3,21,163**
प्रभावी राजस्व घाटा	2,10,982	1,87,175	1,39,526	**1,25,813**
राजकोषीय घाटा	5,32,791	5,33,904	5,34,274	**5,46,532**
प्राथमिक घाटा	91,132	41,234	51,205	**23,454**

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज 2017-18

पीआईबी/केबीके

केंद्रीय बजट 2017-18 संबंधी ये सभी आंकड़े व ग्राफिक पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की वेबसाईट www.pib.nic.in से लिये गये हैं।

Allocation for Agriculture and Allied sectors

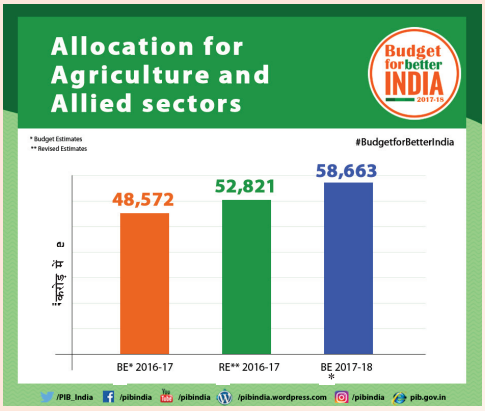

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन

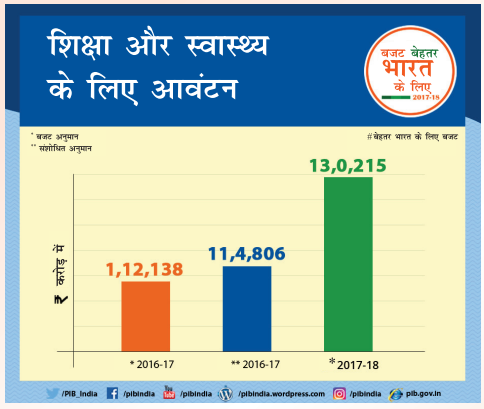

रोजगार सृजन, कौशल व आजीविका के लिए आवंटन

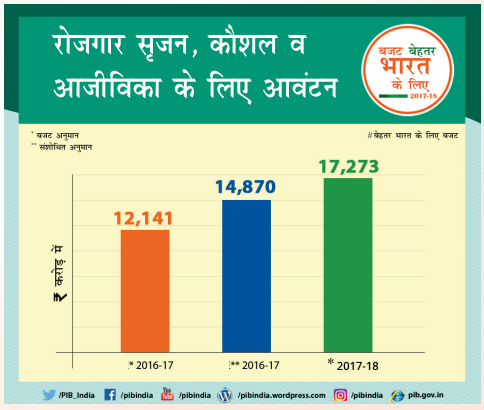

अवसंरचना क्षेत्रक के लिए आवंटन

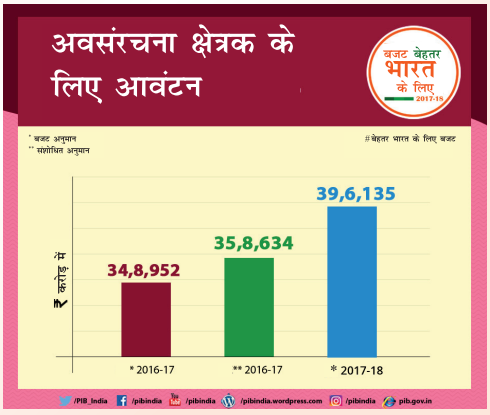

कल्याणोन्मुखी सामाजिक क्षेत्रकों के लिए आवंटन

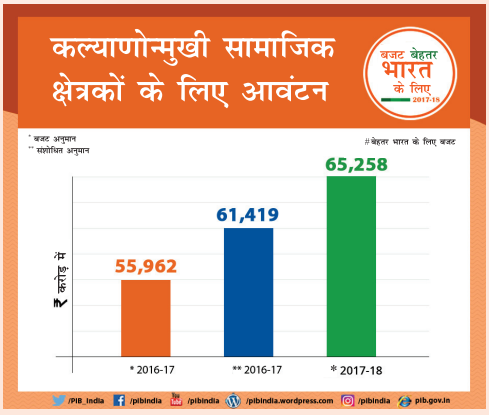

योजना

वर्ष:61 • अंक 03 • मार्च 2017 • फाल्गुन-चैत्र, शक संवत 1938-39 • कुल पृष्ठ:80

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

ईमेल: yojanahindi@gmail.com

वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह

(प्रसार एवं विज्ञापन)

ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: जी पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही www.publicationsdivision.nic.in तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- केंद्रीय बजट 2017-18: व्यापक विश्लेषण
  एन आर भानुमूर्ति, ए श्रीहरि नायडु 9
- केंद्रीय बजट 2017-18: वित्तीय व्यवहार्यता
  चरण सिंह..... 13
- विशेष आलेख
  नए अवतार में भारतीय रेल का बजट
  अरुणेन्द्र कुमार..... 19
- सुरक्षा व संरक्षा के साथ रेल का संतुलित विकास
  अरविंद कुमार सिंह..... 25
- भारतीय अर्थव्यवस्था: एक पड़ताल
  रवींद्र एच ढोलकिया..... 29
- फोकस
  अवसंरचना की मजबूती का बजट
  कृष्ण देव..... 33
- केंद्रीय बजट 2017-18: प्रमुख तथ्य 38
- रोजगार व औद्योगिक विकास की दिशा
  अरुप मित्रा..... 43
- प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर
  रहीस सिंह..... 47
- सतत विकास लक्ष्यों की ओर बजट
  उत्सव कुमार सिंह, सीमा..... 51
- विकास की गति बढ़ाएगा विज्ञान पर ध्यान
  मनीष मोहन गोरे..... 54
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कशमकश
  अरविन्द तोमर..... 59
- शिक्षा सुधार की दिशा में सजग प्रयास
  चंदन कुमार, प्रभांशु ओझा..... 63
- कौशल विकास से रोजगार की अपरिमित संभावनाएं
  आलोक कुमार..... 66
- क्या आप जानते हैं? 68
- सुदृढ़ पारिवारिक ढांचे की ओर बजटीय पहल
  ऋतु सारस्वत..... 69
- कमनगद समाज की नींव मजबूत करने वाला बजट
  राकेश बी चौरसिया..... 73
- बजट से कृषि एवं कृषकों का नियोजन
  लालकृष्ण मिश्रा..... 75

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

आपकी राय

आपदा प्रबंधन में जागरूकता

योजना का जनवरी अंक बहुत अच्छा लगा। आपदा प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसके विषय में बातें तो बहुत की जाती हैं परंतु जमीनी धरातल पर कुछ ठोस नहीं हो पाता। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी नीतियों को आमजनता तक पहुंचाया जाए। प्राकृतिक एवं मानवजन्य आपदाओं से बचाव व उनके प्रबंधन के लिए आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को इस विषय पर जागरूक बनाया जाए। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में तो इसे शामिल किया गया है और आपकी पत्रिका का यह अंक उन नवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योजना के सभी अंक बहुआयामी होते हैं। एक अच्छे अंक की बधाई स्वीकार करें।

–रजनीश कुमार त्रिवेदी, 9, सनराइज एन्क्लेव, फेज 2, डोहरा रोड, बरेली, उत्तर प्रदेश

आपदा प्रबंधन से संसाधनों का संरक्षण

आपदा प्रबंधन पर केंद्रित जनवरी, 2017 का अंक पढ़ा। अंक आपदा से संबंधित विभिन्न जानकारियों से परिपूर्ण रहा। आपदा नाम ही भय का निर्माण करता हैं। इससे लगता हैं कि यह जीवन के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न करने वाला कारक हैं। आपदा निरंतर घटित होने वाली एक वैश्विक समस्या हैं। यह कभी प्राकृतिक तो कभी कृत्रिम होती हैं। हम आपदा को आने से तो रोक नहीं सकते, परंतु उससे होने वाले नुकसान को कम अवश्य कर सकते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आपदाओं का वर्गीकरण पांच वर्गों में किया हैं– 1) जल तथा जलवायु संबंधी आपदाएं, जिसमें सूखा, बाढ़, सुनामी, मृदा अपरदन आदि को शामिल किया गया हैं। 2) भूविज्ञान संबंधी आपदाएं, जिसमे भूस्खलन, भूकंप, बांधों के टूटने को शामिल किया गया हैं। 3) औद्योगिक आपदाएं, जिसे तीन श्रेणियों –नाभिकीय, रासायनिक और खनन दुर्घटनाओं में बांटा गया हैं। 4) दुर्घटना संबंधी आपदा, जैसे रेल, सड़क, नावों का जलमग्न होना। 5) जीवन संबंधी आपदाएं, जिसके अंतर्गत महामारी, भोजन विषाक्तता को रखा गया हैं।

सरकार ने आपदाओं से राहत एवं बचावों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का गठन किया हैं, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर रूप में कर रही हैं। भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की दिशा में कदम उठा रही हैं। वर्ष 2005 में भारत ने जापान के कोबे शहर में आयोजित सम्मलेन में ह्युगो संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके तीन सामरिक उद्देश्य थे – प्रथम, आपदा प्रबंधन के लिए उठाएं गए कदमों को सरकार के सतत विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना। दूसरा,आपदाओं के प्रति विकसित करने के लिए संस्थानों की स्थापना करना, तथा, तीसरा, आपदा प्रबंधन को आपदा कार्यक्रमों के साथ सम्मिलित करना। वर्ष 2015 में ह्युगो संधि की अवधि समाप्त हो गयी तथा इसका विस्तार जापान के सेंदई शहर में आयोजित 'सेंदई संधि' के माध्यम से किया गया हैं। इस संधि में राज्य की भूमिका पर बल देने के साथ-साथ प्रवणता को न्यूनतम करने की बात कही गयी हैं। वर्ष 2030 तक कार्यान्वित इस संधि के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निजी कंपनियों व स्थानीय समुदायों की मदद ली जानी चाहिए। अंत में

आपदा आती हैं, समस्या बढ़ाती हैं,
सब कुछ तहस-नहस कर जाती हैं।
हम करें आपदा का बेहतर प्रबंधन,
जिससे हो सके संसाधनों का संरक्षण।।

–अमित कुमार गुप्ता, रामपुर नौसहन, हाजीपुर, वैशाली, बिहार

आपदा प्रबंधन पर बेहतरीन जानकारी

जनवरी 2017 का अंक आपदा प्रबंधन पर केंद्रित था। जिसके परिप्रेक्ष्य में 'संपादकीय विवरण' पूरे अंक का यथार्थ प्रस्तुत करता है। अंक में 'सेंदई फ्रेमवर्क' पर भि प्रकाश डाजला गया है। जो आपदा प्रबंधन के दिशा में किये जा रहे प्रयासो कि बारे में जानकारी देता है। विषय केंद्र में रहा। मानव

जनित एवं प्राकृतिक प्रतिक्रिया ही 'आपदा' है। 'आपदा प्रबंधन' आने वाली आपदाओं का उचित प्रबंधन करने से है। जहाँ 'रासयनिक दुर्घटनाएं: समाधान, राहत एवं प्रबंधन' बहुत प्रभावशाली आलेख है वहीं धीप्रज्ञ द्विवेदी जी भारत में आपदा प्रबंधन का बेहतर 'परिदृश्य' प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही 'प्रकृति एवं इंसान के बीच संघर्ष' आलेख भी चिंतनयुक्त है। 'चाणक्य की दृष्टि में आपदा प्रबंधन' आलेख प्राचीन ज्ञान से परिचय कराता है।

-देवेश त्रिपाठी,
प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग,
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

कमनगदी पर बेहतर कदम

फरवरी 2017 का अंक जो 'कमनगद अर्थव्यवस्था' पर केंद्रित है, उसमें श्री अरुण जेटली जी का आलेख 'विमुद्रीकरण- एक नजर में' बहुत सी सकारात्मक जानकारी समेटे हुए है। स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कदम के तौर पर विमुद्रीकरण और वित्तीय लेन-देन के डिजिटीकरण की सही शुरुआत है। एस वाई कुरैशी जी के लेख 'चुनाव पर प्रभाव' ने वित्तीय गोरखधंधे की पोल खोल दी है। डिजिटल और इंटरनेट आधारित बैंकिंग तथा लेन-देन में सावधानी और उसकी प्रक्रिया को अच्छे से समझाया है प्रो. वी एम मेहत्रे ने। कॉलम 'क्या आप जानते हैं' में विधि मान्य मुद्रा रोचक लगी। 'सामाजिक विनिमय' में समाज के लोगों को एक जुट होने की व्यवस्था का वर्णन किया और आदि काल से अब तक की अर्थव्यवस्था में लेन-देन की प्रक्रिया और प्रभाव को आधार सहित दर्शाया, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्द्धक है। ऋग्वेद, रामायण, सहित विश्व के देशों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वर्ण की भरमार होने और 'सोने की चिड़िया' कहलाने की गौरवगाथा भी है। संपूर्ण जानकारी समेटे 'योजना' एक धरोहर है शिक्षार्थियों और समाज के लिए।

आगामी अंक 'केंद्रीय बजट 2017' विशेषांक की प्रतीक्षा में,

-प्रशांत कुमार, प्रभात कॉलोनी,
पूर्णिया, बिहार

योजना
आगामी अंक
अप्रैल 2017
श्रमिक कल्याण

SARVODAYA IAS
सामान्य अध्ययन
भारतीय अर्थव्यवस्था
Pre-cum-Mains

A.K. Arun
Fee @ 9500 only
कक्षा जारी
9:30 am
216, Second Floor, Virat Bhawan, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi
011- 47015843, 9015155888, 8750918899

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think DRISHTI

प्रारंभिक परीक्षा–2017 के लिये

दृष्टि पब्लिकेशन्स

का एक और उपहार

प्रमुख आकर्षण

- परीक्षा में करेंट अफेयर्स की बढ़ती भूमिका को देखते हुए पिछले साल भर की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संकलन।
- सभी घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण जिससे इन्हें तैयार करना बिल्कुल आसान।
- विश्वसनीय स्रोतों एवं वेबसाइटों से संपूर्ण सामग्री का सत्यापन।
- अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का संकलन।

आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर शीघ्र उपलब्ध

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

संपादकीय

बेहतर भारत के लिए बजट

इस वर्ष का बजट ढेरों अनिश्चितताओं के बीच पेश किया गया। विमुद्रीकरण अभियान, कुछ समय बाद होने वाले जीएसटी के क्रियान्वयन और अमेरिका में नयी सरकार आदि ने समूची कवायद को बहुत चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस वर्ष का बजट ऐतिहासिक रहा क्योंकि फरवरी के अंतिम दिन पेश होने की दशकों पुरानी परंपरा उसने तोड़ दी, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया तथा नियोजित एवं गैर-नियोजित व्यय का वर्गीकरण भी समाप्त कर दिया गया।

विमुद्रीकरण के उपरांत अमीरों और गरीबों ने जो कठिनाइयां सहन कीं, उसके बाद यह अपेक्षा की जा रही थी कि जनता को प्रसन्न करने के लिए बजट में कुछ तोहफे दिए जाएंगे। हालांकि बजट में सरकार की गरीबों, ग्रामीणों तथा किसानों के अनुकूल प्राथमिकताएं जारी रहीं और आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए दीर्घकालिक एजेंडा पर ध्यान केंद्रित रखा गया है। भारत का *कायाकल्प करने, ऊर्जा प्रदान करने एवं स्वच्छ करने* का उद्देश्य होने के कारण बजट में बहुमुखी रुख अपनाया गया है और ग्रामीण विकास, कृषि, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, विनिर्माण एवं रोजगार सृजन पर पर्याप्त जोर देते हुए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है।

किसानों तथा ग्रामीण जनता को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखे जाने के कारण भारतीय किसानों की आय पांच वर्ष में दोगुनी करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गयी है। कृषि ऋण आवंटन बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। किसान को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना* के अंतर्गत लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है तथा फसल क्षेत्र का 40 प्रतिशत बीमा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार दीर्घावधि सिंचाई कोष के अंतर्गत राशि को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ग्रामीण रोजगार को बल देने एवं ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के इरादे से युवाओं की बड़ी आबादी को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की गयी है। भारत की प्रमुख रोजगार सृजन योजना *मनरेगा* को 48,000 करोड़ रुपये के साथ अब तक का सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। 300 से अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ *स्वयं* को आरंभ करने एवं *संकल्प* के अंतर्गत युवाओं को बाजारोन्मुखी कौशलों का प्रशिक्षण देने हेतु 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किए जाने का लक्ष्य भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना है। मिशन *अंत्योदय* में 1 करोड़ लोगों तथा 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से बाहर निकालने का प्रस्ताव है।

मई, 2018 तक 100 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने, खुले में शौच से मुक्त गांवों को प्राथमिकता के साथ पाइप के जरिये जल देने और *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* के अंतर्गत गांवों की जीवन रेखा सरीखी ग्रामीण सड़कों के निर्माण की रफ्तार बढ़ाकर 133 किलोमीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने जैसे लक्ष्य तय करना इस बात के प्रमाण हैं कि ग्रामीण विकास पर सरकार का ध्यान कितना बढ़ा है।

मजबूत बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास का आधार होता है, इसलिए 3.96 लाख करोड़ रुपये के अभी तक के सर्वाधिक आवंटन के साथ इस पर ध्यान दिया जाना एकदम उचित है। रेलवे के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन भी अभी तक की सर्वाधिक राशि है, जिसमें यात्री सुरक्षा, स्वच्छता एवं विकास कार्यों को केंद्र में रखा गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र को ऊर्जा देने के इरादे से आवासीय क्षेत्र को *बुनियादी ढांचे* का दर्जा दे दिया गया है।

निवेश को प्रोत्साहित करने एवं कारोबार करने की सुगमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। चूंकि अब 90 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीधे आ जाता है, इसलिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को भंग करने का निर्णय लिया गया है। छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गयी है।

भारतनेट के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन, आधार-पे की शुरुआत, साइबर सुरक्षा की चिंता दूर करने के लिए विशेष कार्य बल के गठन से देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के सरकार के संकल्प का एक बार फिर पता चलता है।

कालेधन पर अंकुश लगाने तथा राजनीतिक तंत्र को स्वच्छ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह निश्चित किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति से अधिकतम 2,000 रुपये नकद चंदा ही ले सकता है। इससे अधिक चंदा चेक अथवा डिजिटल भुगतान अथवा चुनावी बॉण्ड के जरिये ही लिया जा सकता है। कुल मिलाकर 2017-18 के बजट में अधिक पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार घटाने और अधिक आर्थिक वृद्धि करने की सरकार की इच्छा को दोहराया गया है तथा इसमें हर व्यक्ति को प्रसन्नता दिलाने के उपाय किए गए हैं। ❑

आपके अघोषित खाते या जमा नकदी हमसे छिपे नहीं हैं!

"वंचित वर्गों की सहायता करने में आपका भी भला है!"

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016

में अपनी अघोषित आय निवेश करें

घोषित की गई धनराशि का प्रयोग वंचित वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाएगा

मुख्य विशेषताएं

- कोई भी व्यक्ति नकद के रूप में या बैंक अथवा डाकघर अथवा किसी विनिर्दिष्ट संस्था के खाते में जमा राशि के रूप में अघोषित आय की घोषणा कर सकता है।*
- अघोषित आय के कुल **49.90%** का कर, सरचार्ज तथा शास्ति के रूप में भुगतान करें।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में अघोषित आय का **25%** अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।
- जमा राशि ब्याज रहित होगी और चार वर्ष के लिए लॉक-इन रहेगी।

घोषणा करने की विधि

- घोषणा **https://incometaxindiaefiling.gov.in** पर **ऑनलाइन** दाखिल की जा सकती है अथवा इस योजना के अंतर्गत कर आदि के भुगतान तथा इस योजना में जमा के प्रमाण के साथ आधिकारिक प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त को **प्रिंट** फार्म में प्रस्तुत की जा सकती है।

उन्मुक्ति

- सम्पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत घोषित आय, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन करयोग्य नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत की गई घोषणा के संबंध में उन्मुक्ति इस योजना की धारा 199-0 में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य सभी अधिनियमों के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

यह योजना

31 मार्च, 2017

तक लागू है

* ऐसी अघोषित आय की घोषणा न करने से शास्ति और अभियोजन सहित 77.25% की दर से कर, सरचार्ज और सेस लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण हेतु कृपया देखें:
सी.बी.डी.टी. सर्कुलर सं.2/2017
दिनांक. 18.01.2017 (एफ.ए.क्यूज)
जो उपलब्ध है : www.incometaxindia.gov.in
अधिक जानकारी के लिए : ts.mapwal@nic.in पर ई-मेल करे

आयकर विभाग

davp 15401/13/0290/1617

केंद्रीय बजट 2017-18: व्यापक विश्लेषण

एन आर भानुमूर्ति
ए श्रीहरि नायडु

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 4,814 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 2016-17 की अवधि में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया जोकि वर्ष 2011-2014 के दौरान औसत 73 किलोमीटर के निर्माण से काफी अधिक है। इस वर्ष के बजट में इस योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। रेलवे के विस्तार के लिए भी बजट में 55,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। परिवहन के क्षेत्र के लिए बजट में 2.41 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि परिवहन क्षेत्र के विस्तार के साथ विकास की बहाली संभव है। चूंकि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है और यह दूसरे क्षेत्रों के साथ भी जुड़ा हुआ है

संविधान के अनुच्छेद 112,113,114 (3) और 110 (क) के तहत बजट बनाना भारत सरकार का एक दायित्व है। हम भले ही एक प्रस्तावित तुलना पत्र मानते हों, लेकिन फिर भी वर्तमान सरकारें इसका इस्तेमाल प्रमुख नीतिगत फैसलों, विशेष रूप से कर प्रस्तावों की घोषणा करने के लिए करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस वार्षिक आयोजन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। इस साल भी इसमें तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले तो रेल बजट का विलय आम बजट के साथ कर दिया गया है। दूसरा, बजट को एक महीने पहले ही प्रस्तुत किया गया है और तीसरा, योजना एवं गैर-योजनागत व्यय को एक कर दिया गया है। इन परिवर्तनों के कारण वर्तमान बजट की तुलना पूर्व के बजट से करना मुश्किल है। हालांकि जिस संदर्भ में इसे प्रस्तुत किया है, उसे समझना महत्वपूर्ण है। बजट से पहले दो निर्णायक परिवर्तन हुए हैं- विमुद्रीकरण और जीएसटी विधेयक को पारित किया जाना। विश्व स्तर पर भी कई बदलाव हुए- अमेरिका और यूरोप में भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति मंद हुई, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और वैश्विक बहाली की गति धीमी हुई। इससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई है।

ऐसी अनिश्चितताओं के बीच बजट से बड़ी-बड़ी उम्मीदें लगायी गयीं। यह उम्मीद की गयी कि अर्थव्यवस्था की बहाली के साथ-साथ अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे। इस दौरान बजट को समझने के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के विश्लेषण का प्रयास किया गया। जैसा कि वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है, इस वर्ष के बजट का एजेंडा *टीईसी भारत* है, यानि ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज और क्लीन इंडिया।

मौजूदा रुझान

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) का अनुमान है कि वर्ष 2016-17 के दौरान भारत की जीडीपी की वृद्धि दर (अग्रिम अनुमान) 7.1 प्रतिशत से कम हो सकती है। हालांकि सीएसओ ने खुद कहा है कि इस अग्रिम अनुमान में विमुद्रीकरण के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है। अधिकतर विश्लेषकों का मानना है कि विमुद्रीकरण के कारण जीडीपी में 1 से 2 प्रतिशत की कमी हो सकती है। एक अनुमान यह भी है कि अच्छे मानसून के कारण कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। सेवा क्षेत्र में भी लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, पर औद्योगिक क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है (देखें तालिका -1)। दूसरी तरफ दिसंबर में सीपीआई पर आधारित महंगाई दर 3.4 प्रतिशत थी जोकि आरबीआई के अनुमानित लक्ष्य से कम है। व्यापार के क्षेत्र में निर्यात और आयात धीमा रहा। यह चिंता का विषय है। इसके साथ ही 2016-17 की पहली छमाही में चालू खाता घाटे में 0.3 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आयी, पर राजस्व में उछाल आया। इसी के आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2016-17 के बजट में सरकार राजकोषीय घाटे को 3.5 प्रतिशत पर रख सकती है।

एन आर भानुमूर्ति नयी दिल्ली स्थित एन आई पीएफपी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने इंस्टिट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ में भी एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवायें दी हैं। कुछ समय के लिए बैंकाक स्थित यूनेस्केप और कोलंबो स्थित यूएनडीपी आरसीसी में मेक्रो इकॉनॉमिस्ट भी रहे हैं। इसके अलावा एडीबी, विश्व बैंक, आईएलओ, नयी दिल्ली स्थित यूनेस्केप -एसएसडब्ल्यूए, भूटान स्थित यूएनडीपी, नेपाल स्थित यूएनडीपी, न्यूयार्क स्थित यूएनडेसा में सलाहकार रह चुके हैं। ईमेल: nrbmurthy@gmail.com
ए श्रीहरि नायडु नेशनल इस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) में अर्थशास्त्री हैं। वृहद अर्थशास्त्र, खुली अर्थव्यवस्था उनकी रुचि के क्षेत्र रहे हैं। ईमेल: shriharinaidua@gmail.com

तालिका 1: वृहद अर्थव्यवस्था के संकेतकों के हालिया रुझान

संकेतक/वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
मूल कीमत पर जीवीए (विकास दर)	5.4	6.3	7.1	7.2	7.1
जीएफसीएफ (विकास दर)	4.9	3.4	4.9	3.9	-0.2
सकल घरेलू बचत (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	33.8	33	33	-	-
कृषि (विकास दर)	1.5	4.2	-0.2	1.2	4.1
उद्योग (विकास दर)	3.6	5	5.9	7.4	5.2
सेवा क्षेत्र (विकास दर)	8.1	7.8	10.3	8.9	8.8
मुद्रास्फीति - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वार्षिक औसत)	10	9.4	5.8	4.9	3.41#
चालू खाते के घाटे (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	4.8	1.7	1.3	1.1	0.3*
निर्यात (विकास दर)	6.7	7.8	1.7	-5.2	2.2
आयात (विकास दर)	6	-8.2	0.8	-2.8	-3.8
राजस्व घाटा (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	3.7	3.2	2.9	2.5	2.3
राजकोषीय घाटा (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5

2016 की पहली छमाही का सीएडी, #दिसंबर 2016 के आंकड़े* ***स्रोत :* *आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17*

विमुद्रीकरण के बाद जमा राशि में वृद्धि के कारण बैंकों ने ऋण/जमा पर ब्याज दर में कटौती की है। ऋण मांग के बढ़ने से उच्च विकास की उम्मीद की जा रही है। वर्तमान में, निवेश (जीएफसीएफ) की नकारात्मक वृद्धि (-0.2 के साथ) चिंता का विषय है। सीएमआईई के आंकड़े भी बताते हैं कि विमुद्रीकरण के पहले और बाद के लगभग 50 दिनों में नए निवेश की परियोजनाओं में भी गिरावट हुई है। इस दौरान नये निवेश की 227 परियोजनाएं थीं, जिनकी संख्या 177 रह गयी है।

बजट का मुख्य आकर्षण

पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने दिवालिया कानून, लचीली मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण और मौद्रिक नीति समिति, आधार अधिनियम, जीएसटी आदि जैसे कई सुधार किए। इस वर्ष भी बजट में विभिन्न क्षेत्रों में कुछ और नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं।

पारंपरिक क्षेत्र

हमारे देश में किसानों से जुड़ी समस्याओं को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है- फसल पैदावार से पूर्व, पैदावार के समय और पैदावार के बाद। पैदावार से पहले किसानों को ऋण, उर्वरक और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पैदावार के समय सूखा या बाढ़ की स्थिति हो सकती है और इस दौरान पैदावार के लिए बीमा कवर की जरूरत होती है। पैदावार के बाद मार्केटिंग, कीमतों से जुड़े जोखिम और परिवहन जैसी समस्याएं आती हैं। किसानों के लिए सरकार ने पिछले वर्ष कई कार्यक्रम शुरू किए थे, जैसे भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनिंग। इसके बाद इस साल भूमि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, दीर्घकालिक और लघु सिंचाई कोष और ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसे कार्यक्रमों के बाद कृषि क्षेत्र में जोखिम के कम होने की उम्मीद की जा रही है। शर्त यह है कि इन कार्यक्रमों को उचित तरीके से लागू किया जाए। बजट में कृषि ऋण को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2016-17 में यह 9 लाख करोड़ रुपये था जोकि 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। दीर्घकालिक और सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। मार्केट यार्ड में उत्पादक संघों को खत्म करने और देश में कृषि बाजारों को एकीकृत करने के लिए, ई-नाम ने मौजूदा 250 बाजारों को 585 एपीएमसी में तब्दील किया है। सरकार ने ठेके पर खेती करने से जुड़े एक मॉडल कानून को लाने का प्रस्ताव रखा है विशेष रूप से, डेयरी, फल और सब्जियों के लिए।

आधारभूत संरचना

भारत का बदहाल आधारभूत ढांचा निजी क्षेत्र के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भी हतोत्साहित करता है। इसके मद्देनजर बजट में सड़क, बिजली और डिजिटल संरचना पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। सरकार ने 1 मई, 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 4,814 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 2016-17 की अवधि में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया जोकि वर्ष 2011-2014 के दौरान औसत 73 किलोमीटर के निर्माण से काफी अधिक है। इस वर्ष के बजट में इस योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। रेलवे के विस्तार के लिए भी बजट में 55,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। परिवहन के क्षेत्र के लिए बजट में 2.41 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि परिवहन क्षेत्र के विस्तार के साथ विकास की बहाली संभव है। चूंकि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है और यह दूसरे क्षेत्रों के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में व्यय बढ़ाने से समावेशी विकास को मदद मिल सकती है।

तालिका 2: आधारभूत संरचना के लिए आवंटन के रुझान

मद	2015-2016	2016-2017*	2017-2018**
मनरेगा कार्यक्रम	38500	47499	48000
प्रधानमंत्री आवास योजना	20075	20936	29043
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000	19000	19000
अमृत	7296	9559	9000
रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क	2710	3210	3000
भारतनेट	0	6000	10000
मेट्रो परियोजनाएं	10000	15700	18000
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	8500	7874	10635
सागरमाला	450	406	600
गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन	2000	2500	2500
रेलवे को बजट आवंटन	30121.2	35007.9	55000
कुल	138652.2	167691.9	187678

** सं.अ., **ब.अ.* ***स्रोत :*** *बजट दस्तावेज, भारत सरकार, 2017-18 और प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)*

बजट और वृहद अर्थव्यवस्था

बजट में प्रमुख नीतिगत फैसलों में से एक वित्त/राजस्व घाटे के लक्ष्य से संबंधित है। उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के दबाव में सरकार मौजूदा एफआरबीएम नियम के अनुसार 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे पर अडिग रहेगी। हालांकि निवेश बढ़ाने के लिए एफआरबीएम समिति की वित्तीय सिफारिश अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन सरकार ने बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3 प्रतिशत के आसपास ही रखा है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.2 प्रतिशत तय किया गया है। यहां सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजस्व घाटा को 2.3 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशत तक लाया गया है और पूंजीगत व्यय 1.1 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत हो गया है। यह विस्तारवादी और राजकोषीय समेकन के लिए सुसंगत है। हालांकि, एफआरबीएम समिति ने केंद्र सरकार के लिए 2023 तक 60 प्रतिशत के मध्यम अवधि के ऋण का रास्ता सुझाया है, जोकि भानुमूर्ति एवं अन्य (2015) के अनुमान के आसपास है और उसके अनुसार भी है। इस प्रकार की वित्तीय पहल से मध्यम अवधि के विकास और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए।

राजस्व जुटाने के लिए नीतियां: जीएसटी और विमुद्रीकरण के बाद कर अनुपालन के बढ़ने की उम्मीद है। इसी के मद्देनजर बजट में कर राजस्व में 1.4 के उछाल का अनुमान लगाया गया है। टिन (कर सूचना नेटवर्क) से पूर्व 2003-2007 की अवधि में भी इसी प्रकार के उछाल का अनुमान लगाया गया था। पिछले कुछ वर्षों की ही तरह इस बार भी बजट में अन्य प्राप्तियों (मोटे तौर पर विनिवेश) के तहत 72,500 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है जोकि एक कठिन कार्य है। इसी प्रकार बाजार उधारी के साथ समायोजन के बाद यह प्रकट होता है कि सरकार को अपने नकद शेष से 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह अनुमान इस वर्ष जीडीपी में मामूली वृद्धि के अनुमान पर आधारित है। पिछले वर्ष 11 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष जीडीपी में केवल 11.75 प्रतिशत की मामूली वृद्धि का अनुमान है। यह भी 1 जुलाई से जीएसटी के अमल में आने और उसकी दरों पर निर्भर करेगा। जहां तक प्रत्यक्ष करों का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 100 लोगों में से केवल 7 लोग ही कर चुकाते हैं। कर आधार को व्यापक करने के लिए बजट में कर दर के निचले स्लैब को 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस आलेख के लेखकों के विचार से इस उपाय से अधिक से अधिक लोग कर के दायरे में तो आएंगे, पर इससे कर की प्रभावी दरों में अस्थिरता पैदा होगी। अन्य सुझावों में रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाना और ई-फाइलिंग जैसी प्रक्रिया अपनाना शामिल है।

बैंकिंग संकट और एनपीए का मुद्दा

ब्याज दरों में कमी के बावजूद भारत में निजी निवेश कम है, इसके कई कारणों में से एक ट्विन बैलेंस शीट संकट है जोकि बैंकिंग क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित करता है। हालांकि विमुद्रीकरण के बाद छोटी जमा को जुटाना आसान हुआ है और बैंकों की बैलेंस शीट को सामान्य करने में मदद मिली है, फिर भी यह उम्मीद की जा रही थी कि बजट में पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से बैंकों की मदद की जाएगी। इस बजट में पिछले वर्ष के 25000 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में केवल 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए के उछाल के बावजूद है, जिससे बैंकों की बहुत अधिक मदद नहीं होने वाली है। हालांकि, पिछले वर्ष ऐसे कई कदम उठाए गये हैं जिनसे बैंकों को दीर्घावधि में लाभ मिलेगा, जैसे दिवालियापन कानूनों, ऋण वसूली अधिकरण, और सरफेसायी अधिनियम में संशोधन, बैंक बोर्ड ब्यूरो, और इंद्रधनुष योजना।

विमुद्रीकरण और बजट

विमुद्रीकरण के बाद अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में अशांति दिखायी दे रही है। क्षेत्रीय स्तर पर एसआईएएम के आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2016 में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बिक्री में 18.66 प्रतिशत की गिरावट हुई है। विशेष रूप से, दुपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में क्रमशः 22.04 प्रतिशत और 36.23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। इन वाहनों की कीमत मूलतः नकद में चुकायी जाती है। नाइट फ्रैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 2016 की अंतिम तिमाही में रियल एस्टेट क्षेत्र की बिक्री में भी 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आयी है। आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि जीडीपी पर विमुद्रीकरण का 0.25 से 1 प्रतिशत तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

दूसरी ओर, जीडीपी विकास दर में मंदी के बावजूद विमुद्रीकरण के बाद कर राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसमें निगम कर (4.4 प्रतिशत), आयकर (24.6 प्रतिशत), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (43 प्रतिशत), सेवा कर (23.9 प्रतिशत) और सीमा शुल्क (4.1 प्रतिशत)

शामिल है। इसका एक स्पष्टीकरण यह दिया जा सकता है कि विमुद्रीकरण के बाद कर आधार व्यापक हुआ है। यह संभव है, अगर कर की चोरी कम हो और ऐसे तमाम लेनदेन को उचित तरीके से दर्ज किया जाए जो पहले कहीं दर्ज ही नहीं होते थे। आर्थिक सर्वेक्षण और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के अनुसार रूपे आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पीओसी ट्रांजेक्शन के मामलों में 13,000 करोड़ रुपये और ई-कॉमर्स के मामले में 2,000 करोड़ रुपये बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों में इसमें 300-400 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कही जा सकती है।

इसके बावजूद सामान्य अवधारणा यह है कि नकद लेनदेन न किए जाने की स्थिति में काला धन रखना संभव नहीं है। इसके मद्देनजर बजट में 3 लाख से अधिक के नकद लेनदेन पर कर का प्रस्ताव रखा गया है। इसके माध्यम से दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था में गैर-नकद भुगतान प्रणालियों का अधिक उपयोग किया जाएगा, जिससे कर अनुपालन में सुधार होगा और कालेधन की उत्पत्ति पर लगाम लगेगी।

बजट और डिजिटल अर्थव्यवस्था

नकद से कम नकद की तरफ अर्थव्यवस्था का रुख मोड़ने के लिए भुगतान के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में तीन बड़ी चुनौतियां हैं- साइबर सुरक्षा, डिजिटल आधारभूत संरचना और डिजिटल लेनदेन की लागत। कुछ हद तक बजट में पहली दो चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश की गयी है। साइबर सुरक्षा: साइबर अपराध से वित्तीय क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए बजट में सीईआरटी-फिन के लिए कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल का प्रस्ताव रखा गया है। डिजिटल आधारभूत संरचना: डिजिटल आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए बजट में भारतनेट, डिजिगांव, संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप) आदि का आवंटन बढ़ाया गया है। इन नीतियों से डिजिटल आधारभूत संरचना तैयार होगी और देश में स्वदेशी तरीके से विनिर्माण का माहौल बनेगा।

क्या बजट से समावेशी विकास संभव है?

सार्वजनिक नीति की तमाम चुनौतियों में से एक है, देश में विकास की उच्च दर हासिल करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। वर्तमान में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत करने का मध्यम अवधि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन इस क्षेत्र से प्राप्त नकारात्मक रुझान हमारे सामने बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। इसके मद्देनजर बजट में आवास, पर्यटन, सड़क और आधारभूत ढांचे के रूप में श्रम गहन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए भूमि और श्रम जैसे क्षेत्रों में नीतिगत सुधार करने की जरूरत है। बजट में इन मुद्दों का कोई उल्लेख नहीं है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, घरेलू और बाहरी आर्थिक वातावरण में अनिश्चितता को देखते हुए केंद्रीय बजट में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिनसे देश में विकास को बहाल करने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से, दीर्घावधि के ऐसे राहत उपायों पर कम ध्यान दिया गया है जिनके परिणाम सकारात्मक न हों। इसके बजाय विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। हालांकि इन उपायों के साथ राज्य स्तर पर भी समावेशी नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राज्य स्तर की नीतियां भी मध्यम अवधि के विकास के लक्ष्यों में अधिक नहीं तो समान भूमिका तो निभाती ही हैं। ❑

SIHANTA IAS
आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।
इतिहास
रजनीश राज
निःशुल्क कार्यशाला
22 फरवरी प्रातः 9 बजे
13 फरवरी सायं 6:30 बजे
प्रथम दो कक्षाएं निःशुल्क
विशेषताएं
सर्वांगीण अध्ययन
बहुस्तरीय उत्तर लेखन
समयबद्ध कोर्स समापन
सर्वोत्तम परिणाम
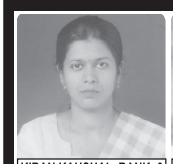
KIRAN KAUSHAL RANK- 3

MITHILESH MISHRA RANK- 46

ABHISHEK SINGH RANK- 48
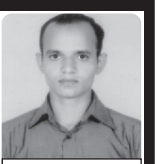
KANA RAM RANK- 54
क्रमशः
उपरोक्त सभी प्रतिभागी इतिहास में श्रेष्ठ अंक के कारण ही कामयाब हुए।
संकल्पनात्मक विकास एवं लेखन शैली पर सर्वाधिक बल के कारण सिहान्ता के श्रेष्ठ अंकधारी
विष्णुकांत तिवारी-378 अंक
नरेश सैनी -376 अंक
रामाशीष -376 अंक
आलोक पाण्डेय-372 अंक
राजेन्द्र मीणा -371 अंक
मयंक प्रभा -371 अंक
द्रोपसिंह मीणा-371 अंक
विवेक अग्रवाल-368 अंक
क्रमशः
ADMISSION OPEN
For Free Registration, SMS <Your Name> to 9555852468
visit us: www.sihantaias.com
Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
011-42875012, 08743045487

केंद्रीय बजट 2017-18: वित्तीय व्यवहार्यता

चरण सिंह

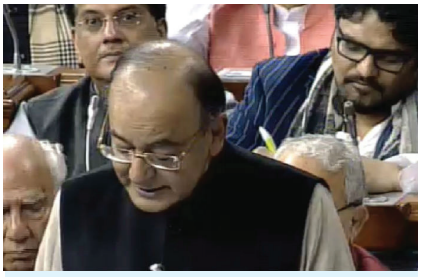

योजनागत और गैर-योजनागत व्यय में विभेद को समाप्त करना केंद्रीय बजट में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है। यह सुधार सामाजिक-आर्थिक कल्याण कार्यक्रमों में अंतर करते हुए 'योजनागत' अवधि को खत्म करने के नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत में, सामान्य रूप से यह अवधारणा रही है कि योजनागत व्यय अच्छा होता है जबकि गैर-योजनागत व्यय अपव्यय होता है। इस अवधारणा ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि भारत में परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए भी योजनागत व्यय को नजरअंदाज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर योजनागत व्यय को उच्चतम दर्शाने का निरंतर प्रयास रहता है। यह आशा है कि इस अंतर को समाप्त करने से खर्च और परिणाम में एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जा सकता है

बजट राजकोषीय नीति का मुख्य घटक होता है। किसी भी समष्टि अर्थशास्त्रीय नीति का उद्देश्य सतत आर्थिक विकास होता है जिसे राजकोषीय नीति और आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के माध्यक से प्राप्त किया जा सकता है। राजकोषीय नीति का लक्ष्य रोजगार बढ़ाना तथा धारणीय संवृद्धि को सुनिश्चित करना होता है, जबकि आर्थिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए सहायक वातावरण बनाना होता है। विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में अच्छी शिक्षा और कौशल निर्माण, प्रभावशाली लोक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से सर्वोत्तम कार्यबल, वाणिज्य को सरल बनाने के लिए सुदृढ़ अवसंरचना और समर्पित सुरक्षा बलों, प्रशासन और न्यायपालिका के माध्यम से परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय नीति में विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। सरकार को इन आधारभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अनिवार्य व्यय के वित्त पोषण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभों को एकत्र करके तथा अंतिम आश्रय के रूप में घरेलू और विदेशी स्रोतों से दीर्घ और लघु अवधि उधार के माध्यम से संसाधन उत्पन्न करने पड़ते हैं। कार्य, उपभोग, बचत, मनोरंजन, और निवेश राजकोषीय नीति का क्षेत्र है और सरकार द्वारा उपर्युक्त के लिए वित्तीय संसाधन एकत्रित और खर्च किए जाते हैं।

हाल ही में, अत्यधिक कठिन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिवेश में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। भारत में, अभी 8 नवंबर, 2016 को किए गए विमुद्रीकरण के प्रभाव का आकलन किया जाना बाकि है। वास्तव में, विमुद्रीकरण के तहत एकत्रित नकद की राशि की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुष्टि करना अभी बाकि है और भारतीय उद्योग और व्यापार पर विमुद्रीकरण का असर अभी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा, भारत वस्तु एवं सेवा कर के रूप में स्वतंत्र भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कराधान सुधारों को पेश करने के पड़ाव पर है। विश्व में आर्थिक वृद्धि सुस्त और निष्क्रिय है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और संरक्षणवादी नीतियों को बल मिल रहा है। अमेरिका में वैश्वीकरण की विचारधारा में बदलाव और ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के कारण अनिश्चिताएं, यूरोप में अन्य राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ सतत विकास के लिए नियोजन में मुश्किलें बढ़ाती हैं।

इस बार के बजट का एजेंडा भारत का रूप परिवर्तन करना, इसे ऊर्जावान और स्वच्छ बनाना है। बजट प्रस्तावों को दस विभिन्न विषयों में प्रस्तुत किया गया था जिसमें किसान, ग्रामीण जनसंख्या, युवा वर्ग, गरीब और वंचित, अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, लोक सेवा, मितव्ययी राजकोषीय प्रबंधन और कर प्रशासन शामिल है।

राजकोषीय समेकन

विभिन्न बाधाओं के बावजूद भी, बजट राजकोषीय समेकन कर रहा है और सभी घाटे कम हो रहे हैं (आरेख 1)

लेखक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) बेगंलुरू में अर्थशास्त्र के आरबीआई चैयर प्रोफेसर हैं और आरबीआई बैकिंग रिसर्च में निदेशक रह चुके हैं। इससे पूर्व इन्होंनें वाशिंगटन डीसी स्थिल आईएमएफ में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ईमेल: charansingh60@gmail.com

आरेख 1: मुख्य घाटे

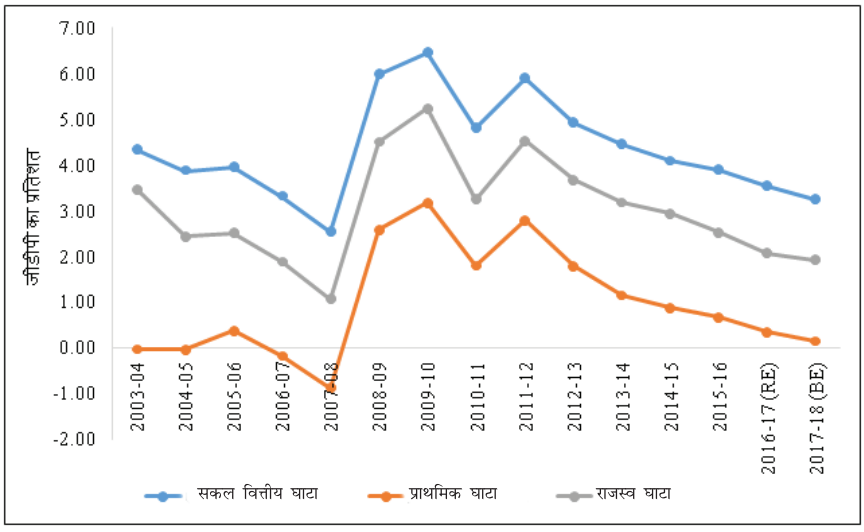

स्रोत: प्राप्तियों का रुझान केंद्रीय बजट 2017-18, भारत सरकार

सरकार ने राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे को कम करने का सफल प्रयास किया है। हालांकि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजी व्यय कम है जबकि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से बहुत अधिक है। (तालिका 1)

भारत में नियोजन की शुरूआत से रूझानों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पूंजीगत व्यय अन्य घटकों में लगने वाले आघातों को निर्बल करने के लिए सुरक्षित भंडार का काम करता है और 1960 के दशक से पूंजीगत व्यय में कमी आ रही है। (तालिका 2)

राजस्व खाते में, ब्याज भुगतान, सब्सिडी और पेंशन आधे से भी अधिक राजस्व प्राप्तियों को खत्म कर देते हैं। (तालिका 3)

1970-71 से राजस्व के प्रवाह का विश्लेषण यह दर्शाता है कि लाभांशों सहित गैर-कर राजस्व निष्क्रिय रहा है जबकि कर राजस्व में प्रतिकूल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। (तालिका 4)

अन्य देशों के साथ तुलना

भारत अपनी समस्याओं के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में बेहतर करने के लिए तैयार है क्योंकि भारत के पास पर्याप्त राजकोषीय विस्तार है। (तालिका 5)

केन्द्रीय बजट का निहितार्थ

तालिका 6 के विश्लेषण के अनुसार केंद्रीय बजट विकास अभिमुखी और रोजगार सृजन करने वाला बजट है।

विकास के वैश्विक संदर्भ में, देश में यह विश्वास उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है कि सरकार भारत का रूप परिवर्तन करने, इसे ऊर्जावान और स्वच्छ बनाने के अपने उद्देश्य के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। बाजार में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है। (तालिका 7)

विशिष्ट महत्वपूर्ण मुद्दे

राजकोषीय नीति के क्षेत्र में केंद्रीय बजट सिर्फ खातों का विवरण नहीं होता बल्कि यह नीति का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी होता है। इस बजट में कई मुद्दे उठाए गए थे।

गैर-कर प्रदाता भारत

वित्त मंत्री ने यह उल्लेख किया कि भारत मुख्य रूप से गैर-कर प्रदाता देश है (तालिका 8 और 9 देखें)। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों (विभिन्न राज्यों के स्थानीय निकायों के कर संग्रहण के एकसमान आंकड़ों की अनुपस्थिति में) द्वारा

तालिका 1: केंद्रीय बजट का सार आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत रूप में

प्राप्तियां	2016-17*	2017-18#	व्यय	2016-17*	2017-18#
राजस्व प्राप्तियां	9.4	9.0	राजस्व व्यय	11.5	10.9
राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियां = राजस्व घाटा				**2.1**	**1.9**
पूंजीगत प्राप्तियां	3.9	3.8	पूंजीगत व्यय	1.9	1.8
कुल व्यय- राजस्व प्राप्तियां = सकल राजकोषीय घाटा**				**3.5**	**3.2**

** संशोधित अनुमान, # बजट अनुमान, ** विनिवेश आदि पूंजी.भिन्न प्रप्तियों के लिए समायोजित*

स्रोत: केंद्रीय बजट 2017-18, भारत सरकार

तालिका 2: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व और पूंजीगत खाते के घटक

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
1950-51	3.90	1.16	3.34	1.76
1960-61	4.89	6.44	4.60	5.74
1970-71	6.91	4.29	6.57	5.24
1980-81	8.27	5.29	9.63	5.59
1990-91	9.37	6.65	12.54	5.42
2000-01	8.85	6.16	12.76	2.19
2010-11	10.13	5.17	13.37	2.01
2011-12	8.60	6.51	13.12	1.82
2012-13	8.84	5.85	12.50	1.68
2013-14	9.00	5.00	12.17	1.66
2014-15	8.82	3.88	11.75	1.57
2015-16	8.75	3.97	11.26	1.85
2016-17*	9.44	3.92	11.51	1.86
2017-18#	9.00	3.75	10.90	1.84

** संशोधित अनुमान, # बजट अनुमान*

स्रोत: (क) भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की पुस्तिका, भारतीय रिजर्व बैंक (ख) केंद्रीय बजट 2017-18, भारत सरकार

तालिका 3: राजस्व बजट (चुनिंदा मद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

राजस्व प्राप्तियां			राजस्व व्यय		
घटक	2016-17*	2017-18#	घटक	2016-17*	2017-18#
निगम कर	3.3	3.2	ब्याज भुगतान	3.2	3.1
आयकर	2.3	2.6	सब्सिडी	1.7	1.6
सीमा शुल्क	1.4	1.5	पेंशन	0.9	0.8
केंद्रीय उत्पाद कर	2.6	2.4			
सेवा कर	1.6	1.6			
लाभांश और लाभ	1.0	0.8			
कुल	**9.4****	**9.0****	**कुल**	**11.5**	**10.9**

** संशोधित अनुमान, # बजट अनुमान, ** करों में राज्यों की हिस्सेदारी का कुल*

***स्रोत:** प्राप्तियों का प्रवाह, केंद्रीय बजट 2017-18, भारत सरकार*

एकत्रित किए गए कर की राशि हाल ही के वर्षों में अधिकतर उन्नत देशों में 30 प्रतिशत से भी अधिक की तुलना में जीडीपी के 18 प्रतिशत से भी कम है। हालांकि, भारत की प्रदत्त आर्थिक स्थिति, जिसमें 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है और लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है और यह जनसंख्या कृषि आय (कर में छूट प्राप्त) पर निर्भर है, को ध्यान में रखते हुए यहां पर वित्तीय संसाधनों को एकत्र करने की बाधाएं स्पष्ट हैं। इसके अलावा, उन वस्तुओं पर छूट भी है जिन पर सीमा शुल्क लगने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि कर आय का एक प्रकार्य है श्रीलंका, मैक्सिको, इंडोनेशिया और फिलिपीन्स जैसे गरीब और उदयीमान देशों में उन्नत देशों की तुलना में कर संग्रह की संभावना बहुत कम रहती है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने भारत को स्वच्छ बनाने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की है। महंगी गाड़ियों की खरीद और विदेशी यात्राओं के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कर प्रशासन को सतर्क और निपुण बनने की जरूरत है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने भारत को स्वच्छ बनाने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की है। महंगी गाड़ियों की खरीद और विदेशी यात्राओं के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कर प्रशासन को सतर्क और निपुण बनने की जरूरत है। जापान जैसे देशों में कर अनुपालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं जबकि अमेरिका में इसके विपरीत कर परिहार के लिए कठोर दंड दिया जाता है।

कई देशों में जहां पर जीडीपी का स्तर उच्च होता है वहां लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और नागरिक सेवाएं बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा स्त्री और पुरूषों के जीवन की सुरक्षा, महिला कार्यबल के लिए सुरक्षित परिवेश और विवादों के समयबद्ध निपटान के लिए न्यायिक प्रणाली उच्च कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं।

जनसांख्यिकीय विभाजन को ध्यान में रखते हुए भारत में 34 वर्ष की आयु की 66 प्रतिशत जनसंख्या के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण, स्टार्ट अप और स्टैंड अप इंडिया को प्रोत्साहन, इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान करना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुमूल्य कार्य होगा। बेहिसाब धन का खुलासा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए असंख्य प्रयासों के अतिरिक्त

तालिका 4: विशिष्ट राजकोषीय सूचक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	निवल कर राजस्व	गैर कर राजस्व	राजस्व प्राप्तियां
1970-71	5.2	1.8	6.9
1980-81	6.3	2.0	8.3
1990-91	7.3	2.0	9.4
2000-01	6.3	2.6	8.9
2014-15	7.2	1.6	8.8
2015-16	6.9	1.8	8.8
2016-17*	7.2	2.2	9.4
2017-18#	7.3	1.7	9.0

** संशोधित अनुमान, # बजट अनुमान*

***स्रोत:** प्राप्तियों का प्रवाह, केंद्रीय बजट 2017-18, भारत सरकार*

तालिका 5: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल ऋण

देश	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ब्राजील	60.4	63.3	73.7	78.3	82.4	85.2	87.9	90.8	93.6
चीन	36.9	39.8	42.9	46.3	49.9	52.6	54.6	56.1	57.2
फ्रांस	92.4	95.3	96.1	97.2	97.8	97.9	97.4	95.9	93.8
जर्मनी	77.1	74.5	71.0	68.2	65.9	63.6	61.1	58.9	56.7
भारत	68.0	68.3	69.1	68.5	67.2	65.6	63.5	61.4	59.2
इंडोनेशिया	24.8	24.7	27.3	27.5	28.2	29.2	29.9	30.4	30.9
जापान	244.5	249.1	248.0	250.4	253.0	254.9	254.7	254.5	253.9
रूस	13.1	15.9	16.4	17.1	17.9	18.6	19.1	18.9	18.5
दक्षिण अफ्रीका	44.0	46.9	49.8	51.7	53.3	54.6	55.4	55.9	56.2
ब्रिटेन	86.0	87.9	89.0	89.0	88.8	88.6	86.6	84.3	82.1
अमेरिका	104.6	104.6	105.2	108.2	108.4	107.9	107.8	107.9	108.3

***स्रोत:** विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 2016, आईएमएफ*

तालिका 6: बजट के निहितार्थ

विवरण	वृद्धि	रोजगार	उपभोग	निवेश
कृषि ऋण 10 लाख करोड़ रूपये	✓			✓
दीर्घावधि सिंचाई निधि 40,000 करोड़ रूपये	✓			✓
मनरेगा 48,000 करोड़ रूपये	✓	✓	✓	
ग्राम सड़क योजना 27,000 करोड़ रूपये	✓	✓		✓
आवास योजना 23, 000 करोड़ रूपये	✓	✓		✓
रेलवे 1.3 करोड़ रूपये	✓	✓		✓
सड़क क्षेत्र – राजमार्ग 64,900 करोड़ रूपये	✓	✓		✓
परिवहन क्षेत्र 2.4 करोड़ रूपये	✓	✓		✓
मुद्रा योजना लक्ष्य 2.4 करोड़ रूपये	✓	✓		✓

स्रोत: केंद्रीय बजट भाषण 2017-18, भारत सरकार

विभिन्न स्वैच्छिक खुलासों और क्षमादान योजनाओं के बावजूद भी भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में निराशाजनक ढंग से प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए बेहिसाब धन का खुलासा करने के प्रयासों में निरंतरता लाना जरूरी है। इस प्रयास में चार्टर्ड एकाउंटेंट, कानूनी विशेषज्ञ, धार्मिक नेता और मीडिया और राजनीति से सामाजिक नेताओं को शामिल करके एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

वित्तीय क्षेत्र

सरकार ने पिछले वर्षों के रूझान को जारी रखते हुए बैंकों के पुनर्मुद्रीकरण की घोषणा की है। इस बात पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा कि बैंकों को इस तरह की राहतें स्वाचालित और नियमित होनी चाहिए या यह कुछ निर्धारित उन्नत कार्य प्रदर्शन के सूचकों के आधार पर शर्त के अनुसार होनी चाहिए। वाणिज्य बैंकों को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम होने चाहिए और उन्हें अपने नुकसानों की भरपाई या अपनी लागतों को कम करने के लिए कुछ चयनित शाखाओं को बंद करने सहित उनकी कुछ परिसंपत्तियों के निपटान करने पर विचार करने को कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को घाटा या लाभ प्रदान करने वाले बैंकों पर ध्यान दिए बिना अपने सभी कर्मचारियों को वेतनवृद्धि करनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कड़े उपायों को लागू किया जाना चाहिए। ताकि ईमानदार करदाताओं से संसाधन तैयार किया जा सके। वाणिज्यिक बैंकों में निरंतर पूंजी डालने से नैतिक खतरे की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

केंद्रीय बजट की निर्धारित समयपूर्व प्रस्तुति

केंद्रीय बजट को पारंपरिक समय से पहले इसलिए पेश किया गया था ताकि इसे मार्च के अंत तक संसद द्वारा मंजूरी दी जा सके और मंत्रालयों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 अप्रैल से ही संसाधन मिलने शुरू हो जाए। चूंकि, भारत में मानसून जून के महीने में शुरू हो जाता है इसलिए मंत्रालयों को मानसून शुरू होने से पहले अपने व्यय और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना बनाने का कुछ समय मिल पाएगा। यह आशा की

तालिका 7: बजट में विश्वास निर्माण करने वाले उपाय

विवरण	वृद्धि	बेहिसाब धन	विश्वास
शेयर बाजारों में रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर	✓		✓
बैंकों का पुनर्पूंजीकरण 10,000 करोड़ रूपये	✓		✓
जीडीपी के 60 प्रतिशत का ऋण	✓		✓
अगले तीन वर्षों के लिए 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा	✓		✓
50 करोड़ रूपये तक की वार्षिक बिक्री पर आयकर छूट	✓		✓
मार्च 2017 तक 10 लाख नए पीओएस टर्मिनल	✓	✓	✓
लेन-देन के लिए 3 लाख रूपये की नकद सीमा	✓	✓	✓
राजनीतिक चंदे पर प्रतिबंध	✓	✓	✓

स्रोत: केंद्रीय बजट भाषण 2017-18, भारत सरकार

तालिका 8: भारत का कर अनुपालन आरेख – सामान्य

श्रेणियां	संख्या
संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति	4.2 करोड़
वेतनभोगियों द्वारा भरा गया आयकर रिटर्न	1.7 करोड़
अनौपचारिक क्षेत्र में व्यक्तिगत उद्यम व्यक्ति	5.6 करोड़
भरी आयकर रिटर्न की संख्या	1.8 करोड़
पंजीकृत कंपनियां	13.9 लाख
रिटर्न भरने वाली कंपनियों की संख्या	5.9 लाख
शून्य आय या नुकसान दर्शाने वाली कंपनियां	2.8 लाख
1 करोड़ रूपये सें कम मुनाफा घोषित करने वाली कंपनियां	2.8 लाख
1 से 10 करोड़ के बीच मुनाफा दर्शाने वाली कंपनियां	28,667
10 करोड़ रूपये से अधिक मुनाफा दर्शाने वाली कंपनियां	7,781

स्रोत: केंद्रीय बजट भाषण 2017-18, भारत सरकार

तालिका 9: भारत का कर अनुपालन आरेख - (व्यैक्तिक)

श्रेणियां	संख्या
व्यैक्तिक आयकर रिटर्न	3.7 करोड़
छूट की सीमा से नीचे	99 लाख
2.5 से 5 लाख रूपये के बीच आय	1.9 करोड़
5-10 लाख रूपये के बीच आय	52 लाख
10 लाख रूपये से अधिक आय	24 लाख
5 लाख रूपये से अधिक आय इनमें से वेतनभोगी वर्ग	76 लाख 56 लाख
50 लाख रूपये से अधिक आय	1.7 लाख

स्रोत: केंद्रीय बजट भाषण 2017-18, भारत सरकार

जा सकती है कि निर्धारित समय से पहले बजट पेश करने से वित्तीय वर्ष शुरू होते ही राजस्व संघटन और पूंजीगत व्यय शुरू करने में मदद मिलेगी। निर्धारित समय से एक माह पहले बजट पेश करने के दिए गए तर्क के अलावा यह नहीं होना चाहिए कि बजट को 1 फरवरी के पहले ही घोषित कर दिया जाए, जोकि गणतंत्र दिवस के बहुत नजदीक है जिससे कि परामर्श के उद्देश्य से दिल्ली में आवाजाही प्रतिबंधित हो जाती है। इसके अलावा, क्या बजट को सुबह किसी कार्य दिवस को घोषित किया जाना चाहिए या इसके लिए एक निश्चित दिन निर्धारित नहीं होना चाहिए- जैसे फरवरी माह के पहले शुक्रवार को सायं 2 बजे या पहले शनिवार को प्रात: 11 बजे ?

राजकोषीय नीति- क्या यह वार्षिक होनी चाहिए?

आमतौर पर उन्नत देशों में बजट कार्य एक सामान्य कार्य होता है जबकि भारत में, पूरा देश लगभग एक महीना बजटग्रस्त हो जाता है। उद्योग जगत और शेयर बाजार के साथ-साथ सभी लोग बहुत व्याकुलता के साथ बजट के वार्षिक उत्सव का इंतजार करते हैं। यह आर्थिक नीति बनाने और सतत विकास को सुनिश्चित करनें में बाधक हो सकता है क्योंकि आमतौर पर निवेश को बहुवर्षीय प्रारंभिक अवधि के अंतराल की जरूरत होती है। यह विचार करने योग्य है कि वित्तीय खातों का विवरण वार्षिक रूप से प्रदान किया जाए जबकि राजकोषीय नीति की घोषणा मध्यम से दीर्घ अवधि (जैसे पांच वर्ष के लिए) के आधार पर अलग से की जा सकती है।

रेल बजट

ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अनुशंसाओं का अनुपालन करते हुए, वर्ष 1924 में अलग से रेल बजट शुरू किया गया था। हालांकि वर्ष 1949 से कई समितियों ने केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय करने का सुझाव दिया था लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं किया जा सका था। इसलिए, अब आम बजट में रेल बजट का विलय होने से उपभोक्ता रेलवे की कार्यप्रणाली में दक्षता, सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता, आधुनिक उपकरण और सुरक्षा उपायों और बाजार निर्धारित गतिशील और प्रतिस्पर्धी किराए की आशा कर सकते हैं। इसी प्रकार, रेलवे संसद की निरंतर सूक्ष्म छानबीन से दूर रहकर कोंकण रेलवे प्रौद्योगिकीय रूप से श्रेष्ठतर संगठनात्मक संरचना पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है।

सरकार ने पिछले वर्षों के रूझान को जारी रखते हुए बैंकों के पुनर्मुद्रीकरण की घोषणा की है। इस बात पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा कि बैंकों को इस तरह की राहतें स्वाचालित और नियमित होनी चाहिए या यह कुछ निर्धारित उन्नत कार्य प्रदर्शन के सूचकों के आधार पर शर्त के अनुसार होनी चाहिए।

बजट अवधि का युक्तिकरण

योजनागत और गैर-योजनागत व्यय में विभेद को समाप्त करना केंद्रीय बजट में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है। यह सुधार सामाजिक-आर्थिक कल्याण कार्यक्रमों में अंतर करते हुए 'योजनागत' अवधि को खत्म करने के नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत में, सामान्य रूप से यह अवधारणा रही है कि योजनागत व्यय अच्छा होता है जबकि गैर-योजनागत व्यय अपव्यय होता है। इस अवधारणा ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि भारत में परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए भी योजनागत व्यय को नजरअंदाज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर योजनागत व्यय को उच्चतम दर्शाने का निरंतर प्रयास रहता है। यह आशा है कि इस अंतर को समाप्त करने से खर्च और परिणाम में एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जा सकता है जोकि सार्वजनिक व्यय का निपुणतापुर्वक आकलन करने में उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकार, बजट का केंद्र बिंदु राजस्व और पूंजीगत व्यय बन गया है जैसा कि संविधान में मूल रूप से परिकल्पित किया गया था। राजस्व और पूंजीगत व्यय में स्पष्ट अंतर विश्लेषणात्मक, पारदर्शी और निपुण निर्णय लेने के लिए भी आवश्यक है। यह विभेद सरकार की संचालनात्मक लागतों और उसके द्वारा किए गए निवेश का आकलन करने में मदद करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग दर्शाया जाना चाहिए। भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2005 के तहत, व्यय के अनुमान में पूंजीगत खातों पर व्यय, सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ऋणों और लघु अवधि के उधारों के पुनर्भुगतान सहित अन्य व्यय के लिए अलग से प्रावधान होगा।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह सुझाव नहीं देता कि व्यय में अंतर करना परम आवश्यक है। वास्तव में, उन्नत देशों ने आरंभ में अपने उभरते/विकसित चरणों में संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए राजस्व और पूंजीगत खातों में विभेद रखा था जबकि अन्य देशों ने खातों के अलग वर्गीकरण की प्रथा को समाप्त कर दिया था। ❑

निर्माण IAS

सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)

गुणवत्ता, विश्वसनीयता व सफलता हेतु प्रतिबद्ध

निर्माण की पुरानी, अनुभवी व सफल टीम

K. D. Sir
- इतिहास,
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध,
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- एथिक्स

Dr. Adarsh Sir
- राजव्यवस्था
- गवर्नेंस
- आंतरिक सुरक्षा

KHURSHID ALAM SIR
एथिक्स

Ashish Sir
भूगोल

Raheesh Singh Sir
- अर्थव्यवस्था
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Visiting Faculty

2016 मुख्य परीक्षा में आयें प्रश्न सीधे हमारे क्लास नोट्स से

Anil Kesari Sir
कला एवं संस्कृति
Visiting Faculty

Ajit Sir
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
भूगोल

Rishi Jain Sir
भारतीय अर्थव्यवस्था

Manish Sir
- अर्थव्यवस्था
- सामाजिक मुद्दे
- सामाजिक न्याय

Suryavanshi Sir
- इतिहास
- सामान्य विज्ञान

Dr. Shailendra Sir
समसामयिकी मुद्दें

HOLISTIC INTERVIEW GUIDANCE PROGRAMME (February-March)
by Senior Bureaucrats & Honourable Lecturer

सा. अध्ययन
फाउण्डेशन बैच
(प्रा. एवं मुख्य परीक्षा)

सा. अध्ययन
मुख्य परीक्षा विशेष 2017
Q. I .P
(Quality Improvement Programme)

वैकल्पिक विषय
- इतिहास
एवं
- भूगोल

प्रत्येक रविवार
समसामयिकी विश्लेषित कक्षाएं
The Hindu, Indian Express, PIB, BBC व अन्य महत्वपूर्ण स्रोत
समसामयिकी मासिक पत्रिका उपलब्ध

सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा) ← **TEST SERIES** (विश्लेषण – विशेषज्ञों के द्वारा) → **वैकल्पिक विषय** (इतिहास एवं भूगोल)

"Correspondence Course Available"

जो अभ्यर्थी किसी कारणवश दिल्ली संस्थान में नियमित कक्षाएं नहीं कर सकते उनके लिए संस्थान में पत्राचार कार्यक्रम उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के नोट्स इस तरह से तैयार किए गए हैं जिनमें कक्षा नोट्स और प्रिंटेड नोट्स का समायोजन है। इन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है जिससे अभ्यर्थी समसामयिक मुद्दों पर भी पकड़ रख सके। ये नोट्स अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क देने पर घर बैठ प्राप्त कर सकते हैं। PH: 011-47058219

Delhi (Head Office)
996, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh), Delhi - 110009
PH.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797

ALLAHABAD	GWALIOR	JAIPUR	LUCKNOW
10/14, Elgin Road, Civil Line, Allahabad (U.P.):- 211001, Ph:- 09984474888	2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277	M-85, JP Phatak Under Pass Jaipur Ph. : 7580856503	B-17, Sector- G Aliganj, L.K.O. Near Kendriay Bhavan Puraniya Ph:- 0522-4955344, 9839848991

Website: www.nirmanias.com E-mail: nirmanias07@gmail.com 8800475353 nirman.ias

नए अवतार में भारतीय रेल का बजट

अरुणेन्द्र कुमार

पिछले कुछ वर्षों से महसूस किया जा रहा था कि रेलवे की सुरक्षा को अपग्रेड करने के लिए अलग से निवेश इकाई की जरूरत है। इसके मद्देनजर आम बजट 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपये के फंड से राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने का प्रावधान किया गया है। सरकार इसके लिए शुरुआती पूंजी मुहैया कराएगी और रेलवे अपने राजस्व और बाकी साधनों से इसके लिए संसाधनों का इंतजाम करेगी। साथ ही कोष की फंडिंग से विभिन्न सुरक्षा कार्यों पर अमल के लिए समय सीमा भी तय की जाएगी

इस साल अलग से रेल बजट पेश करने की 93 साल की परपंरा को नहीं अपनाया गया। रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। हम इसको लेकर और आगे बढ़ें, उससे पहले आम बजट के मुकाबले रेलवे बजट के अलग होने और विलय की प्रक्रिया को समझना बेहतर होगा।

सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 1920 ईसवी में ईस्ट इंडियन रेलवे कमेटी बनाई गयी थी। एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक 'अलग परंपरा' के जरिये रेलवे का वित्तीय लेखा-जोखा अलग कर दिया गया। अगर उन शब्दों के हवाले से कहें, तो 'इसका पुनर्निर्माण ऐसी प्रक्रिया के तहत किया गया, जो एक बड़े व्यावसायिक कारोबार को सिस्टम के जाल से मुक्त करता है। इस कारोबारी प्रक्रिया के तहत माना जाता है कि कारोबार की चिंता हर 31 मार्च को खत्म हो जाती है और अप्रैल की पहली तारीख को फिर से शुरू होती है। आम बजट को रेलवे से निश्चित सालाना योगदान मिलता था।' देश की आजादी के बाद सार्वजनिक परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी 75 फीसदी थी, जबकि माल ढुलाई में उसका हिस्सा 90 फीसदी था। लिहाजा, रेलवे के लिए अलग बजट की जरूरत को जारी रखना उचित लगा। आज के दौर में यह हिस्सेदारी घटकर क्रमशः 15 और 30 फीसदी हो गयी है। मौजूदा सरकार ने इस बदलाव को पहचाना, लिहाजा इस मुद्दे को समग्रता में देखते हुए सुविचारित फैसला लिया गया। इसी पृष्ठभूमि में अवसंरचना श्रेणी के तहत हम रेल बजट के आम बजट में विलय किए जाने को देखते हैं। बजट ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय रेलवे की वित्तीय स्वायत्ता में अवरोध

तालिका 1: वार्षिक वित्तीय विवरण (करोड़ रुपये में)

वर्ष	नियोजित खर्च	सकल बजटीय सहायता	अतिरिक्त बजटीय संसाधन	आंतरिक संसाधन से जुटाई गयी रकम
2011-12	45,061	21,073	14,790	9,198
2012-13	50,383	25,234	15,142	10,007
2013-14	53,984	28,174	15,225	10,590
2014-15	65,798	31,596	17,788	16,414
2015-16	93,520	35,007	39,006 *	19,446
2016-17	121,000	46,355	59,930	14,715
2017-18	131,000	55,000	62,000	14,000

* इसमें 17,136 रुपये की सहायता शामिल है। धन संग्रहण का यह अपूर्व तरीका पहली बार आजमाया गया था। इसके बाद, यह सामान्य प्रथा बन गयी है जो अगले 2 वर्षों के आंकड़ों में देखा जा सकता है।

लेखक भारतीय रेल के सेवानिवृत्त चेयरमैन हैं और भारत सरकार में पदेन प्रधान सचिव रह चुके हैं। वह रेलवे की 39 साल की सेवा के बाद दिसंबर 2014 में सेवानिवृत्त हुए। वह मेकेनिकल इंजीनियर हैं और डीजल लोकोमोटिव, कोच, मालगाड़ी के डिब्बों और रेलवे के प्रबंधन को लेकर उनके पास व्यापक अनुभव है। उनका भारत में हाई स्पीड ट्रेनों से जुड़ी पायलट परियोजनाओं, रेलवे में एफडीआई समेत कई तरह की अन्य पहल में अहम योगदान रहा। भारत में फिलहाल सबसे तेज ट्रेन-गतिमान एक्सप्रेस की योजना भी उनके कार्यकाल के दौरान ही तैयार की गयी। ईमेल: noidarail54@gmail.com

तालिका 2 : प्राप्तियों और खर्च का जायजा (करोड़ रुपये में)

मद	वास्तविक 2015-16	बजट 2016-17	संशोधित 2016-17	बजट 2017-18
प्राप्तियां				
सकल राजस्व	164,334	184,820	172,155	188,998
यात्रियों से राजस्व	44,283	51,012	48,000	50,125
माल ढुलाई से राजस्व	109,208	117,933	108,900	118,157
बाकी कोचिंग (coaching) प्राप्तियां	4,371	6,185	5,000	6,494
अन्य विविध आमदनी	5,929	9,590	10,100	14,123
ट्रैफिक सस्पेंस	543	100	155	100
विविध प्राप्तियां	4,046	4,451	150	500
कुल राजस्व प्राप्तियां (1+2)	168,380	189,271	172,305	189,498
सामान्य रेवेन्यू से पूंजी की मदद	37,608	45,000	46,355	55,000
कुल रेलवे प्राप्ति + बजटीय सहायता (3+4)	205,988	234,271	218,660	244,498
अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर)	39,066	59,325	59,930	62,000
ईबीआर समेत कुल प्राप्ति (5+6)	245,054	293,596	278,590	306,498
खर्च				
कुल कामकाजी खर्चे (8, जव 8सी)	147,836	169,260	162,960	178,350
सामान्य कामकाजी खर्चे	107,736	123,560	122,760	129,750
पेंशन फंड के लिए विनियोजन	34,500	42,500	35,000	43,600
ह्रास रिजर्व फंड के लिए विनियोजन	5,600	3,200	5,200	5,000
विविध खर्च	1,315	1,800	1,650	2,200
रेलवे राजस्व से जुड़ा कुल खर्च (8+9)	149,151	171,060	164,610	180,550
ईबीआर और बजटीय समर्थन से कुल खर्च (4+6)	76,671	104,325	106,285	117,000
ईबीआर समेत कुल खर्च (10+11)	225,826	275,385	270,895	297,550
शुद्ध राजस्व (3-10)	19,228	18,211	7,695	8,948
लाभांश देय	8,723	9,731	...	...
आधिक्य/कमी (13-14)	10,506	8,479	7,695	8,948
विकास फंड के लिए विनियोजन	1,220	2,515	2,515	2,000
कैपिटल फंड के लिए विनियोजन	5,798	5,750	5,180	5,948
कर्ज सेवा फंड के लिए विनियोजन	3,488	214	...	...
राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के लिए विनियोजन	...	...	...	1000
परिचालन अनुपात	90.5%	92.0%	94.9%	94.6%

नोट: दशमलव के आंकड़ों को अगले पूर्णांक में बदल दिया गया है।

पैदा नहीं हो और इसको अब तक मिली आजादी आगे भी सुरक्षित रहे।

परिवहन मामले के एकीकरण में सहक्रिया का असर बजट में साफ तौर पर नजर आता है। रेलवे को चुनिंदा कमोडिटी के लिए एकीकृत परिवहन व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। यह काम माल ढुलाई से जुड़े वैसे खिलाड़ियों के साथ किया जाना चाहिए, जो हर मोर्चे पर विकल्प और सुविधाएं मुहैया कराए। यह उपभोक्ता और ट्रांसपोर्टर के लिए हर लिहाज से फायदेमंद जैसा मामला होगा। इससे मालगाड़ियों के अटकने या रोके जाने के मामले कम होंगे, जबकि ग्राहकों की दिक्कतें दूर होंगी।

मौजूदा बजट में रेलवे के 4 अहम क्षेत्रों पर फोकस करने की बात कही गयी हैं-

क) यात्री सुरक्षा
ख) पूंजी और विकास कार्य
ग) सफाई और
घ) वित्त और लेखा सुधार

यात्री सुरक्षा

पिछले कुछ वर्षों से महसूस किया जा रहा था कि सुरक्षा को अपग्रेड करने के लिए अलग से निवेश इकाई की जरूरत है। ऐसा इसलिए, क्योंकि आंतरिक वित्तीय संसाधन सुरक्षा की फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहे। पहले भी

इस बजट में साल 2020 तक बिना आदमी वाले सभी फाटकों को खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। सड़क के ऊपर पुल और पुल के नीचे सड़क से जुड़ी क्रॉसिंग पर लोगों की तैनाती हो सकती है। इन सुरक्षा उपायों से कोट के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले फोम जैसी सामग्री की गुणवत्ता सुधर सकती है।

इसी तरह की कोशिश तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में हुई थी, जब 12 अप्रैल, 2001 को रेलवे सुरक्षा फंड बनाया गया था। इसका इरादा ज्यादा पुरानी पड़ चुकी संपत्तियों (खास तौर पर सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों) को हटाना था। मसलन पटरियों, पुल, सिग्नल गियर आदि। इसके लिए 17,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया था। इसके तहत पहचान किए गए कामों की सूची 'ग्रीन बुक' नामक किताब में बनाई गयी थी। मौजूदा बजट में फिर से सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए जरूरी चीजों की पहचान की गयी। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये के फंड से राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने का ऐलान किया गया। सरकार इसके लिए शुरुआती पूंजी मुहैया कराएगी और रेलवे

यह देखा जा सकता है कि 2014-15 से 2017-18 में प्लान खर्च तकरीबन दोगुना हो गया। 2014-15 में जहां यह आंकड़ा 65,798 करोड़ रुपये था, वहीं 2017-18 में यह 1,31,000 करोड़ रुपये हो गया। यह देश की जीवनरेखा माने जाने वाले भारतीय रेलव को लेकर मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेल बजट के विलय से भारतीय रेलवे के डिविडेंट दायित्व का मामला भी खत्म हो गया, नतीजतन उसके पास 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपलब्धता होगी।

अपने राजस्व और बाकी साधनों से इसके लिए संसाधनों का इंतजाम करेगी। सरकार इस दिशा में साफ दिशा-निर्देश जारी करेगी। साथ ही, कोष की फंडिंग से विभिन्न सुरक्षा कार्यों पर अमल के लिए समय सीमा भी तय की जाएगी। सुरक्षा तैयारियों और रखरखाव की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपर्ट की भी मदद ली जाएगी।

यह एक साहसिक कदम और ऐसा विचार है जिस पर अमल का वक्त आ चुका है। इसका मतलब आईसीएफ डिजाइन वाले सभी कोचों को एलएचबी डिजाइन वाले कोचों से बदलना, पटरियों में गड़बड़ी का अग्रिम पता लगाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, पुराने पुलों को बदला जाना, सुरक्षित सिग्नल सिस्टम पेश करना और पटरियों पर मौजूद पुराने इंटरलॉकिंग सिस्टम को बदलना हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बिना आदमी वाले फाटकों पर दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। इस बजट में वर्ष 2020 तक बिना आदमी वाले सभी फाटकों को खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। सड़क के ऊपर पुल और पुल के नीचे सड़क से जुड़ी क्रॉसिंग पर लोगों की तैनाती हो सकती है। इन सुरक्षा उपायों से कोट के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले फोम जैसी सामग्री की गुणवत्ता सुधर सकती है।

राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की फंडिंग आयगत और पूंजीगत दोनों तरह के खर्चों से की जाएगी। आयगत खर्चों के तहत इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पूंजीगत खर्चों के तहत 19,000 करोड़ रुपये मुहैया कराने की बात है। इस कोष के लिए परियोजनाएं खास तौर पर सूचीबद्ध होंगी।

पूंजी और विकास कार्य

मौजूदा बजट में रेलवे के नियोजित खर्च में अच्छी बढ़ोतरी की गयी है और इसे 121,000 करोड़ से बढ़ाकर 131,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही, सकल बजटीय सहायता राशि को 46,355 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 55,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को भी बढ़ाने पर जोर है। हालांकि, आंतरिक संसाधन जुटाने का मामला व्यावहारिक स्तर पर 14,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल के इस मद के 14,715 करोड़ रुपये के आंकड़े से थोड़ा कम है। नियोजित खर्च और आंतरिक संसाधनों से जुटाई जाने वाली रकम के बारे में नीचे विस्तार से बताया जा रहा है।

17,136 करोड़ का संस्थागत वित्त शामिल है। इनोवेटिव प्रणाली से पहली बार फंड जुटाने की कोशिश की गयी। इसके बाद यह नियमित मामला बन गया। इसे दो साल के आंकड़ों से देखा जा सकता है।

यह देखा जा सकता है कि 2014-15 से 2017-18 में प्लान खर्च तकरीबन दोगुना हो गया। 2014-15 में जहां यह आंकड़ा 65,798 करोड़ रुपये था, वहीं 2017-18 में यह 1,31,000 करोड़ रुपये हो गया। यह देश की जीवनरेखा मानी जाने वाली भारतीय रेलवे को लेकर मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेल बजट के विलय से भारतीय रेलवे के डिविडेंट दायित्व का मामला भी खत्म हो गया, नतीजतन उसके पास 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपलब्धता होगी। हर फायदा रेलवे को हर साल मिलेगा।

कामों की सूची काफी आकर्षक है और इसमें रेलवे के विकास के अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बजट में 2017-18 के दौरान 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 2,800 किलोमीटर का था। विद्युतीकरण पर खासा जोर है। इसके तहत लक्ष्य को दोगुना कर 4,000 रूट किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 2,000 रुट किलोमीटर था। रेलवे की रणनीति अगले तीन साल में 'थ्रूपुट' में 10 फीसदी बढ़ोतरी की है। आसान शब्दों में कहें तो 'थ्रुपुट' का मतलब टन किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर का मिलाजुला रूप है। एक और क्षेत्र जो अहम बदलाव वाला साबित होगा, वह 'स्टेशनों का पुनर्विकास'है। भोपाल के पास हबीबगंज और गांधीनगर में इस दिशा में पहले ही शुरुआत हो चुकी है। 2017-18 के दौरान 'स्टेशनों का पुनर्विकास'के तहत कम से कम 25 स्टेशनों के लिए ठेके दिए जाने की उम्मीद है। 500 स्टेशनों पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां मुहैया कराकर इन्हें 'दिव्यांग फ्रेंडली' बनाया जाएगा। एक निश्चित समय सीमा के भीतर 700 स्टेशनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस सिलसिले में 300 स्टेशनों पर पहले ही शुरुआत हो चुकी है। 1000 मेगावॉट सौर ऊर्जा के मिशन के तहत 2,000 रेलवे स्टेशनों पर काम किया जाएगा। पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्रवाई के सबूत हैं और परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर के लिए नई रणनीति तैयार की गयी है। इससे राज्यों के सहयोग से परियोजनाओं के लिए इनोवेटिव फंडिंग का इंतजाम हो सकेगा और काम पर भी तेजी से अमल होगा। रेलवे 9 राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाएगा। निर्माण और विकास के लिए 70 परियोजनाओं की पहचान की गयी है।

बजट में 2017-18 के दौरान 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 2,800 किलोमीटर का था। विद्युतीकरण पर खासा जोर है। इसके तहत लक्ष्य को दोगुना कर 4,000 रूट किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 2,000 रुट किलोमीटर था।

स्वच्छता

भारतीय रेलवे में भी स्वच्छता पर काफी जोर रहा है। भारतीय रेल के लिए इसका मतलब स्वच्छ रेल पर नए सिरे से जोर है। रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सफर के दौरान स्वच्छता की कोशिशों का असर देखा जा सकता है। एसएमएस के जरिये कोच साफ करवाने की सेवा लोकप्रिय हो रही है। बजट में कोच मित्र सुविधा का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत एक इंटरफेस के जरिये कोच से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए रजिस्टर कराया जा सकता है। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों से शौचालय संबंधी गतिविधियां काफी आम हैं। इससे न सिर्फ गंदगी फैलती है, बल्कि यह खतरनाक भी है।

इस बजट में रेल किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। इसके बजाय यात्रियों के बीच डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी के जरिये बुक कराए जाने वाले ई-टिकटों पर सेवा शुल्क को वापस ले लिया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। रेलवे की तीन इकाइयों-आरएफसी, इरकॉन और आईआरसीटीसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

बजट में सभी रेल कोचों में 2019 तक जैव-शौचालय लगाने की बात कही गयी है। यह नया प्रयोग पूरा होने पर रेल पटरियों की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसी कोशिशों को और आगे जारी करने के लिए बजट में शौचालय और कचरे के पर्यावरण फ्रेंडली निपटारे के लिए पायलट प्लांट का खाका पेश किया गया है। नई दिल्ली और जयपुर रेलवे स्टेशनों पर बायोडिग्रेडेबल कचरे को ऊर्जा में तब्दील किया जा रहा है। साफ-सुथरे स्टेशन का असर आसपास भी होगा और उसके आसपास के इलाके भी बेहतर होंगे।

वित्त और लेखा सुधार

मार्च 2019 तक संग्रहण आधारित वित्तीय व्यवस्था पेश की जाएगी। बही-खाते की संग्रहण आधारित व्यवस्था के मुताबिक, राजस्व हासिल होने पर इसे आमदनी की तरह दिखाया जाता है। एकाउंटिंग के कैश आधारित व्यवस्था के तहत कैश हासिल होने पर राजस्व दिखाया जाता है। अक्रूअल आधारित व्यवस्था का एक अहम लाभ यह है कि यह संबंधित खर्चों के साथ राजस्व का मिलान करता है, ताकि एक निश्चित अवधि के अंदर कारोबारी लेन-देन का पूरा असर देखा जा सके। एकाउंटिंग सुधार से रेलवे को वैसी सभी सेवाओं के मूल्य का ज्यादा सटीकता से आकलन करने में मदद मिलेगी, जो वह मुहैया कराता है।

इस बजट में रेल किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। इसके बजाय यात्रियों के बीच डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी के जरिये बुक कराए जाने वाले ई-टिकटों पर सेवा शुल्क को वापस ले लिया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। रेलवे की तीन इकाइयों-आरएफसी, इरकॉन और आईआरसीटीसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

प्राप्तियां और खर्च

रेलवे बजट के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करने के बाद अब हम 2017-18 से जुड़ी प्राप्तियां और खर्च को देखते हैं, जो नीचे दिया गया है:

2017-18 के बजटीय अनुमान में 188,988 करोड़ रुपये की सकल ट्रैफिक प्राप्ति 2016-17 के संशोधन अनुमान के मुकाबले 16,843 करोड़ रुपये ज्यादा है। मुसाफिरों के जरिये कमाई 2016-17 के संशोधन अनुमान के मुकाबले 2,125 करोड़ रुपये ज्यादा है, लेकिन यह 2016-17 के बजटीय अनुमान से 887 करोड़ रुपये कम है। इसी तरह 2017-18 के बजटीय अनुमान में फ्रेट से जुड़ी कमाई संशोधित अनुमान

राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर के लिए नई रणनीति तैयार की गयी है। इससे राज्यों के सहयोग से परियोजनाओं के लिए इनोवेटिव फंडिंग का इंतजाम हो सकेगा और काम पर भी तेजी से अमल होगा। रेलवे 9 राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाएगा। निर्माण और विकास के लिए 70 परियोजनाओं की पहचान की गयी है।

2016-17 के मुकाबले 9,256 करोड़ रुपये ज्यादा और 2016-17 के बजटीय अनुमान से 224 करोड़ रुपये अधिक है। विविध आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जो 14,122 करोड़

तालिका 3: महत्वपूर्ण मदों में पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपये में)

मद	वास्तविक 2015-16	बजट 2016-17	संशोधित 2016-17	बजट 2017-18
पूंजीगत खर्च (बजटीय संसाधन)	13,248	11,963	13,660	11,533
नई लाइन (निर्माण)	3,407	3,276	3,721	3,091
लाइनों का बदलाव	2,950	4,782	1,423	2,543
लाइनों का दोहरीकरण	984	1,126	1,036	1,851
ट्रैफिक सुविधाएं, यार्ड में बदलाव और अन्य	4,240	5,448	6,150	2,006
रेलवे के डिब्बे और इंजन	6,325	7,000	7,000	8,000
लीज वाली संपत्तियां -पूंजीगत मद का भुगतान				
सड़क सुरक्षा काम	470	555	679	705
क) लेवल क्रॉसिंग	2,133	2,443	3,066	4,512
ख) सड़क ऊपर, नीचे पुल	5,586	4,000	6,740	9,961
पटरी पुनर्नवीनीकरण	520	589	592	746
पुल से जुड़ा काम	894	958	954	2,331
सिग्नल और दूरसंचार से जुड़े काम	245,054	293,596	278,590	306,498

नोट: ऊपर के आंकड़ों में दशमलव के बदले अगले पूर्णांक का इस्तेमाल किया गया है।

तालिका 4: सुरक्षा संबंधी मदों में खर्च (करोड़ रुपये में)

मद	बजट	संशोधित	बजट
पटरी रखरखाव	13,712	13,539	13,759
लोकोमोटिव	6,318	6,108	6,204
ढुलाई और मालगाड़ी के डिब्बे	14,312	14,351	14,734
प्लांट और उपकरण	8,112	7,832	7,947
ट्रैफिक	35	35	35
कुल राजस्व (सुरक्षा)	42,489	41,865	42,679

रुपये है। इसमें 2016-17 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 4,032 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि कमाई के लक्ष्य को व्यावहारिक स्तर पर रखा गया है और यह ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। कुल प्राप्ति (पूंजी और राजस्व) 3,06,498 करोड़ रुपये है, जो 2016-17 के संशोधित अनुमान से 27,908 करोड़ रुपये ज्यादा है, जबकि 2016-17 के बजटीय अनुमान से 12,903 करोड़ रुपये अधिक।

राजस्व खर्च का भी व्यावहारिक स्तर पर आकलन किया गया है और 2017-18 के बजट प्रस्तावों में इसमें 15,390 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 1,78,350 करोड़ रुपये रखा गया है। रेलवे ने सामान्य कामकाजी खर्चों को नियंत्रित करने के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है और 2016-17 के संशोधित अनुमान में यह आंकड़ा 1,22,760 करोड़ रुपये रहा। यह रकम 2016-17 के बजट अनुमानों से 800 करोड़ रुपये कम है। 2017-18 के बजट प्रस्ताव में सामान्य कामकाजी खर्चों के लिए 1,29,750 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। 2017-18 के बजट प्रस्ताव में 8,948 करोड़ के शुद्ध राजस्व का लक्ष्य रखा गया है, जो 2016-17 के संशोधित अनुमान से 1,253 करोड़ रुपये ज्यादा है। हालांकि, यह 2015-16 के वास्तविक आंकड़ों से काफी कम है, जब शुद्ध राजस्व 19,228 करोड़ रुपये था। परिचालन अनुपात के लिए 94.6 फीसदी का लक्ष्य रखा गया है, जो 2016-17 के संशोधित अनुमान के आंकड़े 94.9 फीसदी से थोड़ा कम है। यह चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि दिसंबर 2016 के आखिर में परिचालन अनुपात 109.06 फीसदी रहा। बजट में इस दिक्कत की पहचान की गयी है। इसमें कहा गया है कि रेलवे का शुल्क लागत, सेवाओं की गुणवत्ता, सामाजिक उत्तरदायित्व और परिवहन के बाकी साधनों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा।

रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सफर के दौरान स्वच्छता की कोशिशों का असर देखा जा सकता है। एसएमएस के जरिये कोच साफ करवाने की सेवा लोकप्रिय हो रही है। बजट में कोच मित्र सुविधा का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत एक इंटरफेस के जरिये कोच से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए रजिस्टर कराया जा सकता है।

जैसा कि तालिका 3 में देखा जा सकता है, नई लाइनों को तैयार करने से जुड़ी आवंटित राशि को मामूली तौर पर घटाकर 11,533 करोड़ रुपये कर दिया गया है। छोटी लाइनों को बड़ी करने से जुड़े आवंटन को भी घटाकर 3,091 करोड़ रुपये कर दिया या है, क्योंकि इस बाबत ज्यादा काम अब नहीं बचा है। लाइनों के दोहरीकरण से जुड़े आवंटन में बढ़ोतरी की गयी है। इस मद में 2,543 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2016-17 के संशोधित अनुमान 1,423 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है। इसी तरफ ट्रैफिक सुविधाओं से जुड़े आवंटन को बढ़ाकर 1,851 करोड़ रुपये कर दिया है, जो आंकड़ा 2016-17 के संशोधित अनुमान में 1,851 करोड़ रुपये था।

सड़क सुरक्षा नेटवर्क पर खर्च में बड़ी बढ़ोतरी की गयी है। खास तौर पर पुलों के नीचे और ऊपर की सड़कों के मामले में। इस बाबत आवंटन बढ़ाकर 4,512 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पहले 3,066 करोड़ रुपये था। पटरियों को नया करने की श्रेणी के फंड में बड़ी बढ़ोतरी की गयी है। 2016-17 के लिए बजट आवंटन 4,000 करोड़ रुपये था, जिसे इस साल के संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 6,740 करोड़ रुपये कर दिया गया और 2017-18 के बजट अनुमानों में अब इसे बढ़ाकर 9,961 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे संकेत मिलते हैं कि पुरानी पटरियों को बदलने की दिशा में कारगर कोशिशें देखने को मिलेंगी। इसी तरह, पुल संबंधी गतिविधियों के लिए 2016-17 के संशोधित अनुमान में आवंटन 592 करोड़ रुपये था, जिसे 2016-17 के बजट प्रस्ताव में बढ़ाकर 746 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सिग्नल और दूरसंचार श्रेणी में भी बजट में जबरदस्त यानि तकरीबन 145 फीसदी बढ़ोतरी की गयी है। 2016-17 के संशोधित अनुमान में यह आंकड़ा 954 करोड़ रुपये था, जो 2017-18 के लिए बजट प्रस्ताव में बढ़कर 2,331 करोड़ रुपये हो गया। रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के अलावा सुरक्षा को सुधारने की पारंपरिक कोशिशों पर भी अमल जारी रहेगा। पटरी, लोकोमोटिव, कोच, पुल और सिग्नल जैसे विभिन्न श्रेणियों के तहत भी सुरक्षा संबंधी खर्च होंगे। सुरक्षा संबंधी गतिविधियों (सुरक्षा कोष के खर्च से अलग) के लिए 42,679 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो 2016-17 के संशोधित अनुमान से 814 करोड़ रुपये ज्यादा है।

नए अवतार में बजट भारतीय रेलवे की सेवाओं को सुधारने में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है, जो देश का ग्रोथ इंजन है। ❑

तालिका 5: गतिशीलता का लक्ष्य (10 लाख किलोमीटर में)

मद	2015-16	2016-17		2017-18
	वास्तविक	बजटीय अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट
यात्री किमी.	1,143,039	1,137,298	1,157,637	1,159,900
नेट किमी.	654,481	694,607	621,247	675,622

संदर्भ

1. बजट दस्तावेज 2017-18
2. रेल मंत्रालय के सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़े

IAS/PCS
2017-18

ICS

www.icsias.com

अशोक सर के नेतृत्व मे भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक एक साथ एक मंच पर

- ✓ क्लासरूम प्रोग्राम
- ✓ व्यक्तिगत मार्गदर्शन
- ✓ प्रतिदिन समाचार पत्र विश्लेषण
- ✓ ऑनलाईन सपोर्ट
- ✓ करेंट अफेयर्स क्लासेज़
- ✓ अपडेटेड स्टडी मैटेरियल
- ✓ UPSC/PCS कार्यक्रम
- ✓ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

सामान्य अध्ययन

प्रत्येक माह नया बैच प्रारंभ

Prelims -2017

प्रारंभिक परीक्षा हेतु एक विशेष कार्यक्रम

प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रमुख क्षेत्रों का रिफ्रेशर कोर्स
करेंट अफेयर्स पर विशेष 'फोक़स'
प्रतिदिन टेस्ट के साथ व्यापक परिचर्चा

कक्षा प्रारंभ
27th March

Note :- 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ICS के सभी पुराने छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था

HEAD OFFICE: 625, 1st Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
PH.: 011-45094922 Mob.: 8750908822/55/77

सुरक्षा व संरक्षा के साथ रेल का संतुलित विकास

अरविंद कुमार सिंह

आम बजट 2017-18 में रेलवे के भविष्य के लिहाज से सबसे बड़ा फैसला 1 लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाना है जिसे 5 वर्षों के भीतर क्रियान्वित किया जाना है। इसके अलावा 800 किमी नयी रेल लाइनें बिछाना, 900 किमी लाइनों का आमान परिवर्तन और 1800 किमी लाइनों के दोहरीकरण का लक्ष्य हैं। साथ ही 400 किमी. लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण पर भी खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही लिफ्ट और एस्केलेटरों की व्यवस्था करते हुए 500 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के अनूकूल बनाया जाएगा

पहली बार आम बजट में समाहित होने के कारण भले ही रेलवे के बजट पर पहले जैसी व्यापक चर्चाएं न हो सकी हों पर इस बार बजट में समग्र रूप से रेल संरक्षा और सुरक्षा की गंभीर चिंताएं नजर आती हैं। वहीं दूसरी कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भी उचित ध्यान दिया गया है। 2017-18 के आम बजट में केंद्रीय परिवहन तंत्र में सरकार ने रेलवे को ही सबसे अधिक तवज्जो देने के साथ तमाम चुनौतियों पर गौर किया है। वित्त मंत्री ने इसी के साथ यह संकेत भी दिया है कि भविष्य में सरकार समन्वित परिवहन ढांचे पर जोर देते हुए पोत परिवहन, राष्ट्रीय जलमार्गों, राजमार्गों और अन्य सेवाओं की प्राथमिकता तय करेगी। आम बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए तीन लाख 96 हजार 135 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इसमें से रेलवे की कुल पूंजी और विकास संबंधी व्यय एक लाख 31 हजार करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें से भारत सरकार 55 हजार करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अब रेलवे, सड़कों, जलमार्गों और नागरिक उड्डयन में होने वाले निवेश में सामंजस्य बिठाने की स्थिति में आ गया है। इस बजट में सरकार ने रेलवे के चार प्रमुख क्षेत्रों सुरक्षा, पूंजीगत और विकास कार्यों, स्वच्छता और वित्त तथा लेखा सुधारों पर फोकस रखने की बात कही है।

पर आम बजट 2017-18 में रेलवे के भविष्य के लिहाज से सबसे बड़ा फैसला एक लाख करोड़ रुपये राशि का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाना है। इसको पांच वर्षों के भीतर क्रियान्वित किया जाना है। इसके तहत सालाना बीस करोड़ रुपये व्यय होंगे। रेलवे को सुरक्षा और संरक्षा के लिहाज से सक्षम बनाने के लिए कई कदमों को उठाने की तत्काल जरूरत है। हाल के रेल हादसों की वजह से रेलवे की काफी आलोचना भी हुई है और काफी जन और धन की हानि भी हुई। इसे देखते हुए सरकार ने जो राष्ट्रीय कोष बनाया है, उसे काफी अहम कदम माना जा सकता है। इसका वित्त पोषण सरकार की ओर से प्राप्त सीड कैपिटल, रेलवे के अपने संसाधन और दूसरे स्रोतों से होगा। सरकार की योजना है कि 2020 तक मानवरहित समपारों को समाप्त किया जाएगा और सुरक्षा तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला भी किया गया है।

आम बजट 2017-18 में 3500 किमी लंबी रेल लाइनों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 800 किमी लंबी रेल लाइनें बनेंगी, जबकि 900 किमी लाइनों का आमान परिवर्तन होगा और 1800 किमी रेल लाइनों का दोहरीकरण होगा। रेलवे 2017-18 में 290 डीजल इंजन हासिल करेगी और 4695 नए कोचों के साथ 12,000 नए डिब्बे भी खरीदेगी। वित्तीय वर्ष में 3600 किमी रेल पथ नवीकरण और 4000 किमी रेल लाइन का विद्युतीकरण शामिल है। 2016-17 से तुलना करें तो ये लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी हैं। रेल मंत्रालय पर्यटन और तीर्थाटन के लिए नयी समर्पित रेलगाड़ियां भी चलाने जा रहा है। इससे जहां एक ओर इस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास होगा वहीं रेलवे के लिए राजस्व सृजन का एक नया जरिया

लेखक रेल मंत्रालय के पूर्व सलाहकार तथा संचार व परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय की परियोजना के तहत *भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन का इतिहास* के लेखक भी रहे हैं। ईमेल: arvindksingh.rstv@gmail.com

रेल बजट-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2017 से रेल बजट को आम बजट में समाहित कर एक नया इतिहास रचा गया है। अंग्रेजी राज में सन् 1924 से ही रेल बजट पेश होता आ रहा था। संसद के बजट सत्र में पहले रेल बजट और चंद रोज बाद आम बजट पेश करने की परिपाटी थी।

अंग्रेजी राज में रेल बजट को आम बजट से अलग करने को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही थी। यहां रेलवे का आरंभ उन निजी कंपनियों ने किया था, जिनके मुख्यालय लंदन में थे। ये कंपनियां ही रेल लाइनों का निर्माण और संचालन करती थीं और सरकार ने उनको मुनाफे की गारंटी दी हुई थी। पर हालत संतोषजनक न होने के नाते आम बजट से अलग रेल बजट की मांग 1884 से उठनी आरंभ हुई। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भारतीय सदस्यों की मांग थी कि रेलवे के व्यय और नीतिगत मुद्दों पर विधान मंडल का नियंत्रण होना चाहिए।

इन तथ्यों के मद्देनजर 1920 में एकवर्थ समिति गठित हुई जिसने माना कि सरकार रेलों के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी देने में विफल रही है। अगर रेलवे का बजट सामान्य बजट से अलग रहा होता तो वह तेज गति से विकास कर सकती थी। एकवर्थ समिति के विचार से 1922 में सर मेलकान की अध्यक्षता वाली रेलवे वित्त समिति और इंचकैप समिति ने भी सहमति जतायी। ऐसे में सरकार को रेल बजट अलग करने का फैसला करना पड़ा। इसी के तहत दिल्ली में तत्कालीन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने 20 सितंबर 1924 को इसकी मंजूरी दी। रेलवे का समाहित आखिरी आम बजट 1923-24 का था जो 262 करोड़ रुपये राशि का था। इसमें से 82 करोड़ रुपये का बजट रेलवे का था, जो कुल बजट का 31 फीसदी बैठता था।

रेल बजट अलग होने के दौरान भारतीय रेल के पास 38,579 मील रेल लाइनें थीं और उसकी आय 3875 लाख रुपये थी। सबसे अधिक 3412 लाख रुपये की आय तीसरे दर्जे के मुसाफिरों से होती थी। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री के रेल मंत्री काल में 1952 में तीसरा दर्जा समाप्त कर दिया गया। आगे तमाम रेल मंत्रियों ने नए प्रयोग किए। आम बजट में रेल बजट को समाहित करना मोदी सरकार के सुधारों के एजेंडे में अहम माना जा रहा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी पहल की थी। नीति आयोग के सदस्य बिवेक देबरॉय ने भी इसके पक्ष में दलीलें दी थीं। इसके बाद काफी सोच विचार कर सरकार ने 92 साल पुरानी अलग बजट की परंपरा को समाप्त कर दिया। 1 फरवरी, 2017 को रेलवे को समाहित पहला आम बजट पेश किया गया।

वित्तमंत्री अरुण जेटली का मानना है कि नयी व्यवस्था के बाद भी रेलों की अलग पहचान बरकरार रहेगी और उसे मिलने वाली सहायता में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। उसके वित्तीय अधिकार यथावत हैं और उलटे विलय के बाद उसे भारत सरकार को लाभांश भुगतान से छूट मिल गयी है। पर इस कदम को लेकर कई सवाल भी उठे हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि नयी व्यवस्था से रेलवे कितनी चाक चौबंद हो रही है।

भी विकसित होगा। इसमें अगले तीन वर्षों में 10 फीसदी बढ़ोतरी होगी।

रेलवे ने नौ राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है। इसके निर्माण और विकास के लिए 70 परियोजनाओं की पहचान की गयी है। रेल मंत्री की पहल पर राज्यों की साझेदारी में संयुक्त उद्यम बनाना आधारभूत ढांचे और वंचित इलाकों के हिसाब से एक बेहतर कदम हो सकता है। इसके तहत 5300 किमी नयी लाइनों के निर्माण के लिए 44 नयी साझेदारी को बीते साल ही अंजाम दिया गया था। इसमें 92 हजार करोड़ से अधिक राशि व्यय होगी और रेलवे के कायाकल्प में मदद मिलेगी।

रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर भी इस बजट में खास ध्यान दिया गया है। रेलवे इसके लिए एक दशक से कोशिश कर रही थी लेकिन पहली बार यह साकार हो रहा है। इसके तहत 2017-18 में 25 स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। 8 फरवरी, 2017 को सरकार ने 23 बड़े स्टेशनों के पुनर्निमाण की योजना को हरी झंडी दिखा दी। इससे रेलवे को अधिशेष जगह के व्यावसायिक उपयोग से काफी आय होने की संभावना है। पहले चरण में चेन्नई सेंट्रल, रांची, उदयपुर, इंदौर, बंगलुरू, जम्मू तवी, सिकंदराबाद और भोपाल जैसे स्टेशन शामिल हैं। पीपीपी के तहत यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे 10 हजार करोड़ रुपये की आय सृजित होगी। इसके साथ ही रेलवे ने लिफ्ट और एस्केलेटरों की व्यवस्था करते हुए 500 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए पहचान की है। रेलवे ने सात हजार स्टेशनों पर सौर विद्युत की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है। तीन सौ स्टेशनों पर इसकी शुरुआत की गयी थी और अब एक हजार मेगावाट सौर मिशन के भाग के रूप में दो हजार रेलवे स्टेशनों पर काम आरंभ किया जाएगा।

आम बजट में स्वच्छता पर भी रेलवे का खास ध्यान है। एसएमएस आधारित '*क्लीन माई कोच*' सेवा आरंभ की गयी है। कोच संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली '*कोच मित्र*' आरंभ करने का प्रस्ताव भी किया गया है। 2019 तक सभी कोचों में बॉयो टॉयलेट लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

इन योजनाओं के साथ ही भारतीय रेल को निजी क्षेत्र के वर्चस्व वाले परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला भी लिया गया है। इसके तहत चुनिंदा वस्तुओं के लिए पूरी तरह एकीकृत ढुलाई समाधान और प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा पर जोर है। इसके तहत लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ भागीदारी कर रेलवे हर तरह की कनेक्टिविटी सुलभ कराएगी और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए विशेष चलस्टाक सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। यह भी एक उल्लेखनीय बात है कि मुद्राहीन आरक्षण अब 68 फीसदी के स्तर पर आ गया है और कई नए सकारात्मक कदम उठते दिख रहे हैं। सरकार ने रेलवे के लिए ई-टिकट पर से सेवा कर समाप्त कर दिया है। इस प्रोत्साहन का और फायदा होगा।

आम बजट में रेलवे के परिचालन अनुपात को बेहतर बनाने के साथ कई नए उपायों पर जोर है। लागत, सेवा की गुणवत्ता, सामाजिक

आम बजट में स्वच्छता पर भी रेलवे का खास ध्यान है। एसएमएस आधारित 'क्लीन माई कोच' सेवा आरंभ की गयी है। कोच संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली *'कोच मित्र'* आरंभ करने का प्रस्ताव भी किया गया है। 2019 तक सभी कोचों में बॉयो टायलट लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

दायित्वों और परिवहन के दूसरे साधनों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर ढुलाई दरें तय की जाएंगी। इसी तरह जल्दी ही नयी मेट्रो रेल नीति भी घोषित होगी और मौजूदा कानूनों को तर्कसंगत बनाते हुए नया मेट्रो रेल अधिनियम बनाया जाएगा। इससे निजी भागीदारी और निवेश का रास्ता प्रशस्त होगा।

रेलवे ने 2017-18 में 1165 मिलियन टन माल लदान का लक्ष्य रखा है। यह 2016-17 के संशोधित अनुमान से 71.50 मिलियन टन अधिक है। माल लदान से आय करीब 1.18 लाख करोड़ और यात्री यातायात से 50 हजार 125 करोड़ रुपये की आय परिकल्पित है। इस तरह रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियां एक लाख 88 हजार 998.37 करोड़ रुपये होंगी। इसमें से सामान्य कार्यकारी व्यय 1,29,750 करोड़ के साथ कुल राजस्व व्यय 1,80,550 करोड़ रुपये आंका गया है। ये आंकड़े रेलवे के समक्ष चुनौतियों को दर्शाने के लिए काफी हैं। फिर भी राजस्व व्यय 2017-18 में 1.31 लाख करोड़ रुपये रखा गया है जो कि 2016-17 से 10 हजार करोड़ रुपये अधिक है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रेल काफी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। हाल की कुछ भयानक रेल दुर्घटनाओं ने रेलवे की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। हालांकि कुछ दुर्घटनाओं का संबंध आतंकवादी हरकतों के साथ रहा है। पर रेलवे का परिचालन अनुपात 94 तक हो जाना गंभीर है। वेतन बिल और पेंशन मद में राशि बढ़ती जा रही है जबकि लंबित परियोजनाओं की लागत बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। रोज करीब ढाई करोड़ से अधिक मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने वाली भारतीय रेल में सेवाओं का स्तर भी प्रभावित हो रहा है।

वैसे तो सरकार ने दावा किया था कि आम बजट में समाहित होने के बाद भी रेलवे की स्वतंत्र हैसियत, स्वायत्तता और पहचान बरकरार रहेगी और उसे मिलने वाली सहायता में कमी नहीं होगी। उसे अब भारत सरकार को लाभांश भुगतान करने से भी छूट मिल गयी है। पर सातवें वेतन आयोग ने रेलवे पर चालीस हजार करोड़ रुपये का दबाव डाला है। वहीं यात्री सेवाओं का घाटा बढ़कर 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। भारतीय रेल अपनी यात्री सेवाओं के घाटे को माल सेवाओं की कमाई से पूरा करती है। भारतीय रेल की तुलना में चीन में यात्री किराए 2.7 गुना, जर्मनी में 6.2 गुना और जापान में 9.4 गुना अधिक हैं। आज रेलवे के समक्ष सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती 2019 तक सालाना डेढ़ अरब टन तक माल वहन क्षमता बढ़ाने की है। इसके लिए बहुत कुछ करने और संसाधन जुटाने की जरूरत है।

विश्व का सबसे बड़ा परिवहन तंत्र भारतीय रेल आज देश की लाइफलाइन है। अपने आठ हजार से अधिक स्टेशनों से यह रोज ढाई करोड़ के करीब मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाती है। यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। पर खासकर 1996 के बाद आई गठबंधन सरकारों में राजनीति पर दबदबा रखनेवालों ने रेल बजट का इस्तेमाल अपनी छवि बनाने में किया था। रेल मंत्रालय अक्सर क्षेत्रीय दिग्गजों के अधीन रहा, इसलिए रेल बजट में रेल मंत्री की राजनीतिक प्राथमिकताओं को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती रही है।रेल मंत्रालय तेज रफ्तार पर भी जोर दे रहा है। अभी हमारी रेलों की अधिकतम रफ्तार 160 किमी है। रेल मंत्री चाहते हैं कि विशेषज्ञ ऐसी तकनीक इजाद करें। जिससे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में बारह घंटे से ज्यादा समय न लगे। साथ ही बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा और संरक्षा चाहिए ही। साथ ही प्रधानमंत्री के सुझाव के तहत रेलवे जिन खास प्राथमिकताओं पर काम कर रही है वे इस प्रकार हैं।

1. पांच साल में मॉडल शेयर बढ़ाकर 37 फीसदी करना
2. एक दशक में 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश से रेलवे का आकार तीन गुना करना
3. पांच साल में संचालन लागत 10 फीसदी तक बढ़ाना
4. गैर भाड़ा आय पांच साल में 15 फीसदी तक बढ़ाना।
5. पांच साल में कम से कम 100 स्टेशनों का विकास, विज्ञापन और दूसरे साधनों से विकास
6. शून्य दुर्घटना का लक्ष्य।

इस बजट में भारतीय रेल का एक लाख करोड़ रुपये का संरक्षा कोष स्थापित करना मील का पत्थर माना जा सकता है। इसके पहले भारतीय रेल ने 1995 में बीती सदी के सबसे भयानक फिरोजाबाद रेल दुर्घटना के बाद कई उपाय किए थे। बाद में रेलवे मंत्रालय ने संरक्षा में भी काफी धन खर्च किया है। सबसे अधिक काम 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सृजित 17 हजार करोड़ रुपये की संरक्षा निधि से हुआ। इस निधि का फायदा काफी समय तक रेलवे को मिला था लेकिन बाद में हालत चिंताजनक होती गयी। हाल के वर्षों में टक्कर रोधी उपकरणों की स्थापना, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, सिगनलिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण, संचार प्रणाली में सुधार किया गया पर यह सब छोटे-छोटे खंडों तक सीमित रहा।

हाल में आतंकवाद और उग्रवाद के चलते भारत में ही नहीं दुनिया भर में रेलों का संचालन बहुत कठिन होता जा रहा है। रेलगाड़ियां इनका आसान लक्ष्य बनती जा रही है। इस नाते रेल प्रणाली की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भारत में कई इलाकों में आतंकवाद और उग्रवाद गंभीर चुनौती बना हुआ है। इससे निपटने के लिए इंटीग्रेटेड सिक्युरिटी सिस्टम के तहत कई काम हो रहे हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। ❑

भारतीय रेल अपनी यात्री सेवाओं के घाटे को माल सेवाओं की कमाई से पूरा करती है। भारतीय रेल की तुलना में चीन में यात्री किराए 2.7 गुना, जर्मनी में 6.2 गुना और जापान में 9.4 गुना अधिक हैं। आज रेलवे के समक्ष सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती 2019 तक सालाना डेढ़ अरब टन तक माल वहन क्षमता बढ़ाने की है। इसके लिए बहुत कुछ करने और संसाधन जुटाने की जरूरत है।

निश्चय IAS Academy

दर्शनशास्त्र

द्वारा

यशवंत सिंह सर

1400 + सफल विद्यार्थियों का मार्गदर्शन

17 March 9:00 am | **18 March 6:00 pm**

G.S.

FOUNDATION BATCH 3rd

17 March. 11:30 am

IAS-2015

वत्सला गुप्ता

मैं निश्चय आईएएस के यशवन्त सर की बहुत आभारी हूँ जिनके अथक प्रयास से एवं गाइडेंस से मुझे सिविल सेवा परीक्षा में जीएस पेपर एवं आप्सनल सब्जेक्ट पेपर की तैयारी में बहुत सहायता मिली। मुख्य परीक्षा के बाद इण्टरव्यू में इनके मार्गदर्शन से बहुत लाभ मिला एवं इनकी जानकारी के ज्ञान से मुझे सिविल सर्विस परीक्षा 2015 में सफलता प्राप्त हुई मैं पुनः निश्चय आईएएस के श्री यशवन्त सर का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।

वत्सला गुप्ता
Roll No. 0340607
Rank - 173

UPPCS-2015

मंगलेश दुबे

मैं मंगलेश दुबे UPPCS 2015 में अंतिम रूप से 2nd रैंक पर सफल रहा हूँ। यदि आज मैं इस सफलता की समीक्षा करता हूँ तो ईश्वर, अभिभावक, दोस्तों, और गुरुजनों के साथ ही साथ निश्चय IAS Academy के यशवंत सर सर्वप्रथम स्मरण में आते है क्योंकि उन्होंने परीक्षा के तीनो स्तर पर पूर्ण साथ दिया है। सर से हमेशा ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा मुझे मिलती रही। दर्शन तथा सामान्य अध्ययन के प्रति मेरा दृष्टिकोण तथा लेखन शैली मुझे सर के सानिध्य में ही प्राप्त हुई। मेरी इस सफलता में यशवन्त सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।

Ph. : 011-47074196, 9891352177, 9971035665

Head Office Delhi :- 102, 103, 1st Floor, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9 (Near Batra Cinema, Police Chowki)

Branch Office Jaipur :- S-5 Shri Gopal Nagar, Main Gopalpura Bypass Road Near Gurjar Ki Thadi Jaipur

visit our website: www.nischayias.in

link:- nishchay.ias.3

भारतीय अर्थव्यवस्थाः एक पड़ताल

रवींद्र एच ढोलकिया

सभी ताकतों को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम से दीर्घावधि में 8 से 10 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि की संभावना है। इसी कारण इस समय भारत में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल सभी समतुल्य एवं प्रतिस्पर्द्धी देशों की अपेक्षा सर्वाधिक आकर्षक है। समीक्षा में अर्थव्यवस्था की यह महत्वपूर्ण ताकत छूट गयी है कि भारत में सभी स्तरों पर पूर्णतया स्वीकृत लोकतंत्र रहा है, जिसमें अच्छी तरह विकसित संस्थाएं हैं और जनता की व्यापक सहभागिता वाला प्रशासन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह खूबी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए बहुत मायने रखती है

संसद में 31 जनवरी, 2017 को पेश की गयी आर्थिक समीक्षा 2016-17 हाल के घटनाक्रमों को केंद्र में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आकलन प्रस्तुत करती है। यह गहन शोध तथा अनुभवजन्य प्रमाणों के साथ तर्क प्रस्तुत कर समस्याओं, चुनौतियों, संभावित समाधानों तथा संभावनाओं का विश्लेषण करती है। यह बड़ी कवायद होती है, जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं तथा विद्वानों का योगदान होता है। पिछले दो वर्षों से उलट इस वर्ष समीक्षा को केवल एक भाग में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वर्ष 2016-17 के दौरान अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के व्यापक आकलन वाला दूसरा भाग बाद में अलग से लाने की योजना है। इसलिए समीक्षा में वर्तमान साहित्यिक अध्ययनों, प्रिंट तथा दृश्य मीडिया में आई टिप्पणियों तथा सरकारी विभागों एवं शोध संस्थानों में इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से किए गए नए शोधों की सहायता से भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकतों, कमजोरियों, अवसरों तथा खतरों के विश्लेषण, जिसे एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण भी कहते हैं, पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान आलेख ताकतों, कमजोरियों, अवसरों तथा जोखिमों की श्रेणियों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सामने आ रहे विशिष्ट बिंदुओं पर संक्षेप में विचार कर रहा है।

ताकत

1. निराशा भरे वैश्विक आर्थिक वातावरण एवं व्यापक मंदी के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ चमक बिखेरती है। हालांकि समीक्षा 2016-17 के दौरान 6.5 से 6.75 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त कर रही है, लेकिन मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का अनुमान है कि यह 7 प्रतिशत के आसपास रहेगी, जिससे देश विश्व की सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुद्रास्फीति की दर लगभग 4 से 5 प्रतिशत है और कम हो रही है। भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1 प्रतिशत से भी कम है और डॉलर तथा रुपये की विनिमय दर लगभग स्थिर है। विदेशी ऋण सुरक्षित सीमा के भीतर है और पिछले दो वर्षों से केंद्र तथा राज्य सरकारें राजकोषीय अनुशासन और सुदृढ़ीकरण की जिस राह पर चल रही हैं, उसमें *उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)* के साथ और उसके बगैर भी किसी तरह की ढिलाई की संभावना नहीं है।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार के उपायों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हो। 2015-16 में यह जीडीपी का 1.7 प्रतिशत था, जो 2016-17 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 3.2 प्रतिशत तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2016 तक बढ़कर 360 अरब डॉलर हो गया, जो भंडार की पर्याप्तता के मानक नियमों को पूरा करता है।

लेखक वर्ष 1985 से आईआईएम अहमदाबाद में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। भारत सरकार द्वारा गठित कई उच्च स्तरीय समितियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और मौद्रिक नीति समिति के भी सदस्य हैं। भारत सरकार के छठे वेतन आयोग (2006-08) के भी सदस्य रह चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में 140 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा 22 पुस्तकें और 47 मोनोग्राफ भी लिख चुके हैं। ईमेल: rdholkia@iima.ac.in

3. थोक मूल्य सूचकांक तथा खुदरा मूल्य सूचकांक द्वारा नापी जाने वाली मुद्रास्फीति की दरों के बीच 2015-16 में मौजूद बड़ा अंतर अब भरा जा चुका है और अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक मूल्य अब काफी हद तक स्थिर हो चुके हैं। इसके कारण सांकेतिक जीडीपी में वृद्धि भी बहाल हो गयी है, जो सरकार की राजस्व वृद्धि को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4. अधिक मूल्य वाले नोटों के सफल विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार में कमी, घरेलू वित्तीय बचत में वृद्धि तथा कर का दायरा बढ़ने जैसे दीर्घकालीन लाभ होने की संभावना है।
5. वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और इसके क्रियान्वयन से पूरे देश में एक ही बाजार बन जाएगा। कर का बेहतर अनुपालन होगा निवेश तथा वृद्धि में तेजी आएगी और अच्छे प्रशासन के तरीके अपनाए जाएंगे।
6. विश्व के विनिर्माण निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ रहा है क्योंकि पूंजी की अधिक आवक और उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद देश प्रतिस्पर्द्धी रहा है।
7. भारत में अंतरराज्यीय व्यापार के कारण वस्तुओं की आंतरिक आवाजाही जीडीपी की लगभग 54 प्रतिशत अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की 1.7 गुना है। इसी प्रकार कामकाज के कारण प्रवास भी बहुत अधिक है।
8. पेट्रोलियम और डीजल पर कर लगाकर भारत ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रतिबद्धता के मामले में अधिकतर देशों को पछाड़ दिया है।
9. जनांकिकी के मामले में भारत को दूसरे समतुल्य देशों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त है। विभिन्न बड़े राज्यों के जनांकिकी संबंधी अलग-अलग चरित्र यह सुनिश्चित करेंगे कि देश दूसरे अन्य देशों की तुलना में अपने चरम पर अधिक समय तक रहेगा।
10. लक्षित समूहों तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सीधे एवं प्रभावी रूप से पहुंचने के लिए देश में जैम- जन धन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल फोन द्वारा बहुत व्यापक नेटवर्क एवं बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है।
11. देश में समय बीतने के साथ सभी राज्यों में जीवन प्रत्याशा तथा प्रजनन दरों जैसे स्वास्थ्य संबंधी परिणाम एक दूसरे के समान हो रहे हैं।
12. सभी ताकतों को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम से दीर्घावधि में 8 से 10 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि की संभावना है। इसी कारण इस समय भारत में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल सभी समतुल्य एवं प्रतिस्पर्द्धी देशों की अपेक्षा सर्वाधिक आकर्षक है।

समीक्षा में अर्थव्यवस्था की यह महत्वपूर्ण ताकत छूट गयी है कि भारत में सभी स्तरों पर पूर्णतया स्वीकृत लोकतंत्र रहा है, जिसमें अच्छी तरह विकसित संस्थाएं हैं और जनता की व्यापक सहभागिता वाला प्रशासन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह खूबी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए बहुत मायने रखती है।

कमजोरियां

1. अर्थव्यवस्था की क्षमता के संदर्भ में उसकी एक बड़ी कमजोरी है आय एवं संपदा के पुनर्वितरण, सेवा आपूर्ति एवं बाजार विनियमन के लिए क्षमता निर्माण के संबंध में समाज की व्यापक विचारधारा, मानसिकता तथा विचार एवं संपत्ति संबंधी अधिकारों तथा निजी क्षेत्र की भूमिका के संबंध में भ्रम। इतिहास से विकसित निहित स्वार्थों के साथ मिलकर इसने ऐसा सामाजिक-राजनीतिक वातावरण तैयार किया है, जो अर्थव्यवस्था की पूर्ण आर्थिक क्षमता प्राप्त करने की दृष्टि से कम अनुकूल है।
2. केंद्र तथा राज्य सरकारों के पास भरपूर पुनर्वितरण नीतियां हैं, लेकिन उनमें प्रभावी लक्ष्य निर्धारण की कमी है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्वयन भी आवश्यकता से कमजोर संरचना एवं कार्यक्षमता के लिहाज से जटिल ढांचे से बाधित हो सकता है।
3. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की भूमिकाओं के संदर्भ में वैचारिक एवं दार्शनिक भ्रम ने बेकार की देरी करायी है और योजना से बाहर आने, सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश, दखल देने वाली नीतिगत पहलों, संपदा अधिकारों की रक्षा आदि के संबंध में बहसों को जन्म दिया है।
4. विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में से स्वास्थ्य तथा शिक्षा की आपूर्ति सभी राज्यों में दोहराए जाने योग्य कोई अच्छा नमूना उपलब्ध नहीं करा पायी है। इन सेवाओं की कुशल आपूर्ति बड़ी कमजोरी रही है।
5. निजी निवेश कम है और निर्यात ऊंची दर से नहीं बढ़ रहे हैं। ये दोनों वृद्धि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन भारत में बाद में दोनों ही काफी सुस्त पड़ गए हैं।
6. कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा वाणिज्यिक बैंकों को दबाव भरे बहीखातों ने एक साथ जकड़ लिया है। कंपनियां नये निवेश पर खर्च करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे अपना कर्ज चुकाने में नाकाम रही हैं तथा बैंक और उधारी देने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास भारी मात्रा में गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) इकट्ठी हो गयी हैं।
7. केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि स्पेक्ट्रम, विनिवेश और सरकार को प्राप्त लाभांश से मिलने वाली प्राप्तियां अपेक्षा से कम रह गयी हैं। निकट भविष्य में भी उनके बढ़ने की अपेक्षा नहीं है।
8. राज्य सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे भी बढ़ने लगे हैं। उदय योजना का क्रियान्वयन इसका महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि इस वर्ष से सुधार की आशा है, लेकिन राज्य बॉण्डों की जनवरी 2017 में हुई नीलामी में ब्याज की लागत अक्तूबर 2016 की अपेक्षा तेजी से बढ़ी है।
9. ऋण और जीडीपी के अनुपात में कमी लाने के लिए प्राथमिक घाटे को कम करने के बजाय उच्च वृद्धि दर पर अधिक निर्भरता ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को वांछित परिणाम नहीं दिए हैं।
10. विभिन्न जिलों के लिए सार्वजनिक राशि का वितरण इतना दोषपूर्ण है कि जहां गरीबों की संख्या के कारण अधिक आवश्यकता है, वहीं अधिक कमी देखी गयी है।
11. भारत में कामकाजी उम्र वाली आबादी तथा गैर कामकाजी उम्र वाली आबादी का अनुपात 2020 तक लगभग 1:7 होकर अपने अधिकतम मूल्य तक पहुंच

जाएगा। अन्य ब्रिक्स देशों में अधिकतम मूल्य की अपेक्षा यह खासा कम है, जिससे पता चलता है कि भारत में जनांकिकीय लाभांश कम है। भारत में यह अनुपात लंबे समय बाद ही अपने चरम तक पहुंचने की संभावना है।

12. हाल के वर्षों में देश में निवेश एवं बचत की दरें घटती जा रही हैं।
13. भारत में राज्यों के बीच आय एवं खपत की असमानता बढ़ती जा रही है।

अवसर

1. फंसे हुए संसाधनों को मुक्त करने के लिए कंपनियों की निकासी के वास्ते दिवालिया कानूनों में सुधार।
2. समावेश एवं निष्पक्षता के लिए सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधार कार्ड के कानूनी आधार को मजबूत करना एवं एक-दूसरे के साथ काम करने में सक्षम बनाना।
3. प्रतिस्पर्द्धी एवं सहकारी संघवाद में कौशल, निवेश एवं प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने की अकूत क्षमता है।
4. ढांचागत सुधारों का अधूरा एजेंडा मजबूत राजनीतिक संकल्प के बाद पूरा किया जा सकता है, विशेषकर बड़े मूल्य वाले नोटों को बंद किए जाने के बाद क्योंकि लंबे समय बाद सरकार को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त है।
5. अमेरिकी अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों के कारण मजबूत होता डॉलर चीन की अर्थव्यवस्था को अपने निर्यात घटाने तथा घरेलू खपत को बढ़ाने पर विवश कर सकता है। इससे भारत तथा शेष विश्व पर सकारात्मक प्रभाव होंगे। चीन द्वारा छोड़े गए स्थान को भरने के लिए भारत समेत विभिन्न देशों के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है।
6. अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों में उच्च वृद्धि की संभावनाएं भारत समेत विकासशील देशों से निर्यात में नई जान फूंक सकती हैं।
7. जहां तक श्रमोन्मुखी निर्यात की बात है, ब्रेक्सिट के बाद भारत के पास ब्रिटेन एवं यूरोप के साथ मुक्त व्यापार संधियों पर दोबारा बातचीत करने एवं निर्यात और रोजगार वृद्धि से अच्छा लाभ उठाने का अवसर है।
8. क्षेत्रीय व्यापार संधियों पर अमेरिका के प्रतिकूल रुख के कारण विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) तथा बहुपक्षीय व्यवस्था की प्रासंगिकता एवं प्रभाव बढ़ने की संभावना है, जिसका लाभ अंतत: भारत को ही मिलेगा।
9. भारत में बड़े राज्यों की जनांकिकी में बहुत अंतर हैं। राज्यों को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा जा सकता है: प्रायद्वीपीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक तथा भीतरी राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। प्रायद्वीपीय राज्यों में उम्रदराज आबादी अधिक है, जबकि भीतरी राज्यों में युवा आबादी अधिक है। जनांकिकी अंतरों से श्रम की अधिक आवाजाही के अवसरों का संकेत मिलता है, जिनसे अधिक वृद्धि होगी और कल्याण होगा।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों के कारण मजबूत होता डॉलर चीन की अर्थव्यवस्था को अपने निर्यात घटाने तथा घरेलू खपत को बढ़ाने पर विवश कर सकता है। इससे भारत तथा शेष विश्व पर सकारात्मक प्रभाव होंगे। चीन द्वारा छोड़े गए स्थान को भरने के लिए भारत समेत विभिन्न देशों के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्द्धी हो सकती है।

10. प्रायद्वीपीय राज्यों में जनांकिकी लाभांश 2020 के आसपास अपने चरम पर पहुंचेगा, लेकिन भीतरी राज्यों में यह 2040 तक ही चरम पर पहुंच सकेगा। इस तरह देश को अधिकांश अन्य देशों की तुलना में लंबे समय तक जनांकिकी लाभांश प्राप्त होगा। इससे समय के साथ ही राज्यों के मध्य आर्थिक अंतर को भरने का स्वाभाविक अवसर भी प्राप्त होगा। यह पहलू विशेष तौर पर बताता है कि ऐसे लाभ को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र संबंधित आर्थिक सुधार करना कितना आवश्यक है।
11. बड़े और कठिन मामले चुनकर एवं कठिन निर्णय लेकर *ट्विन बैलेंस शीट* की समस्या को सुलझाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र संपदा पुनरुद्धार एजेंसी गठित करने का अवसर है।

जोखिम

1. एक निश्चित समय के दौरान विभिन्न देशों के वृहद आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करते समय अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां उनकी रेटिंग सुधारने में एकसमान रुख नहीं दिखातीं। दुर्भाग्य से भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है और पिछले सात वर्षों में उसकी रेटिंग में संशोधन नहीं किया गया है, जबकि इस दौरान उसका प्रदर्शन बहुत सुधरा है। इससे देश में निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है।
2. संघीय लोकतंत्र में लोगों को लुभाने की प्रतिस्पर्द्धा राजकोषीय अनुशासन एवं प्रशासन के मानकों को क्षति पहुंचा सकती है।
3. वेतन वृद्धि तथा उदय बॉण्डों के कारण आयी चुनौतियां राजकोषीय अनुशासन के लक्ष्यों को बनाए रखने के मामले में राज्यों के लिए चिंता खड़ी कर रही हैं।
4. अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटना-क्रम एवं वातावरण तेजी से बदलकर अलगाव तथा संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं, सेवाओं तथा श्रम के वैश्वीकरण के विरोध का रुख हावी हो रहा है। लंबे समय में 8-10 प्रतिशत सकल जीडीपी वृद्धि के लिए निर्यात में 15-20 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने का भारत का एक विकल्प इससे कम हो सकता है।
5. तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें चढ़ रही हैं और जिस के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। किंतु समीक्षा में एक ओर तेल उत्पादन में कमी से होने वाली संभावित समस्याओं तथा दूसरी ओर अमेरिका में शेल गैस उत्पादन के खतरे, जिससे तेल की कीमतों पर अंकुश लग सकता है, पर इस पर कुछ नहीं कहा गया।
6. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों के कारण वैश्विक ब्याज दरें तथा मुद्रास्फीति दरें मजबूत हो रही हैं। इससे भारत में आने वाले और यहां से जाने वाली पूंजी प्रवाह पर तथा उसके फलस्वरूप निवेश के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

7. अमेरिकी अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों के कारण डॉलर में आ रही मजबूती से युआन का अवमूल्यन होता है तो इससे चीन में बड़ा ढांचागत परिवर्तन तथा उलटफेर हो सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारतीय व्यापार तथा निवेश पर भी पड़ेगा। अमेरिका तथा चीन के बीच संभावित व्यापारिक संघर्ष से विश्व अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है।
8. विश्व का निर्यात-जीडीपी अनुपात पिछले 6 वर्षों से कम हो रहा है। ऐसे निराशाजनक माहौल में विश्व निर्यात में भारतीय निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
9. विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे उभरते हुए देशों से गंभीर खतरा है। ये उभरते हुए देश निर्यात होने वाली जिंसों तथा सेवाओं की व्यापक श्रेणियों में भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं।
10. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के मामले में भारतीय मुद्रा अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत हो रही है और इसलिए भारतीय वस्तुएं तथा सेवाएं कुल मिलाकर अपनी प्रतिस्पर्द्धी बढ़त गंवा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार जनवरी 2014 की तुलना में अक्तूबर 2016 तक इसमें 19.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे 12 प्रतिशत और समीक्षा ने 8.3 प्रतिशत बताया है। अनुमानों में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि मुद्राओं के वर्ग में भारांश अलग-अलग होते हैं। किंतु तीन अलग-अलग एजेंसियों के अनुमानों से कितना भी अंतर हो, यह स्पष्ट है कि भारतीय रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर बढ़ रही है और इसलिए वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता घट रही है।
11. भारत का जनांकिकी लाभांश जल्द ही कम होने की संभावना है क्योंकि 2020 तक यह अपने चरम पर पहुंच जाएगा और चीन तथा ब्राजील की अपेक्षा चरम की अवधि कम होगी।

आर्थिक समीक्षा 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत, कमजोरियों, अवसरों तथा जोखिमों या खतरों की व्यापक समीक्षा की गयी है तथा चुनौतियों से निपटने एवं कमजोरियां दूर करने के लिए सटीक सुधार सुझाए गए हैं। समीक्षा में प्रयुक्त अनुभवजन्य प्रमाणों पर आधारित व्याख्या एवं निष्कर्षों के संदर्भ में अथवा ताकत या अवसर से संबंधित धारणा में मतभेद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए समीक्षा में तर्क दिया जाता है कि 'भारत में कामकाज के लिए आंतरिक प्रवास बहुत अधिक है' किंतु अनुभवजन्य प्रमाण बताते हैं कि देश के भीतर प्रवास करने वालों का 75 प्रतिशत हिस्सा केवल चार राज्यों (दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा) में पहुंचता है तथा प्रवास पर जाने वालों में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी केवल चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं मध्य प्रदेश) की है। शेष राज्यों से बड़ी संख्या में लोग कामकाज के लिए बाहर नहीं जाते। इन राज्यों में श्रमिकों की आवाजाही अधिक नहीं है। वस्तुओं तथा पूंजी की आवाजाही पर आधारित विश्लेषण में भी यही खामी दिखती है। इसलिए वस्तुओं, श्रम तथा पूंजी के तीव्र आंतरिक एकीकरण के कारण विभिन्न राज्यों में फैले खपत एवं आय के परिणामों के संबंध में समीक्षा जो पहेली पेश करती है, वह वास्तव में कोई पहेली है ही नहीं। अनुभवजन्य प्रमाणों के आवश्यकता से अधिक विश्लेषण के कारण यह पहेली खड़ी हुई है। ऐसी छोटी-मोटी खामियां छोड़ दी जाएं तो समीक्षा में सराहनीय कार्य किया गया है। ❑

फॉर्म-IV

योजना (हिंदी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व एवं भागीदारी तथा अन्य विवरण

(1) प्रकाशन का स्थान	:	नई दिल्ली
(2) प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
(3) मुद्रक का नाम	:	डॉ. साधना राउत
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
(4) प्रकाशक का नाम	:	डॉ. साधना राउत
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
(5) संपादक का नाम	:	ऋतेश पाठक
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
(6) उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001 का सम्पूर्ण स्वामित्व

मैं डॉ. साधना राउत एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक : 31.01.2017

(डॉ. साधना राउत)
प्रकाशक

अवसंरचना की मजबूती का बजट

कृष्ण देव

पीएमजीएसवाई के तहत वर्तमान लक्ष्य वर्ष 2019 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता निश्चित की गयी है और इस महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण योजना के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 19,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। राज्यों के योगदान सहित इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान पीएमजीएसवाई पर 27,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे

केंद्रीय बजट 2017-18 का मुख्य एजेंडा *ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया (टीईसी भारत)* है। इस एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए दस अलग-अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका लक्ष्य देश के किसान, ग्रामीण आबादी, युवा, गरीब और वंचित, आधारभूत संरचना, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवा, वित्तीय प्रबंधन और कर प्रशासन है। इस एजेंडे का अनुपालन करने और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वर्ष 2017-18 में 21,46,735 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

बजट 2017-18 में आधारभूत संरचना के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका लक्ष्य *दक्षता, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता* है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 3,96,135 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जोकि कुल बजटीय आवंटन का 18.45 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016-17 में यह आवंटन 3,48,952 करोड़ रुपये (बजटीय अनुमान) था, जिसे 2016-17 के संशोधित अनुमान में 3,58,634 करोड़ रुपये किया गया। इसका विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

आर्थिक मामलों के विभाग की राजपत्रित अधिसूचना (आधारभूत प्रभाग) (दिनांक-8 अक्तूबर, 2013) के अनुसार, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में परिवहन, ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, संचार और सामाजिक एवं वाणिज्यिक आधारभूत संरचना शामिल हैं।

परिवहन

बजट 2017-18 में रेल, सड़क, जहाजरानी और हवाई अड्डों सहित समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए 2,41,387 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो आधारभूत संरचना के कुल बजट का 61 प्रतिशत है। इस महत्वाकांक्षी और व्यापक निवेश से देशभर में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। अगर संभव हुआ तो यह अर्थव्यवस्था के पूरे परिदृश्य को रूपांतरित कर देगा। साथ ही, इससे अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की दर हासिल होगी, उत्पादकता बढ़ेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरी ओर कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनकी ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त कुछ कार्यों को समय-सीमा के भीतर समाप्त करना भी आवश्यक है।

सड़क

सड़क क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 में 57,976 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) का आवंटन किया गया था। इस साल इसे बढ़ाकर 64,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह परिवहन क्षेत्र के कुल आवंटन का 27 प्रतिशत है। इस राशि को विभिन्न चालू परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 2,000 किलोमीटर की तटीय कनेक्टिविटी वाली सड़कों को निर्माण और विकास के लिए चिह्नित किया गया है। इससे बंदरगाहों और दूरदराज के गांवों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी संभव होगी। इसके

लेखक वर्तमान में एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व योजना आयोग में सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं और 11वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाओं के प्रतिपादन से संबद्ध रहे हैं। राष्ट्रीय परिवहन नीति की उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में लेखक ने परिवहन क्षेत्र में एक दीर्घकालिक नीति तैयार करने में सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त वह विश्व बैंक और रिस्ट्स लिमिटेड के साथ भी कार्य कर चुके हैं। ईमेल: kd.krishnadev@gmail.com

तालिका 1: व्यय का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्षेत्र/मद	2016-17*	2016-17**	2017-18*
मौजूदा बाजार मूल्य पर जीडीपी /2011-12 सीरिज	1,50,75,429	1,50,75,429	1,68,47,544
कुल बजटीय व्यय	19,78,060	20,14,407	21,46,735
(इसमें) आधारभूत संरचना	3,48,952	3,58,634	3,96,135
(इसमें) परिवहन	2,16,268	2,16,903	2,41,387

** बजट अनुमान, ** संशोधित अनुमान* *स्रोत: बजट दस्तावेज 2017-18*

अतिरिक्त वर्ष 2014-15 से मौजूदा वर्ष तक 1,40,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं, *पीएमजीएसवाई* के तहत बनी सड़कों सहित, जोकि पिछले तीन वर्षों की तुलना में काफी अधिक हैं।

इसके अतिरिक्त मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और मल्टी मॉडल परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार और लागू किया जाएगा। इस प्रकार के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास पिछले कई वर्षों से लंबित था और इसके लिए किया जा रहा प्रयास स्वागत योग्य है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को पहले कभी इतनी तीव्रता से लागू नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की गति लगभग दोगुना हो गयी। वर्ष 2011-2014 में जहां प्रति दिन औसत 73 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था, वहीं वर्ष 2016-17 में प्रति दिन औसत 133 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित प्रखंडों में 100 से अधिक व्यक्तियों वाली बस्तियों को जोड़ने का कार्य भी हाथ में लिया है।

पीएमजीएसवाई के तहत वर्तमान लक्ष्य वर्ष 2019 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता निश्चित की गयी है और इस महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण योजना के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 19,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है (तालिका 3)। राज्यों के योगदान सहित इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान पीएमजीएसवाई पर 27,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अपवाद के साथ इस नेटवर्क के विस्तार का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के स्थान पर कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इस क्षेत्र में उपयुक्त समय पर ठेके देना, भूमि का अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी हासिल करना ही सबसे कठिन कार्य है। साथ ही निर्माण क्षमता की निरंतर कमी भी एक समस्या है।

सरकार को घरेलू विमानन कंपनियों के विदेशी स्वामित्व और संचालन से संबंधित नियमों की स्पष्टता और स्थिरता तय करनी होगी। इस विदेशी स्वामित्व से सस्ते कर्ज, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रबंधन एवं पहुंच जैसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है।

इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि सर्विस रोड्स का प्रावधान किया जाए। मोटरीकृत एवं गैर-मोटरीकृत यातायात के लिए उच्च क्षमता वाले गलियारों तथा पैदल यात्रियों/मवेशियों के चलने के लिए अंडरपास बनाना भी इस योजना में शामिल है। दूसरी ओर *पीएमजीएसवाई* से ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ हुआ है जिसके तहत बढ़ते यातायात के कारण ग्रामीण सड़कों की नयी कनेक्टिविटी और उन्नयन पर जोर दिया जाता है। वैसे इसमें एक कमी भी है। ग्रामीण सड़कों को बारहमासी कनेक्टिविटी देने के लिए कोई मजबूत प्रयास नहीं किए गए हैं।

इस बीच परिस्थितियों में सुधार के प्रयास लंबित हुए हैं जिनके कई कारण हैं- जैसे मंजूरियों में विलंब, अनेक प्रकार के प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों की मौजूदगी, निजी क्षेत्र की संलग्नता से संबंधित नियमों में निरंतर परिवर्तन, कठोर भूमि कानून और कौशल की कमी।

इसके अतिरिक्त सड़क विकास को परिवहन की एक एकीकृत मल्टी मॉडल प्रणाली से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि विस्तृत क्षेत्रीय यातायात और परिवहन सर्वेक्षण का कार्य नियमित रूप से किया जाए- संभव हो तो हर पांच वर्ष में एक बार।

हवाई अड्डे

हवाई अड्डा क्षेत्र में पिछले वर्ष 2,590 करोड़ रुपये का बजट आवंटन (बजट

तालिका 2: आधारभूत संरचना से संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा व्यय

(रुपये करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	2015-16#	2016-17*	2016-17**	2017-18*
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	46,913	57,976	52,447	64,900
रेल मंत्रालय	35,008	45,000	46,155	55,000
जहाजरानी मंत्रालय	1,324	1,531	1,454	1,773
नागरिक उड्डयन मंत्रालय	4,168	2,590	3,452	2,702
ऊर्जा मंत्रालय	7,735	12,253	10,476	13,881
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	31,287	29,160	30,241	29,158
संचार विभाग	20,485	18,414	24,272	26,687
पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	11,081	14,009	16,512	20,010

*# वास्तविक, * बजट अनुमान, ** संशोधित अनुमान* ***स्रोत:** बजट दस्तावेज 2017-18*

तालिका 3: केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवंटन

(रुपये करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	2015-16#	2016-17*	2016-17**	2017-18*
कुल बजटीय व्यय	17,90,783	19,78,060	20,14,407	21,46,735
मौजूदा बाजार मूल्य पर जीडीपी /2011-12 सीरीज	1,36,75,331	1,50,75,429	1,50,75,429	1,68,47,544

*# वास्तविक, * बजट अनुमान, ** संशोधित अनुमान* *स्रोत: बजट दस्तावेज 2017-18*

अनुमान) किया गया था, जोकि इस वर्ष बढ़ाकर 2,702 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लेकिन यह वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान 3,452 करोड़ रुपये से कम है। वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान में वृद्धि के बाद यह संकेत प्राप्त हुआ था कि हवाई अड्डा क्षेत्र में और अधिक आवंटन की जरूरत है क्योंकि इस क्षेत्र में सदैव अधिक राशि की जरूरत होती है। पिछले 20 वर्षों में भारतीय विमानन क्षेत्र में नाटकीय परिवर्तन हुआ है। नयी एयर लाइनें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए रूट्स को प्रारंभ कर रही हैं। हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जा रहा है। भारतीय हवाई अड्डों और एयर लाइनों में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानकों का प्रयोग किया जा रहा है।

एयर नेविगेशन सेवा (एएनएस) निरंतर उड्डयन सुरक्षा प्रदान करती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। महानगरों में व्यस्त हवाई क्षेत्रों में अधिक भीड़ बढ़ेगी और टर्मिनल गेट से तीव्र गति से प्रोसेसिंग के लिए नयी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ यह है कि लैंडिंस और डिपार्चर के बीच की दूरियों को कम करना होगा और और हवाई अड्डों के निकट के हवाई क्षेत्र में यातायात प्रबंधन के लिए अधिक परिष्कृत तरीकों को अपनाना होगा।

बजट 2017-18 का लक्ष्य यह है कि टियर 2 शहरों के चुनिंदा हवाई अड्डों का संचालन और रखरखाव पीपीपी मोड में किया जाए। इसके अतिरिक्त भूमि संपत्ति के प्रभावी मुद्रीकरण के लिए भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी (एएआई) अधिनियम को संशोधित करना होगा। इस प्रकार उगाहे गए संसाधनों को हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए उपयोग किया जाएगा। किंतु परिवर्तित होते समय के साथ आधुनिकीकरण के प्रावधान आम बजट से लापता हैं।

सरकार को घरेलू विमानन कंपनियों के विदेशी स्वामित्व और संचालन से संबंधित नियमों की स्पष्टता और स्थिरता तय करनी होगी। इस विदेशी स्वामित्व से सस्ते कर्ज, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रबंधन एवं पहुंच जैसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है।

यदि इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना है तो घरेलू विमानन कंपनियों के लिए निजी इक्विटी और ऋणानुदान से संबंधित आकलन हेतु नियम बनाए जाने चाहिए।

तालिका 4: केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र.	मंत्रालय/विभाग	2015-16#	2016-17*	2016-17**	2017-18*
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	18,290	19,000	19,000	19,000
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	11,603	20,075	20,936	29,043
	(क) पीएमएवाई: ग्रामीण	10,116	15,000	16,000	23,000
	(ख) पीएमएवाई: शहरी	1,487	5,075	4,936	6,043
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	4,370	5,000	6,000	6,050
4	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)	4,500	3,000	3,350	4,814
5	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	7,469	11,300	12,800	16,248
	(क) एसबीएम: ग्रामीण	6,703	9,000	10,500	13,948
	(ख) एसबीएम: शहरी	766	2,300	2,300	2,300
6	एकीकृत बिजली विकास योजना	1,002	5,500	4,524	5,821
7	शहरी पुनर्जीवन मिशन: अमृत-अटल पुनर्जीवन और शहरी परिवर्तन मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन	4,186	7,296	9,559	9,000
8	भारतनेट	–	–	6,000	10,000
9	एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	9,300	10,000	15,700	18,000
10	गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन	–	2,000	2,500	2,500
11	सड़क सुरक्षा कार्य	2,603	2,998	3,745	5,217
12	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एचडब्ल्यू का संवर्द्धन (एम-सिप्स और ईडीएफ) और मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर	52	70	50	745

*# वास्तविक, * बजट अनुमान, ** संशोधित अनुमान* *स्रोत: बजट दस्तावेज 2017-18*

जहाजरानी

भारत के बंदरगाह अपनी क्षमता से बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं और निकट भविष्य में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। विश्वव्यापी मंदी के बावजूद वर्ष 2011-12 में भारतीय बंदरगाह 80 प्रतिशत औसत की क्षमता से कार्य कर रहे थे और 12 प्रमुख बंदरगाहों में से चार बंदरगाह की उपयोगिता दर शत प्रतिशत थी।

भारत में निर्यात और आयात, जिसमें से अधिकतर बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है, में पिछले दशक में अभूतपूर्व वृद्धि प्रदर्शित हुई है। एक ओर निर्यात 21 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है, वहीं आयात में 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। विश्व की कुल टन भार क्षमता में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए भारत को भारी निवेश करना होगा।

भारत में निर्यात और आयात, जिसमें से अधिकतर बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है, में पिछले दशक में अभूतपूर्व वृद्धि प्रदर्शित हुई है। एक ओर निर्यात 21 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है, वहीं आयात में 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। विश्व की कुल टन भार क्षमता में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए भारत को भारी निवेश करना होगा।

जहाजरानी क्षेत्र परिवहन का सर्वाधिक मूल्य संवर्धित और पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है। वर्ष 2017-18 के दौरान इस क्षेत्र में 1,773 करोड़ रुपये का परिव्यय (बजटीय अनुमान) प्रस्तावित है। यह वर्ष 2016-17 के 1,531 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों और 1454 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है।

बंदरगाहों और लाइट हाउसों के आवंटन में सबसे अधिक 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। इनके लिए वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान 732.50 करोड़ रुपये थे, जो ये वर्ष 2017-18 में 801.40 करोड़ रुपये किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जहाजरानी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आवंटन में अधिक वृद्धि की गयी है। इनमें वर्ष 2017-18 में क्रमशः 238 और 126 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। वर्ष 2016-17 में इनका बजट अनुमान क्रमशः 172 और 100 करोड़ रुपये था।

अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी), परिवहन का सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल जरिया है। इसमें ईंधन सबसे कम खर्च होता है और प्रदूषण का स्तर भी निम्न बना रहता है। जलमार्गों के आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आईडब्ल्यूटी एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा साबित हो सकता है।

किंतु अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के बजटीय आवंटन में गिरावट प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र के लिए बजट अनुमान 326.42 करोड़ रुपये था जिसे इसी वर्ष के संशोधित अनुमानों में 278.42 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान वर्ष में इस क्षेत्र के लिए बजट अनुमान 225 करोड़ रुपये है। इसका मुख्य कारण यह है कि अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से बहुत कम मात्रा में व्यापार किया जाता है। गोवा में लौह अयस्क और पश्चिमी तट में उर्वरकों के कच्चे माल के व्यापार तक ही अंतर्देशीय जल परिवहन सीमित है। लेकिन इंटर मॉडल कनेक्टिविटी के साथ अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास से सड़कों और रेल मार्गों पर भीड़ और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है।

संचार

दूरसंचार क्षेत्र आधारभूत संरचना के इको-सिस्टम का महत्वपूर्ण घटक है। मौजूदा स्पेक्ट्रम की नीलामी ने देश में स्पेक्ट्रम की कमी को दूर किया है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हित के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल भारत को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार सृजन होगा।

इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2017-18 में 26,687 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है जो पिछले वर्ष के 18,414 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों और 24,272 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः 45 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अधिक है।

इसके तहत भारत नेट नामक एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना प्रारंभ की गयी है जोकि भेदभाव के बिना पर सभी परिवारों को सस्ती ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का उच्च स्तरीय प्रयास कर रही है। *डिजिटल भारत* के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए यह सुविधा सभी संस्थानों की मांग को पूरा करने की क्षमता रखती है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी।

वर्ष 2017-18 में भारतनेट के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो वर्ष 2016-17 के 6,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है। वर्ष 2017-18 के अंत तक यह ब्रॉडबैंड 1,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पहुंच जाएगा और इस पर वाईफाई हॉट स्पॉट और डिजिटल सेवाओं की सुविधा भी काफी सस्ती होगी। इस परियोजना के लिए 1,55,000 किलोमीटर के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल तकनीक के जरिए टेली-मेडिसिन, शिक्षा एवं दक्षता प्रदान करने के लए *डिजीगांव* नामक पहल भी की गयी है।

भारत नेट नामक एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना प्रारंभ की गयी है जोकि भेदभाव के बिना पर सभी परिवारों को सस्ती ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का उच्च स्तरीय प्रयास कर रही है। *डिजिटल भारत* के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए यह सुविधा सभी संस्थानों की मांग को पूरा करने की क्षमता रखती है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी।

बिजली

सरकार ने 1 मई, 2018 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2017-18 में *दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना* के तहत 4,814 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के साथ सौर पार्क के विकास के दूसरे चरण का प्रस्ताव है।

इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्यूफैक्चरिंग हेतु भारत

को एक विश्वव्यापी हब बनाने के लिए एक इको-सिस्टम तैयार किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए 1.26 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 250 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विस्तार और रोजगार के अवसरों की अपार गुंजाइश है। यह आधारभूत संरचना के सबसे संगठित और औपचारिक क्षेत्रों में से एक है। हाल के वर्षों में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और घरों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ी है इसलिए सीमित उपलब्धता और कार्बन उत्सर्जन के कारण इसके कुशल और टिकाऊ उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

में अनेक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और मोबाइल निर्माताओं ने उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं। इसलिए इन्हें बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017-18 में *एम-सिप* और *ईडीएफ* जैसी योजनाओं के लिए 745 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस

पेट्रोलियम आधुनिक सभ्यता की जीवन रेखा है। यह कृषि, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों के लिए ऊर्जा का स्रोत है और कई उद्योगों का कामकाज इसी पर निर्भर करता है। नतीजतन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विस्तार और रोजगार के अवसरों की अपार गुंजाइश है। यह आधारभूत संरचना के सबसे संगठित और औपचारिक क्षेत्रों में से एक है। हाल के वर्षों में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और घरों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ी है इसलिए सीमित उपलब्धता और कार्बन उत्सर्जन के कारण इसके कुशल और टिकाऊ उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने रणनीतिक तेल भंडार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 3 तरह के भंडारों को स्थापित किया गया है। अब दूसरे चरण में, ओड़िशा के चंडीखोल और राजस्थान के बीकानेर में 2 और भंडारों का स्थापना का प्रस्ताव है। इससे 15. 33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की रणनीतिक भंडार क्षमता में वृद्धि होगी।

इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2017-18 में 29,158 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है जोकि पिछले वर्ष के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों से कम है। वर्ष 2016-17 में 29,160 करोड़ रुपये का बजट अनुमान और 30,241 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान था। इन आंकड़ों से यह तो पता चलता है कि वर्ष 2016-17 में संशोधित अनुमान के चरण में आवंटन को बढ़ाया तो गया था लेकिन बजट अनुमानों में यह आवंटन क्यों कम था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि, गरीब घरों के लिए एलपीजी कनेक्शन नामक केंद्रीय योजना के लिए वर्ष 2017-18 में 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जबकि 2016-17 के बजट अनुमान में यह आवंटन 2000 करोड़ रुपये था। हां, संशोधित अनुमानों में इस वर्ष जितनी ही राशि आवंटित की गयी थी।

जल और स्वच्छता

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और खुले में शौच को समाप्त करने में जबरदस्त प्रगति हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में अक्तूबर 2014 में 42 प्रतिशत सुधार हुआ था, जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत है। खुले में शौच मुक्त गांवों में अब नल-जल आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है।

इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अगले चार वर्षों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28,000 से अधिक बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह *राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)* का उप मिशन होगा। वर्ष 2017-18 में इसके लिए 6050 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। इसके लिए वर्ष 2016-17 का बजट अनुमान 5000 करोड़ रुपये था।

संपूर्ण मूल्यांकन

कुल मिलाकर बजट 2017-18 से संकेत मिलता है कि सरकार उचित समय और तीव्र गति से अपना लक्ष्य पूरा करने का इरादा रखती है। आधारभूत संरचना को बजट का पांचवां हिस्सा आवंटित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अत्यंत महत्वाकांक्षी तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और आधारभूत संरचना के क्षेत्र से इसकी शुरुआत की जा रही है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे। साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए उचित माहौल तैयार होगा और ग्रामीण भारत को नया जीवन मिलेगा।

हालांकि प्रारंभिक चरण की गति बहुत तीव्र होने की उम्मीद नहीं की जाती क्योंकि इस क्षेत्र में भी अनेक चुनौतियां हैं। इससे परियोजना की लागत और समय सीमा, दोनों बढ़ती है। इन परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए परियोजना की रूपरेखा तैयार की जाती है और फिर अनुमोदन हासिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करना होता है और पर्यावरण मंजूरी लेनी होती है। इस दौरान अनेक कानूनी एवं विनियामक मुद्दों तथा सुरक्षा एवं वित्तीय मुद्दों का सामना करना पड़ता है। अंतर-मंत्रालय समन्वय, कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता और त्वरित नियुक्तियों जैसे मसलों से भी जूझना पड़ता है।

ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने रणनीतिक तेल भंडार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 3 तरह के भंडारों को स्थापित किया गया है। अब दूसरे चरण में, ओड़िशा के चंडीखोल और राजस्थान के बीकानेर में 2 और भंडारों का स्थापना का प्रस्ताव है। इससे 15.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की रणनीतिक भंडार क्षमता में वृद्धि होगी।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को बहुत सीमित समय में धन खर्च करना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि परियोजनाओं की रोजाना निगरानी की जानी चाहिए और संबंधित वेबसाइटों पर रोजाना उसकी स्थिति से संबंधित सूचनाओं को अपलोड किया जाना चाहिए, अन्यथा यह क्षेत्र संशोधित अनुमान के चरण पर पहुंच जाएगा। ❑

केंद्रीय बजट 2017-18: प्रमुख तथ्य

बजट विगत दो वर्षों में विकसित सुदृढ़ राजकोषीय व सूक्ष्म आर्थिक बुनियाद पर आधारित है। विमुद्रीकरण, जीएसटी, जेएएम ने आगे के लिए काफी सकारात्मक प्रभाव डाला है। पिछले वर्ष के अन्य सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जो इस प्रकार हैं:

- संवृद्धि की संभावना सकारात्मक बनी रही।
- मौजूदा राजकोषीय घाटे 3.2 प्रतिशत से घटाकर आगामी वित्त वर्ष (2018-19) में 3 प्रतिशत तक लाने की प्रतिबद्धता।
- मौजूदा वर्ष में राजस्व घाटे में कमी आयी है और अगले वर्ष इसमें 1.9 प्रतिशत तक की कमी आएगी।
- वापसी खरीद समेत निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 2017-2018 में काफी कम 3.48 लाख करोड़ रुपये रहेगा।
- धारणीय ऋण पर राजकोषीय नीति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता।

किसानों के लिए प्रावधान

- दीर्घावधि सिंचाई निधि: आधार राशि (कॉर्पस) बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो गयी।
- सूक्ष्म सिंचाई निधि का निर्धारण नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। (5,000 करोड़ रुपये की सीमा)
- ई-एनएएम को 585 एपीएमसी तक विस्तारित किया जाएगा।
- एपीएमसी से खराब होने वाली वस्तुओं को राज्यों से अलग करने का अनुरोध किया जाएगा।
- संविदा कृषि पर मॉडल कानून क्रियान्वयन के लिए राज्यों को भेजा जाएगा।
- 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का फसल ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 63,000 कार्यशील पीएसीज को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और डीसीसीबीज के सीबीएस के साथ उन्हें जोड़ा जाएगा।
- फसल बीमा योजना 2017-18 में 40 प्रतिशत और 2018-19 में 50 प्रतिशत लोगों तक पहुंचेगी।
- तीन वर्षों में दुग्ध प्रसंस्करण व आधारभूत संरचना विकास निधि 8,000 करोड़ रुपये की आधार राशि के साथ स्थापित की जाएगी।

ग्रामीण आबादी के लिए प्रावधान

- 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को व 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने के लिए मिशन अंत्योदय की शुरुआत की जाएगी।
- मनरेगा: 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का अब तक का अधिकतम आबटंन किया गया, जिसके केंद्र में रोजगार सृजन व संपदा सृजन था।

बजट 2017-18 पर प्रधानमंत्री के विचार

- यह बजट पिछले ढाई वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए विकास के उपायों का एक प्रतिबिंब है और यह इस दिशा में गति को आगे ले जाने की दृष्टि का परिचायक है।
- केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट का विलय एक बड़ा कदम है।
- बजट का फोकस कृषि, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर है जो निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रतिबिंबित करता है। सरकार का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है और इसे ध्यान में रखकर नीतियां और योजनाएं बनायी गयी हैं।
- देशभर में फैले छोटे और मध्यम उद्योग रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत रहे हैं। इन उद्योगों की मांग रही है कि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है और यदि करों को कम कर दिया जाए तो हमारे लगभग 90 प्रतिशत लघु उद्योगों को लाभ पहुंचेगा। इसलिए, सरकार ने लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया है, उनके दायरे में विस्तार किया है और कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है।
- यह बजट राष्ट्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, समग्र आर्थिक विकास में मदद मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने में यह पूरक होगा।
- यह बजट एक तरह से हमारी आकांक्षाओं, हमारे सपनों के साथ जुड़ा हुआ है और इस प्रकार यह हमारे भविष्य को दर्शाने वाला है। यह हमारी नयी पीढ़ी, हमारे किसानों का भविष्य है।
- भविष्य (FUTURE) शब्द का आशय है: एफ से फार्मर यानि किसान। यू से अंडरप्रिविलेज्ड यानि वंचित जिसमें दलित वर्ग, दीन-दुखी, महिलाएं इत्यादि। टी से ट्रांसपेरेंसी यानि पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन- द ड्रीम ऑफ ए मॉडर्न इंडिया यानि पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण-आधुनिक भारत का स्वप्न। यू से अर्बन रेज्यूवेनेशन यानि शहरी कायाकल्प-शहरी विकास। आर से रूरल डेवलपमेंट यानि ग्रामीण विकास। और ई से एम्पलॉयमेंट फॉर यूथ, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड बूस्ट टू यंग एंटरप्रेन्योर्स यानि युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता, नए रोजगार सृजन का संवर्धन और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना। ❑

- पीएमजीएसवाई: 2017-18 में राज्यों को किए जाने वाले संवितरण समेत 27,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। 2011-14 के 73 किमी प्रतिदिन की तुलना में 2016-17 में निर्माण की गति बढ़कर 133 किमी प्रतिदिन हो गयी।
- अगले चार वर्षों में 28,000 से अधिक आर्सेनिक व फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जाएगा।

युवा, शिक्षा व रोजगार आदि के लिए प्रावधान

- यूजीसी में सुधार किए जाएंगे।
- कम से कम 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ *स्वयं* प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी।
- 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 4000 रुपये की लागत पर *संकल्प* नामक एक कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
- वस्त्र उद्योग की भांति चमड़ा व फुटवेयर उद्योग की शुरुआत की जाएगी।
- पांच विशिष्ट पर्यटन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे।

निर्धन व वंचित तबके के लिए प्रावधान

- कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य व पोषण के अवसरों के साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्राम स्तर पर *महिला शक्ति केंद्र* स्थापित किए जाएंगे।
- वहनीय आवास को आधारभूत संरचना के रूप में देखा जाएगा। इससे आवास परियोजनाओं को अच्छी शर्तों पर बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलगी।
- राष्ट्रीय आवास बैंक 2017-18 में वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये का वित्तपोषण करेगा।
- कालाजार, फलेरिया, कुष्ठ रोग, चेचक व टीबी के उन्मूलन हेतु विशेष नीतियां बनायी गयी हैं।
- आईएमआर व एमएमआर में भी कमी आएगी।
- 1.5 लाख स्वास्थ्य उप केन्द्रों को स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों में तब्दील किया जाएगा।
- चिकित्सा शिक्षा व पेशे के लिए विनियामक रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- झारखंड व गुजरात में दो नए एम्स खोले जाएंगे।
- मौजूदा श्रम कानूनों का 4 कोड में समामेलन व उन्हें युक्तिसंगत बनाना।

आधारभूत संरचना के लिए प्रावधान

- रेलवे : सरकार से 55,000 करोड़ रुपये समेत 1,31,000 करोड़ रुपये की पूंजी व विकास व्यय।
- पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये की आधार राशि के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सृजित किया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों में रेलवे की संचालन क्षमता में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी।
- रेलवे व 9 राज्य सरकारों के मध्य संयुक्त उपक्रम के जरिए कार्यान्वयन हेतु 70 परियोजनाओं की पहचान की गयी है।
- रेलवे एकीकृत परिवहन समाधान व संचालन सुविधाएं प्रदान करेगा।
- लेखांकन संबंधी सुधार: रेलवे मार्च 2019 तक संग्रहण आधारित वित्तीय विवरणियों को अपनाएगा।
- एक नयी मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी और नया मेट्रो रेल अधिनियम लागू किया जाएगा।
- सड़क क्षेत्र पर विशेष ध्यान बना रहेगा।
- पीपीपी मोड में ओ एंड एम के लिए टियर 2 में चुनिंदा हवाई अड्डों को लिया जाएगा।
- भारत नेट प्रोजेक्ट : 2017-18 के अंत तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइवर केबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- ओडिशा व राजस्थान में रणनीतिगत अशोधित/कच्चा तेल रिजर्व हेतु दो नए केंद्र बनाए जाएंगे।
- अतिरिक्त 20,000 एमवी क्षमता के लिए सौर पार्क विकास का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा।
- इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण हेतु भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए ईको सिस्टम सृजित किया जाएगा।

बजट 2017-18 पर वित्त मंत्री के विचार

- इस बजट को बनाते समय पूरा ध्यान रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों, अवसंरचना और गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा व्यय करने के बावजूद वित्तीय विवेक के सर्वोत्तम स्तर को बनाए रखा गया।

- हम किसानों, कामगारों, निर्धनों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और हमारे समाज के अन्य संवदेनशील वर्गों तक विकास की बयार को पहुंचाने के लिए कई अन्य कदम उठाते रहेंगे।
- लोगों की आशाओं को पूरा करने का काम करते हुए, अगले वर्ष के लिए हमारा एजेंडा ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया यानि टेक इंडिया हे।
- शासन की गुणवत्ता और हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बदलाव लाना।
- समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से युवाओं और संवेदनशील वर्गों को उत्साहित कर, उन्हें उनकी वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाना।
- देश को भ्रष्टाचार, कालाधन और गैर-पारदर्शी राजनीतिक चंदे की बुराइयों से मुक्त करना।
- व्यवस्था को स्वच्छ करने और भ्रष्टाचार व कालेधन के उन्मूलन हेतु डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन सरकार की रणनीति का अभिन्न अंग है।

क्षेत्रवार कुल व्यय				
				(करोड़ रुपये में)
क्र. सं.	क्षेत्र	बीई 2016-17	आरई 2016-17	बीई 2017-18
1	कृषि व संबद्ध क्षेत्र	48,572	52,821	58,663
2	ग्रामीण विकास	1,02,543	1,149,47	1,28,560
3	आधारभूत संरचना	3,48,952	3,58,634	3,96,135
3 (क)	परिवहन	2,16,268	2,16,903	2,41,387
4	सामाजिक क्षेत्र	1,68,100	1,76,225	1,95,473
4 (क)	शिक्षा व स्वास्थ्य	1,12,138	1,14,806	1,30,215
4 (ख)	कल्याण-उन्मुख सामाजिक क्षेत्र	55,962	61,419	65,258
5	रोजगार सृजन, कौशल व आजीविका	12,006	14,735	17,273
6	वैज्ञानिक मंत्रालय	33,467	34,359	37,435

*बीई = बजट अनुमान, आरई = संशोधित अनुमान

स्रोत: व्यय प्रोफाइल एवं व्यय बजट 2017-18

वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रावधान

- विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) को 2017-18 में समाप्त कर दिया जाएगा।
- उपभोक्ता वस्तुओं के स्पॉट मार्केट तथा डिरेवेटिव मार्केट के समेकन हेतु परिचालानात्मक व विधिक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा।
- विनियामक अंतरालों को पाटने और निर्धन व मासूम निवेशकों की सुरक्षा हेतु बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया जाएगा।
- संसद के बजट सत्र में वित्तीय फर्म्स के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
- आधारभूत संरचना व पीपीपी संबंधी संरचना संविदाओं के विवादों के निपटान हेतु मध्यस्थता व समझौता अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- हमारे वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल (कंप्यूटर इमर्जेन्सी रिस्पांस टीम) का गठन किया जाएगा।
- सीपीएसई की समयबद्ध सूचीकरण हेतु संशोधित प्रणाली की घोषणा की जाएगी।
- रेलवे लोक उपक्रम मसलन आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, एवं आईआरसीओएन को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।
- मौजूदा तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के समामेलन के जरिए *एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र वाले 'ऑयल मेजर'* का गठन किया जाएगा।
- विविधतापूर्ण सीपीएसई स्टॉक वाले नए ईटीएफ का प्रवर्तन किया जाएगा।
- प्रतिभूतिकरण या पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के सूचीकरण एवं व्यापार को स्टॉक एक्सचेंज में अनुमति दी जाएगी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रावधान

- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के कारोबारी संस्करण *आधार पे* का शीघ्र ही प्रवर्तन किया जाएगा।
- वित्तीय समावेशन निधि को बढ़ाया जाएगा।
- भुगतान व निपटान प्रणाली की समीक्षा व्यापक तौर पर की जाएगी ताकि उसे डिजिटल भुगतानों की मौजूदा अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके। इस दौरान, अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक में एक भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- संवर्द्धित बैंक संव्यवहार व चेक भुगतानों के संबंध में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

लोकसेवा से संबंधित प्रावधान

- पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रधान डाकघर फ्रंट कार्यालय के रूप में कार्य करेंगे।
- कानून की पहुंच से बचने के लिए देश से पलायन करने वाले आर्थिक अपराधी समेत दीर्घकालिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए वैधानिक परिवर्तनों या किसी नए कानून का प्रवर्तन।

भाग बी में कर प्रस्तावों का सार

वहनीय आवास से संबंधित प्रावधान

1. वहनीय आवास हेतु आयकर छूट की योजना में तीन छूट दिए गए हैं:
   - 30 तथा 60 वर्ग मीटर क्षेत्र को *कारपेट क्षेत्र* समझा जाएगा न कि *बिल्ट-अप* क्षेत्र।
   - सिर्फ 4 महानगरीय क्षेत्रों में ही 30 वर्ग मीटर की सीमा लागू होगी, देश के बाकी क्षेत्रों के लिए यह सीमा वर्ग 60 मीटर की होगी।
   - पूर्णता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
2. बिल्डर्स के लिए आनुमानित किराया आय पर कर की गणना उस वर्ष की समाप्ति पर ही की जाएगी जिसमें निर्माण पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।
3. अचल संपत्तियों हेतु पूंजी अभिलाभ कराधान में तीन बदलाव किए गए हैं:
   - दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की गणना हेतु तीन की जगह सिर्फ दो वर्ष अपेक्षित है।
   - अचल संपत्ति समेत सभी प्रकार की संपदा हेतु संपत्ति की लागत की गणना हेतु आधार वर्ष को 1.4.1981 से बदल कर 1.4.2001 कर दिया गया है।
   - वित्तीय लिखत समूह, जिसमे पूंजी अभिलाभ का निवेश,कर के भुगतान के बिना किया जा सकता है, को विस्तारित किया जाना है।

4. संयुक्त विकास करार के लिए, पूंजी अभिलाभ कर के भुगतान की जिम्मेदारी उस वर्ष होगी, जिसमें विचार (कन्सिडरेशन) राशि प्राप्त हुई हो।
5. आंध्र प्रदेश पूंजी हेतु, 2.6.2014 को स्वामियों की जमीन पर पूंजी अभिलाभ से छूट है यदि वह जमीन लैंड पूलिंग प्रणाली के तहत दी गयी हो।

संवृद्धि को तेज करने के उपाय

1. भारत में दिए गए ऋणों पर विदेशी इकाइयों द्वारा प्राप्त ब्याज के लिए 5 प्रतिशत की रियायती धारिता दर या 30.6.2017 के बाद अगले तीन वर्षों के लिए निवेश को बनाए रखना है।
2. पिछले वर्ष प्रदत्त आयकर अवकाश योजना के तहत स्टार्ट-अप्स को दो छूट।
   - वोटिंग अधिकारों की 51 प्रतिशत सतत धारिता की शर्त से तब तक के लिए राहत दी जानी है जब तक प्रवर्तक के मूल निवेश को कम नहीं कर लिया जाता।
   - स्थापना की तारीख से किसी भी 7 वर्षों में से 3 वर्षों के लिए छूट उपलब्ध है।
3. एमएटी क्रेडिट का लाभ उठाने की अवधि को 10 वर्षों से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है।
4. 2015-16 में 50 करोड़ तक के टर्न-ओवर वाली कंपनियों के लिए कोर्पोरेट आयकर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाना है।
5. बैंक के एनपीए की कटौती 7.5 प्रतिशत के बजाय 8.5 प्रतिशत तक लाभ से की जानी है।
6. अनुसूचित सहकारी बैंकों के एनपीए के मामले में, ब्याज को प्राप्त होने पर ही आय के रूप में स्वीकार किया जाना है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

1. छोटे व्यापारियों के लिए प्रकल्पित आयकर में, आय को डिजिटल या बैंकिंग माध्यमों से हुए टर्न-ओवर के 6 प्रतिशत के रूप में स्वीकार किया जाना है।
2. स्वीकृत नकद व्यय को मौजूदा 20,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये किया जाना है।
3. 3 लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन होने पर समान राशि का दंड प्रभारित किया जाना है।

निर्वाचक निधीकरण में पारदर्शिता

1. किसी एक व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान को रु. 20,000 से घटाकर रु. 2,000 कर दिया गया है।
2. गोपनीयता बरतते हुए दान किए जाने वाले कर दत्त मुद्रा हेतु निर्वाचक बांड की शुरुआत की जानी है।
3. राजनीतिक दलों को आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपना रिटर्न फाइल करना है।

कारोबार करने की सहूलियत
(ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)

1. देशी अंतरण मूल्य-निर्धारण सिर्फ तभी लागू की जानी है। यदि दो कंपनियों में से एक विनिर्दिष्ट लाभ संबद्ध कटौती को अपनाती है।
2. प्रकल्पित योजना को अपनाने वाली कारोबार इकाई हेतु लेखापरीक्षा सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाना है।
3. व्यक्तिगत करदाता व एचयूएफ का टर्न-ओवर यदि 25 लाख रुपये तक और आय 2.5 लाख रुपये तक है, तो उन्हें खाता बही रखने की आवश्यकता नहीं है।
4. विदेशी पोर्टफोलियो प्रवर्ग 1 तथा 2 को परोक्ष अंतरण प्रावधानों से छूट प्राप्त है।
5. वैयक्तिक बीमा एजेंट के लिए 5 प्रतिशत के टीडीएस की कटौती नहीं की जानी है यदि वे अपने आय का कर योग्य आय से कम होना प्रमाणित करते हैं।
6. प्रकल्पित योजना में पेशेवरों को अग्रिम कर का भुगतान चार की बजाय सिर्फ एक किस्त में करना है।
7. कर के रिटर्न को संशोधित करने की समय-सीमा को घटाकर 12 माह कर दिया गया है। साथ ही, जांच की पूर्णता की समय-सीमा को भी 2019-20 से घटाकर 12 माह कर दिया गया है।

व्यक्तिगत आयकर से संबंधित प्रावधान

1. 2.5 से 5 लाख रुपये के आय-समूह में आने वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत आयकर को 10 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया गया है। इससे उनकी कर देयता घटकर आधी हो जाएगी जबकि इस आय समूह से अधिक वाले अन्य सभी करदाता भी प्रति व्यक्ति 12,500 रुपये के कम कर के संबंध में लाभांवित होंगे (15,500 रुपये की राजस्व हानि।)
2. 2.5 से 5 लाख रुपये के आय-समूह में उपलब्ध 5000 रुपये की छूट को घटाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है जो कि सिर्फ 3.5 लाख रुपये तक की आय पर उपलब्ध होगी।
3. 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के आय समूह वाले करदाताओं पर 10 प्रतिशत का अधिभार प्रभारित किया जाना है। (2,700 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ)

परोक्ष कर से संबंधित प्रावधान

1. एलएनजी से संबंधित सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे स्टील उद्योग के साथ-साथ रसायन व पेट्रो रसायन उद्योग को लाभ मिलेगा।
2. डिजिटल भुगतान हेतु प्रयुक्त एमपीओएस, माइक्रो एटीएम, फिंगर प्रिंट रीडर्स, स्कैनर्स तथा आईडी स्कैनर्स से छोटे पीओएस रीडर्स के लिए सीमा, सीवीडी, एसएडी व उत्पाद शुल्क को समाप्त किया जाना है।

वस्तु एवं सेवा कर प्रगति पर है। 1 जुलाई 2017 से लागू होने की पूरी संभावना है।

IAS PCS

PARAMOUNT IAS Mission
A SEGMENT OF PARAMOUNT LEAGUE

सामान्य अध्ययन, CSAT एवं वैकल्पिक विषय

GS 2017-18

फाउंडेशन कोर्स
प्रारम्भिक+CSAT
WEEKEND
Admission Open

GS समसामयिकी– 2017
हर रविवार प्रात: 9:00 बजे

मुख्य आकर्षण

* गहन विश्लेषण, * पाठ्यक्रम का व्यापक समाहित स्वरूप, * प्रति दिवस टेस्ट आंकलन
* साप्ताहिक टेस्ट (मूलभूत, टॉपिक व समसामायिक विषयों के साथ अंतर वैषयिक-उपागम)

वैकल्पिक विषय

समाजशास्त्र - डॉ. सुरेन्द्र कुमार सिंह | राजनीति विज्ञान - नवाब सिंह सोमवंशी

Head Off. : 872, Ground Floor, (Opp. Batra Cinema) Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
CONTACT : 7900000111, 7900000222
www.paramountias.com; email : enquiry@paramountias.in

रोजगार एवं औद्योगिक विकास की दिशा

अरुप मित्रा

ऐतिहासिक नोटबंदी अभियान से आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका जतायी जा रही है। इसके मद्देनजर आम बजट 2017-18 में अनेक ऐसे उपाय किए गए, जिनसे अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आ सकती है। बजट में मनरेगा के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया है। ताकि रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। प्रधानमंत्री की रोजगाार सृजन और ऋण योजनाओं में आवंटन तीन गुना बढ़ाया गया है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कारोबार की सहजता, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है

औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल होता है। यही वजह है कि भारत या किसी अन्य विकासशील देश के लिए अपने औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करना जरूरी होता है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्रों में ही इतने रोजगार के अवसर नहीं सृजित किये जा सकते कि अकुशल और अर्द्ध-कुशल कामगारों के लिए मौका उपलब्ध हो सकें। कृषि क्षेत्र में भी अल्प रोजगार के अवसर होते हैं। परन्तु तकनीकी विकास के जरिये औद्योगिक क्षेत्र में कुल उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, जिससे गैर-लागत विकास में योगदान संभव है। यद्यपि तकनीक ईजाद करने में भी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन हालिया शोध (विवारेल्ली 2013) से यह पता चलता है कि ऐसे अनेक उपाय हैं जिनके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। पूंजी एवं अन्य सामग्रियों में समानुपातिक बढ़ोतरी के बिना भी उत्पादों में विविधता, नये उत्पादों तथा उपोत्पादों के विनिर्माण के अलावा नयी प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल से रोजगार में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस प्रकार उत्पादकता लाभ एवं रोजगार के अवसर सृजित करने का काम साथ-साथ किया जा सकता है और इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस पृष्ठभूमि में हम केंद्रीय बजट 2017-18 का विश्लेषण करते हैं, ताकि हम इसके अल्पकालिक प्रभावों एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में इसकी भूमिका के बारे में जान सकें।

कुछ समय पहले ही देश में ऐतिहासिक नोटबंदी अभियान चलाया गया था और कम से कम अल्पावधि के लिए ही सही, लेकिन इसके आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका जतायी जा रही है। जाहिर है इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। गैर-कृषि निवेश और विकास संबंधी अन्य आयाम ज्यादातर शहरी इलाकों से ही सम्बद्ध होते हैं और नोटबंदी के कारण इस पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। परिणामस्वरूप शहरी बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। निवेश, विकास एवं रोजगार की दृष्टि से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मझोले एवं छोटे उद्यमों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि बड़े उद्यम भी पूरी तरह जोखिम से परे नहीं है। दरअसल अनेक इकाइयां नियमों की अनदेखी करके चलायी जाती हैं और इसके लिए घूस का सहारा लिया जाता है। निवेश में कटौती का सबसे प्रथम नकारात्मक प्रभाव मजदूरों की मांग में कटौती के रूप में सामने आता है, क्योंकि खासकर ठेके पर मजदूरी कराने के जमाने में अन्य आस्तियों की तुलना में श्रमिक ही ऐसी सुलभ आस्ति हैं, जिस पर सर्वप्रथम गाज गिरती है। इस प्रकार बाजार में मंदी से निपटने के लिए उद्यमियों के समक्ष श्रम-लागत में कटौती सबसे आसान उपाय है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कृषि क्षेत्र श्रमिकों को समाहित कर पाने की स्थिति में नहीं है। नतीजतन, ज्यादातर श्रमिकों को गैर-कृषि क्षेत्र का रुख करना होता है, जहां कारोबार के लिए रोज-रोज नकदी की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नोटबंदी से ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का विकास एवं

लेखक आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली में प्रोफेसर हैं। साथ ही जापान के नागोया यूनिवर्सिटी में अतिथि प्रोफेसर हैं। श्रम और कल्याण, शहरी विकास, औद्योगिक विकास और उत्पादकता विकास अर्थशास्त्र और लैंगिक समानता के क्षेत्र में विशेष जानकारी रखते हैं और इनसे संबंधित लेखन कार्य भी करते हैं।
ईमेल: arup@iegindia.org

रोजगार भी अछूता नहीं रहेगा। हो सकता है इस बारे में ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर भी पेश किया गया हो सकता है, क्योंकि कारोबार में काफी लेन-देन की आवश्यकता होती है, जो अनुमानित होती है और इसके लिए व्यापक समय भी मिलता है। इसलिए, नोटबंदी के कारण विकास प्रभावित होने संबंधी पहलू को समायोजन तंत्र निष्प्रभावी कर सकता है। सत्तर के दशक में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तरह ही विमुद्रीकरण भी आवश्यक था, जो काफी लंबे समय से लंबित था। इसे अचानक ही किया जाना था, अन्यथा इसका पूरा उद्देश्य ही भटक जाता।

अल्पावधि नुकसान की आशंका के मद्देनजर केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया है, ताकि कामचलाऊ व्यवस्था के तौर पर रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकें। इस रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को लेकर होने वाली महत्वपूर्ण आलोचनाओं में एक बात यह भी शामिल है कि इसमें ऐसे ज्यादा उपाय नहीं किये गये थे, जो भविष्य में विकास में अपना योगदान दे सकते थे। हालांकि मनरेगा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इससे संबंधित कार्यों की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जरिये निगरानी करने की व्यवस्था केंद्रीय बजट के माध्यम से की गयी है, ताकि वित्त वर्ष के अंत में जल्दी-जल्दी फंड को खर्च करने और इसे वापस होने से बचाने के लिए अंतिम क्षण में कार्यों का चयन न किया जा सके। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, पांच लाख और तालाब बनाये जाने का प्रस्ताव है, ताकि सूखे से निपटा जा सके। यदि सिंचाई कार्यक्रम को मनरेगा से जोड़ दिया जाता है तो यह कृषि के क्षेत्र में विकास के नजरिये से बहुत ही प्रभावी एवं फलदायी रणनीति होगी। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रामीण, कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटन 2016-17 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक किया गया है, जो इस बात के संकेत हैं कि सरकार ग्रामीण बेरोजगारी, अल्परोजगार और गरीबी के मसले से आक्रामक तरीके से निपटना चाहती है।

प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन एवं ऋण योजनाओं में आवंटन तीन गुना बढ़ाया गया है। पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) मूलत: ऋण-संबंधी सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) दोनों सम्मिलित है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम मंत्रालय इस कार्यक्रम को संचालित करता है और इसका क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर केवीआईसी निदेशालय इस कार्यक्रम को संचालित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वनियोजन उपक्रमों, सूक्ष्म उपक्रमों एवं अन्य परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसके दो फायदे हैं, इससे ग्रामीण शिल्पकला कायम रहेगी ही, बेरोजगार युवकों (शहरी) को भी रोजगार पाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सतत् एवं दीर्घकालिक रोजगार मुहैया कराना एवं लाभान्वितों की आय क्षमता को बढ़ाना है।

डिजिटलीकरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के मद्देनजर बजट में इस बात पर जोर दिया गया है कि डिजिटल लेन-देन बढ़ने से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को विधिवत ऋण मिल सकेगा। इस प्रकार, ऐसे उद्यमों की उत्पादकता में वृद्धि और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इनके सार्थक योगदान की उम्मीद की जा सकती है, जिससे ऐसी कंपनियां नोटबंदी के दुष्प्रभावों से उबर सकती हैं। लघु एवं सूक्ष्म उपक्रम बड़ी संख्या में हैं, जबकि मूल्य संवर्द्धन में इनका योगदान नगण्य है। गैर-पंजीकृत विनिर्माण का ही उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि कुल मैन्यूफैक्चरिंग मूल्य संवर्द्धन में इनकी हिस्सेदारी एक-तिहाई के करीब है। देश में जारी डिजिटलीकरण की पृष्ठभूमि में इन्हें पुनर्जीवित किये जाने का फैसला रोमांचकारी है, खासकर तब जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि केवल संगठित विनिर्माण से ही श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति के बीच असंतुलन कम नहीं हो सकता। करों से बचने के लिए अनेक उद्यमी अपने उपक्रमों को कई इकाइयों में विभक्त करके गैर-पंजीकृत अनौपचारिक क्षेत्र में ही बने रहना पसंद करते हैं। डिजिटलीकरण से अलग-अलग इकाइयों को एक करने में मदद मिल सकती है, जिससे कंपनियां अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार तो कर ही सकती हैं, साथ ही इससे करों का संग्रहण भी सुधर सकता है। जिनके पास डेबिट कार्ड अथवा मोबाइल फोन नहीं है, उनके लिए आधार पेमेंट प्रणाली शुरू होने वाली है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रामीण, कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटन 2016-17 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक किया गया है, जो इस बात के संकेत हैं कि सरकार ग्रामीण बेरोजगारी, अल्परोजगार और गरीबी के मसले से आक्रामक तरीके से निपटना चाहती है।

करीब 50 करोड़ रुपये या उससे कम के कारोबार वाली कंपनियों को कम कर (25 प्रतिशत) देना होगा। ऐसी स्थिति में आधुनिक लघु उद्योगों में अधिक से अधिक निवेश की संभावना बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद बढी है। सरकार ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल कंफीगरेशन के साथ विदेशी निवेश को बजट में अधिक तरजीह दी है। सरकार का यह मानना है कि 90 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ऑटोमेटिक मोड से आते हैं और इसके मद्देनजर विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त किया जा चुका है, इससे नौकरशाहों के पचड़े में फंसकर फाइलों के लटकने की गुंजाइश खत्म हो गयी है। एफडीआई में 36 फीसदी की वृद्धि से निवेश के मजबूत होने एवं तदनुरूप रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना बढ़ी है।

टीएफपीजी को लेकर किये गये शोध के अनुसार हमने औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का निर्धारण करने वाले अनेक कारकों की पहचान की है। उनमें कारोबार की सहजता अर्थव्यवस्था में संतुलन, बुनियादी ढांचा और आईसीटी तथा नवाचार चार प्रमुख कारक हैं। नवाचार भी ऐसा कारक है जिससे उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। नवाचार से उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी हासिल की जाती है, जिससे विकास संभव है। साहित्यिक सामग्रियों में आधारभूत संरचना के महत्व को व्यापक तौर पर रेखांकित किया गया है। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक बुनियादी संरचना को उत्पादकता में वृद्धि एवं तकनीकी दक्षता का महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है। श्रम बल के खराब नियोजन को निवेश एवं रोजगार

वृद्धि में मुख्य बाधा के तौर पर देखा जाता है। खासकर विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों का कुशल न होना भी एक बड़ा कारण होता है (मित्रा 2013)। केंद्रीय बजट में इन बाधाओं पर क्रमबद्ध तरीके से पार पाने के प्रयास किये गये हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार 4000 करोड़ रुपये की लागत से संकल्प (स्किल एक्वीजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोमोशन प्रोग्राम) योजना शुरू करेगी। करीब तीन करोड़ 50 लाख युवाओ को सरकार द्वारा चलाये जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जायेगा। इस योजना के तहत युवाओं को बाजार अनुकूल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। पीएम कौशल केंद्रों का विस्तार 600 जिलों तक किया जायेगा और लोगों की सहायता के लिए 100 अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र खोले जायेंगे। कौशल केंद्र की स्थापना ग्रामीण आबादी पर केंद्रित सामुदायिक कौशल केंद्रों के तौर पर की जायेंगी, जहां भाषा प्रयोगशाला, डिजिटल पुस्तकालय, मूल्यांकन एवं करियर गाइडेंस तथा कौशल कक्ष उपलब्ध होंगे। इन सबसे रोजगार में सुधार होने की उम्मीद है।

पूरे देश में भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र (आईआईएससी) स्थापित करने की अवधारणा वाकई रोचक है, क्योंकि इन केंद्रों पर विदेशी भाषाओं के आधुनिक प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जाएंगे। इससे उन लोगों को मदद मिलने की उम्मीद है, जो देश के बाहर रोजगार के अवसर तलाशते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता आदि को लेकर काफी आलोचनाएं होती रही हैं। यदि किसी पलम्बर को मध्य-पूर्व एशिया में काम के लिए भेजा जाता है तो उसे सबसे पहले नियोक्ता कंपनी द्वारा फिर से प्रशिक्षित किया जाता है। इस दृष्टि से सरकार का हालिया कदम उत्साहजनक है, इससे जहां एक ओर कामगारों का दूसरे देशों में आवागमन बढ़ेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था पर इनकी निर्भरता कम होगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा भंडार भी भरेगा। दूसरे देशों से ऐसे कामगारों द्वारा भेजी गयी राशि यहां रह रहे उनके परिजनों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए इन पैसों का एक बेहतर प्रणाली के माध्यम से कैसे इस्तेमाल किया जाये, यह भविष्य में पॉलिसी एजेंडा भी हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कामगार तैयार करने का सरकार का प्रयास सराहनीय कदम है और यह सरकार के दीर्घकालिक उच्च प्रगतिवादी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

बुनियादी संरचना के लिए बजट आवंटन निसंदेह अधिक रहा है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि बुनियादी संरचनाओं के निर्माण में अंतत: मानवशक्ति की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि बुनियादी संरचना विकास की रणनीति के साथ क्षेत्रीय आयाम सम्मिलित किये जाते तो और अधिक बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती थी। समय के साथ क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी हैं। राज्यों में आर्थिक विकास के नजरिये से देखें तो एकरूपता के बजाय विषमता देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय असमानताओं से निपटने का एक प्रमुख उपाय पिछड़े इलाकों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। निश्चित रूप संकेंद्रण संकुल अर्थव्यवस्था को जन्म देती है और इसके लिए महत्वपूर्ण प्रारम्भिक आधार वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश की जरूरत होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित रह जाते हैं और औद्योगिकीकरण क्षेत्र-केंद्रित बनकर रह जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानता एवं तनाव पैदा होते हैं। जब बात बुनियादी ढांचों के निर्माण की आती है तो इन समस्याओं से निपटने के लिए अत्यधिक आंचलिक रुख अपनाये जाने की अपेक्षा की जाती है। पूर्वोत्तर में औद्योगिकीकरण की गति नगण्य रही है।

सरकार नयी मेट्रो रेल नीति की घोषणा कर सकती है, जो युवाओं के लिए नये रोजगार के दरवाजे खोलेगी। यह पढ़े-लिखे शहरी युवाओं के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। मेट्रो रेल परियोजना बुनियादी ढांचे के नेटवर्क में महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान देगी, साथ ही इससे परिवहन एवं कार्य-निष्पादन की दक्षता भी सुधरेगी। गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन के कारण बढ़ रही शहरी आबादी के मद्देनजर ऐसी रोजगारोन्मुखी परियोजनाएं अपेक्षित होंगी।

सरकार नयी मेट्रो रेल नीति की घोषणा कर सकती है, जो युवाओं के लिए नये रोजगार के दरवाजे खोलेगी। यह पढ़े-लिखे शहरी युवाओं के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। मेट्रो रेल परियोजना बुनियादी ढांचे के नेटवर्क में महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान देगी, साथ ही इससे परिवहन एवं कार्य-निष्पादन की दक्षता भी सुधरेगी। गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन के कारण बढ़ रही शहरी आबादी के मद्देनजर ऐसी रोजगारोन्मुखी परियोजनाएं अपेक्षित होंगी।

यदि उद्योग आधारित विकास अनिवार्य होने जा रहा है तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए और अधिक प्रयास किये जाने की जरूरत है। सरकार को विनिर्माण, रोजगार सृजन और निर्यात को पुनर्जीवित करने से संबंधित 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत चमड़ा, जेम्स एवं ज्वैलरी सहित विभिन्न श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए कर लाभ देने का प्रस्ताव रखना चाहिए था। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निकट भविष्य में पूरे देश में चीन जैसे औद्योगिक शहर बसने की संभावना तो है जहां प्रोडक्शन यूनिट के साथ-साथ, सार्वजनिक सेवाएं, आवासीय इलाके, स्कूल एवं अस्पताल उपलब्ध हों, लेकिन वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में ऐसे केंद्रों के बारे में कोई ज्यादा आवंटन नहीं किया गया है। श्रम-प्रधान वस्तुओं के निर्माण से संबंधित औद्योगिकीकरण को लेकर बजट में विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यह बजट कृषि और ग्रामीण मामलों पर कुछ अधिक केंद्रित है, खासकर इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है और आधे से अधिक कामगार कृषि से जुड़े हैं। हालांकि श्रम-प्रधान उद्योगों के आधुनिकीकरण को लेकर बजट में प्रावधान किये जाने की अब भी आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि ये उद्योग बेहतर गुणवत्ता वाले सामानों का उत्पादन कर सकें, जिससे निर्यात की मांग भी बढ़ेगी और आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में इनका योगदान भी संभव हो सकेगा। भविष्य में इस बात पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा कि केवल आयातित प्रौद्योगिकी के बदले नवाचार को कैसे बढ़ाया जाये ताकि उत्पादकता के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्राप्त हों। ❑

सामान्य अध्ययन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान...

ISO 9001 : 2008 Certified

IAS PCS

GS World

Committed to Excellence

Distance Learning Programme

30 Booklets ₹ 12,500/-

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

Niraj Singh
(*Managing Director*)

IAS : 2017-18

Divyasen Singh
(*Co-ordinator*)

सामान्य अध्ययन

दिल्ली केन्द्र

फाउंडेशन बैच

(नि:शुल्क कार्यशाला)

17 MARCH
03:00 PM

इलाहाबाद केन्द्र

Complete Preparation for IAS/PCS

GS *Foundation Batch*

21 MARCH
08:00 AM

लखनऊ केन्द्र

सामान्य अध्ययन

Gateway Batch/UP Special

20 MARCH
8 AM/ 6:30 PM

जयपुर केन्द्र

IAS/RAS
Foundation Batch

20 MARCH
8 AM/ 5 PM

DELHI CENTRE	ALLAHABAD CENTRE	LUCKNOW CENTRE	JAIPUR CENTRE
705, 2nd Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph.: 011-27658013, 7042772062/63	GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad Ph.: 0532-2266079, 8726027579	A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow Ph. : 0522-4003197, 8756450894	Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr, Near Mahesh Ngr Police Station, Jaipur Ph. :7340020323, 7340020324

http://www.gsworldias.com | http://facebook.com/gsworld1 | 9654349902

प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर

रहीस सिंह

बजट 2017-18 में कम से कम 10 ऐसे प्रावधान है, जो सहयोगी संघवाद को समृद्ध और गतिशील बनाते हैं। किसानों की आय को पांच वर्षों में दोगुना करने ग्रामीण और शहरी आधार की संरचना को मजबूत करने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन में केंद्र और राज्य दोनों की महत्ती भूमिका है। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों और स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार सौंपकर प्रतिस्पर्धी संघवाद से प्रतिस्पर्धी उप-संघवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है

"मेरा मानना है कि हमें सत्ता के ऊपरी स्तर से नहीं बल्कि बुनियादी स्तर से काम करना चाहिए.....सत्ता के बहुत अधिक केंद्रीकरण से पूरी व्यवस्था विकृत होकर आखिरकार ठप्प हो जाती है।" भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मूलभूत भावना के साथ भारतीय संघवाद की व्यावहारिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। इसी पृष्ठभूमि पर संघवाद पोषित होकर विकास की इस दीर्घावधि में सहयोगात्मक संघवाद की स्थिति तक पहुंचा। प्रधानमंत्री ने इस संघवाद को सहकारिता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता से सम्पन्न संघवाद के रूप में देखने की बात की। अब आर्थिक समीक्षा 2016-17 में प्रतिस्पर्द्धी संघवाद से प्रतिस्पर्द्धी उप-संघवाद की ओर की बात की गयी जिसमें महती भूमिका राज्यों के बजाय शहरों की बतायी गयी है। इस व्यवस्था को एक ठोस आधार देने का कार्य वाईवी रेड्डी के नेतृत्व में 14वें वित्त आयोग ने भी किया। 14वें वित्त आयोग ने रक्षात्मक कदम बढ़ाने की बजाय बेहद साहसिक कदम उठाते हुए राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार सौंपकर *सहकारी संघवाद* का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सिर्फ सिद्धांत या रूपरेखा ही किसी व्यवस्था का वास्तविक आकार लेने के लिए पर्याप्त नहीं होती बल्कि राज्य की नीतियां और शासन के उपाय भी जरूरी होते हैं। इसलिए सहकारी संघवाद की प्रतिष्ठा, उसका विकास और सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र और राज्य किस प्रकार की राजकोषीय प्रविधियों का आश्रय लेते हैं, केंद्र और राज्यों के राजनीतिक उद्देश्य किस तरह से समानांतर रेखा में चलते हैं और दोनों की आर्थिक क्षमताएं व प्रतिस्पर्धाएं अपने समुच्चय के साथ चलने में समर्थ होती हैं? यह देखने की भी जरूरत है कि क्या आर्थिक समीक्षा 2016-17 और संघीय बजट 2017-18 में ऐसी कोई राह बनती हुई दिखायी दे रही है या नहीं?

बजट 2017-18 में किए गए प्रावधानों में *सहकारी संघवाद* के विशेष लक्षणों के संपोषणीय भाग की खोजबीन करने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि संघवाद या सहकारी संघवाद भारतीय संविधान में किस तरह से प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है और एक संवैधानिक संस्था के रूप में 'वित्त आयोग' इसके पोषण में किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है लेकिन यहां पर संघीयता सही अर्थों में *फेडरलिज्म इन इण्डियन कैरेक्टरिस्टिक्स* ही कही जाएगी क्योंकि भारतीय संघ अमेरिका या कनाडा जैसी संघीयता संबंधी लक्षणों से सम्पन्न नहीं है और न ही यह राज्यों के साथ किए गए करार का परिणाम है। भारतीय संघवाद में मूल बात है शासन की वह प्रणाली जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता तथा अधिकार विभाजित हों। डॉ. अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय कहा था-'यह देखने योग्य बात है कि प्रारूप समिति ने संघ की बजाय समुच्चय (यूनियन) शब्द का प्रयोग किया है। दरअसल वे यह चाहते थे कि भारत संघवाद के लिए शब्द कोई भी प्रयुक्त किया जाए लेकिन इसे सार रूप में एक समुच्चय

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने आर्थिक-सामाजिक, ऐतिहासिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें प्रकाशन केंद्र (लखनऊ), पियर्सन (किंडर्सले डार्लिंग प्रकाशन, ब्रिटेन की दक्षिण एशिया के लिए फ्रयाइनी) तथा हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय आदि प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गयी है। एक अन्य पुस्तक नई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत प्रकाशनाधीन है। ईमेल: raheessingh@gmail.com

तालिका 1: 13वें व 14वें वित्त आयोगों द्वारा अंतरण सिफारिशें

परिवर्तनीय कारक	प्रदत्त भारांश	
	13वां	14वां
जनसंख्या (1971)	25	17.5
जनसंख्या (2011)	0	10
राजकोषीय क्षमता/आय वितरण	47.5	50
क्षेत्रफल	10	15
वन क्षेत्र	0	7.5
राजकोषीय अनुशासन	17.5	0

स्रोत : 14वां वित्त आयोग (आर्थिक समीक्षा 2014-15 अध्याय 10)

के अर्थ में लिया जाए, ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है (द इण्डियन कंसटीट्यूशन) लेकिन भारत संघ की व्यवस्था राजनीतिक

अब *सहकारी संघवाद* (कॉआपरेटिव फेडरलिज्म), जिसका अर्थ है-सत्ता का विकेंद्रीकरण और संघ, राज्य तथा स्थानीय एजेंसियों व संस्थानों के पास समान अधिकार का होना, स्थापित करने के लिए रोडमैप तैयार हो रहा है। इसमें वित्त आयोग, नीति आयोग और बजटीय व्यवस्था की भूमिका निर्णायक होगी।

परिस्थिति के अनुसार बदलती गयी, इसलिए संघवाद को उसी के अनुरूप परिवर्तित किया गया या वह स्वयं ही परिवर्तित होता गया जिसे समय-समय पर केंद्रीकृत संघवाद, एकात्मक संघवाद और सौदेबाजी संघवाद के नाम से व्यक्त किया गया। अब *सहकारी संघवाद* (कॉआपरेटिव फेडरलिज्म), जिसका अर्थ है-सत्ता का विकेंद्रीकरण और संघ, राज्य तथा स्थानीय एजेंसियों व संस्थानों के पास समान अधिकार का होना, स्थापित करने के लिए रोडमैप तैयार हो रहा है। इसमें वित्त आयोग, नीति आयोग और बजटीय व्यवस्था की भूमिका निर्णायक होगी।

पिछले कुछ वर्षों में संघवाद सर्वाधिक उलझनपूर्ण चुनौतियों से गुजरा। ऐसे अनगिनत अवसर देखे जा सकते हैं जहां केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार की स्वायत्तता को बाधित या समाप्त करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री *सहयोग से संघवाद न कि बल से* की विचारधारा को प्रश्रय दे रहे हैं क्योंकि वे मानते हैं कि केंद्र से राज्य का संबंध अधीनस्थता का न होकर सहयोग का होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि प्रत्येक सरकार-केंद्र से लेकर ग्राम पंचायत तक-एक बेहतर भारत बनाने में बराबर की भागीदार हैं। *सरकार सहायक हो* के सिद्धांत को वे समर्थन देते हैं जिसका तात्पर्य है सरकार के विभिन्न प्रकारों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, जो लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं और यह ग्राम पंचायत के स्तर से शुरू होता है। वे बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया के सीओएजी व्यवस्था वाली मान्यता भारत के सहकारी संघवाद में भी देखना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि 1992 में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने *काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स* (सीओएजी) का गठन किया था। सीओएजी दुनिया में अपनी तरह का एक निकाय है जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि व राज्यों के नेता स्थानीय सरकारों से समय-समय पर मिलते हैं। जिन नीतियों को केंद्रीय और राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, उन्हें सीओएजी के माध्यम से लागू किया जाता है। सीओएजी ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को निष्पादित करने के लिए जिसमें जलवायु परिवर्तन, राजस्व बंटवारा, शिक्षा, जल वितरण, केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रारूप तैयार करना अंतर-सरकार गतिविधियों का समन्वय करना सरकार के हर प्रकार को एक मंच प्रदान करता है।

सहकारी संघवाद की दिशा में 14वें वित्त आयोग ने एक चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न किया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रत्येक पांच वर्ष पर गठित किए जाने वाले इस आयोग का कर्त्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे-

(क) संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में।

(ख) संघ और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में।

(ग) राज्यों के वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की निधि में संवर्द्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में।

(घ) नगरपालिकाओं की निधि की आपूर्ति के लिए पूर्ववर्ती पैरा (ग) के समापन प्रस्तावों के बारे में।

(ड.) कोई अन्य विवरण जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट हो।

इस तरह से वित्त आयोग संघीय शासन ढांचे में एक सेतु के रूप में कार्य करता है और इसके गठन के पीछे मूल विचार भी यही रहा होगा कि यह कर लगाने वाली शक्तियों और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच संभावित या विद्यमान असंतुलनों पर ध्यान देगा। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच के इस असंतुलन पर ध्यान दिया है, बल्कि इसने राज्यों के बीच भी निष्पक्ष समानता के सिद्धांत का भी ख्याल रखा है। इसे 14वें वित्त आयोग के वर्ष 2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए की गयी सिफारिशों के आधार पर समझा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं-

- 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) में राज्यों का हिस्सा वर्तमान 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है, जो ऊर्ध्वाधर अंतरण में अब तक का सबसे अधिक है। पिछले दो वित्त आयोगों अर्थात 12वें (2005-2010) और 13वें (2010-2015) ने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा क्रमशः 30.5 प्रतिशत (1 प्रतिशत वृद्धि) तथा 32 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत की वृद्धि) की सिफारिश की थी। (तालिका 1)
- विभाज्य पूल में राज्य हिस्से के वितरण के लिए नए क्षैतिज सूत्र का भी सुझाव जिसके तहत 13वें वित्त आयोग ने की अपेक्षा 14वें वित्त आयोग ने दो नए परिवर्तनीय कारक जोड़े हैं-2011 की जनसंख्या और वन क्षेत्र; और राजकोषीय अनुपालन कारक को निकाल दिया है।

14वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच के इस असंतुलन पर ध्यान दिया है, बल्कि इसने राज्यों के बीच भी निष्पक्ष समानता के सिद्धांत का भी ख्याल रखा है।

तालिका 2: संघवाद को समृद्धि देने वाले 10 स्तंभ

किसान	किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करन की प्रतिबद्धता
ग्रामीण आबादी	रोजगार तथा बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना
युवा	इन्हें शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराकर इनमें शक्ति का संचार करना।
गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग	समाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों तथा वहनीय आवास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।
अवसंरचना	दक्षता, उत्पादकता तथा जीवन स्तर में सुधार लाना
वित्तीय क्षेत्र	सुदृढ़ संस्थाओं के माध्यम से विकास एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना
डिजिटल अर्थव्यवस्था	गति, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता लाना
सार्वजनिक सेवा	जनता की भागीदारी के जरिए प्रभावी शासन एवं दक्ष सेवा सुपुर्दगी की व्यवस्था करना
विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन	संसाधनों का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करना तथा राजकोषीय स्थायित्व को बनाए रखना, और
कर-प्रशासन	ईमानदार व्यक्तियों को सम्मान देना।

- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदानों सहित निष्पादन अनुदान।

14वें वित्त आयोग के अंतरणों का अधिकतम लाभ छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड को हुआ है और जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर प्रमुख हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त आयोग ने राज्यों का विभाज्य पूल से कर अंतरण के साथ-साथ जो अन्य प्रावधान किए हैं वे भारत में राजकोषीय संघवाद (फिस्कल फेडरलिज्म) को भी पोषित करते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों में सामान्य श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत समग्र संदर्भों में, सबसे ज्यादा लाभांवित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं जबकि विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम हैं। इसके प्रभाव का बेहतर पैमाना आय प्रति व्यक्ति लाभ है। प्रति व्यक्ति लाभ के संदर्भ में, प्रमुख लाभांवित राज्यों में सामान्य श्रेणी के राज्यों में केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम हैं।

14वें वित्त आयोग आयोग के अंतरणों का अधिकतम लाभ छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड को हुआ है और जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा सबसे पहले कतिपय सुविधाहीन और जरूरतमंद राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में प्राथमिकता देने की दृष्टि से पांचवें वित्त आयोग द्वारा 1969 में शुरू की गयी थी। आरंभ में असम, नागालैण्ड और जम्मू-कश्मीर आदि तीन ही राज्य शामिल थे लेकिन 8 और राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड) और जुड़ गए। इनके अलावा, अन्य सभी राज्य सामान्य श्रेणी के राज्य हैं। ध्यान रहे कि विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) सकल कर राजस्व (ग्रास टैक्स रेवेन्यू) का वह भाग होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उद्गृहीत अधिभारों और उप-कर के सिवाय सभी करों, निवल संग्रहण प्रभार से मिलकर बनता है। विभाज्य पूल से कर अंतरण के साथ-साथ पिछले वर्षों में राज्य के लिए अनुदानों का क्षेत्र और भी काफी बढ़ गया है जिनसे कि उनकी विशिष्ट सेवाएं शामिल की जा सकें।

बहरहाल 14वें वित्त आयोग से पहले कर-राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किसी वित्त आयोग ने नहीं की थी। अब यह संभव है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कटौती हो और राज्यों के वापस वित्तीय साधनों की हो रही वृद्धि को देखते हुए उन पर विकासात्मक जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिसके संकेत पहले-पहल 2015-16 के रेल बजट और आम बजट में स्पष्ट रूप से दिख गए थे। इसके बाद संघीय बजट व नीतियों के माध्यम से ऐसे प्रयास लगातार होते दिखे जिससे संघवाद का फलक विस्तृत हो। इसके बाद से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वित्तीयन भी कुछ सीमा तक राज्यों की ओर हस्तांतरित होने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई जिसके संकेत वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की तरफ से लगातार मिल भी रहे हैं।

वैसे तो भारत में उदारीकरण की शुरूआत के साथ ही विकास की एक समान और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। इस प्रतिस्पर्धा में यह आवश्यक था कि संघ की प्रत्येक इकाई को अपने आर्थिक संसाधनों को जुटाने, उनका प्रबंधन करने और उनके व्ययों के लिए नीतियां बनाने संबंधी स्वतंत्र अधिकार हो क्योंकि वित्तीय आत्मनिर्भरता के बिना प्रतिस्पर्धा संभव ही नहीं है। लेकिन संघवाद को वास्तविक गति 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सहकारी संघवाद की तरफ बढ़ाए गए कदमों से मिली। वर्ष 2015-16 के बजट में पहला रूट विभाज्य पूल से कर अंतरण और अनुदान संबंधी था जिसने राज्यों को अपनी नीतियां बनाने के लिए वित्तीय आधार प्रदान किया था और दूसरा-स्थानीय स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं को मिलने वाली राशि या

संघवाद को वास्तविक गति 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सहयोगी संघवाद की तरफ बढ़ाए गए कदमों से मिली। वर्ष 2015-16 के बजट में पहला रूट विभाज्य पूल से कर अंतरण और अनुदान संबंधी था जिसने राज्यों को अपनी नीतियां बनाने के लिए वित्तीय आधार प्रदान किया था

प्रोत्साहन के तरीके से संबंधित था जबकि तीसरा रूट *धरोहर अर्थव्यवस्था (हेरिटेज इकोनॉमी)* के विकास के जरिए राज्यों की

यही नहीं बजट में अगले वर्ष के लिए सरकारी एजेंडा टीईसी इंडिया अर्थात *ट्रांसफार्म, इनर्जाइज* एण्ड *क्लीन इंडिया* पर रहेगा। इसके तहत प्रशासन की गुणवत्ता और जनता के जीवन की गुणवत्ता में आमूल परिवर्तन लाना, युवाओं एवं कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करना तथा उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता को पहचानने में समर्थ बनाना और देश के भ्रष्टाचार, कालाधन एवं अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण की बुराइयों को समाप्त करना है।

पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने संबंधी था और अंतिम रूट ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक गतिकी (रूरल सोशल-इकोनॉमिक डायनॉमिक्स) में परिवर्तन संबंधी। ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक गतिकी संघवाद की आधारिक संरचना को समृद्ध एवं गतिशील बनाती है। बजट में व्यक्त 10 स्तंभ इस दिशा में महत्वपूर्ण आयाम हो सकते हैं।

यही नहीं बजट में अगले वर्ष के लिए सरकार एजेंडा टीईसी इंडिया अर्थात *ट्रांसफार्म, इनर्जाइज* एण्ड *क्लीन इंडिया* पर रहेगा। इसके तहत प्रशासन की गुणवत्ता और जनता के जीवन की गुणवत्ता में आमूल परिवर्तन लाना, युवाओं एवं कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करना तथा उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता को पहचानने में समर्थ बनाना और देश के भ्रष्टाचार, काला धन एवं अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण की बुराइयों को समाप्त करना है। इस दिशा में सरकार ने सबसे अधिक जोर किसानों एवं ग्रामीण आबादी पर दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने इस संदर्भ में कहा है कि वे किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ग्रामीण। इसके अतिरिक्त आबादी को रोजगार एवं बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना, युवाओं को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराकर इनमें शक्ति का संचार करना; गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों तथा वहनीय आवास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना। अवसंरचना में दक्षता, उत्पादकता तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास करना, वित्तीय क्षेत्र में सुदृढ़ संस्थाओं के माध्यम से विकास एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देना, जनता की भागीदारी के जरिए प्रभावी शासन एवं दक्ष सेवा सुपुर्दगी की व्यवस्था करना...आदि प्रमुख विषय हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे में आमूलचूल पवित्तन ला सकते हैं। किसानों के लिए वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य 10 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। इसमें किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। लगभग 40 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान सहकारी ढांचे से ऋण लेते हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30 प्रतिशत को कवरेज प्राप्त था जो वर्ष 2017-18 में 40 प्रतिशत और 2018-19 में 50 तक बढ़ाने की घोषणा की गयी है। यह कदम निश्चित तौर पर किसानों के लिए अधिक लाभदायक होगा। वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने, 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन शुरू करने का निर्णय एक बेहतर कदम माना जा सकता है।

यदि इसके साथ ही विजन-2022 के लक्ष्यों को शामिल कर दिया जाए तो तस्वीर थोड़ी और भी स्पष्ट हो जाएगी। वर्ष 2022 में देश स्वतंत्रता का 75वां साल मनाएगा। विजन के उद्देश्य हैं -(अ) नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने को सुनिश्चित किया जा सके और (ब) समुचित अवसर प्रदान करना ताकि प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमताओं के अनुरूप उसका उपयोग कर सके। इसके तहत कुल योजनाओं की संख्या 30 के आसपास है जिन्हें मुख्य एवं वैकल्पिक योजनाओं के रूप में विभाजित किया गया है। मुख्य योजनाओं के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाएं होंगी जिनमें राष्ट्रीय विकास मुख्य एजेंडा होगा ताकि केंद्र और राज्य साथ मिलकर टीम की तरह काम कर सकें। मुख्य योजनाओं का केंद्र बिंदु उन योजनाओं तक विस्तार होगा जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेश के लिए बनीं हैं। जबकि वैकल्पिक योजनाओं के रूप में वे योजनाएं हैं जिन्हें चुनने के लिए राज्य स्वतंत्र हैं। इन योजनाओं के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय राज्यों को एकमुश्त कोष जारी करेगा।

फिलहाल सहकारी संघवाद के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की ओर कदम बढ़ रहे हैं लेकिन इसे सार्थक रूप देने के लिए बजट में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि ये संस्थाएं निधि (फंड) की समस्या से न गुजरें। उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों (नगरपालिकाओं) को *स्वायत्त शासन की संस्था* का स्थान देता है। इसलिए वास्तविक संघवाद किसी भी निर्वाचित स्थानीय निकाय तक होना चाहिए। कहीं-कहीं इन तथ्यों एवं सिद्धांतों से दूरी राजा जे. चेलैया के इस निष्कर्ष को स्वीकारती है कि प्रत्येक व्यक्ति विकेंद्रीकरण चाहता है लेकिन केवल अपने स्तर तक ही। लेकिन 14वें वित्त आयोग ने कहा था कि 'हमने कर राजस्व के हस्तांतरण के उद्देश्य से राज्यों को श्रेणियों में नहीं बांटा है। हमने प्रोत्साहनों व शर्तों के इस्तेमाल को न्यूनतम किया है और खुले हस्तांतरण का दायरा बढ़ाया है। यह बताता है कि शासन के सभी स्तरों में हम विश्वास रखते हैं', ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वित्त आयोग ने सहकारी संघवाद की प्रतिष्ठा हेतु कर्त्तव्य पूरा कर दिया है।' इसलिए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम क्रमिक रूप से प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की ओर बढ़ रहे हैं या फिर समीक्षा के निष्कर्ष के अनुसार प्रतिस्पर्द्धी संघवाद से प्रतिस्पर्द्धी उप-संघवाद की ओर बढ़ रहे हैं। ❑

किसानों के लिए वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य 10 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। इसमें किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। लगभग 40 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान सहकारी ढांचे से ऋण लेते हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

सतत विकास लक्ष्यों की ओर बजट

उत्सव कुमार सिंह
सीमा

'हमें इस दुनिया के भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए' -महात्मा गांधी

बजट वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढुलमुल रूझान तथा राजनीतिक बदलाव को देखते हुए बनाया गया है। आज विश्व संरक्षणवाद की नीति के दबाव में वैश्विक उत्पादों, सेवाओं और लोगों को हाशिए पर ला दिया है जिसे देखते हुए यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, मूलभूत संरचना के साथ ही गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट 2017-18 का मूलमंत्र टेक इंडिया अर्थात ट्रांस्फॉर्म, एनरजाइज एंड क्लीन इंडिया (नया, ऊर्जावान और स्वच्छ भारत) है। इस मूल मंत्र की व्यापकता को अमलीजामा पहनाने के लिए बजट में दस स्तंभों का अनुमोदन किया गया है, ये स्तंभ सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं

आज विश्व ने पिछले कई वर्षों के सतत प्रयास से सामाजिक प्रगति में एक अभूतपूर्व मुकाम हासिल किया है। जिसके परिणामस्वरूप गरीबी में लगातार गिरावट आयी है और लोग पहले से ज्यादा स्वस्थ और शिक्षित हुए हैं। हालांकि, यह प्रगति असमान है, समाज में आज भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं, और कई मामलों में पहले से ज्यादा विषम हो गयी है। जिसके फलस्वरूप आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी अपने जीवन को इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान को मुख्यधारा से जोड़ने में रूकावट महसूस करता हैं। इन समस्याओं से रू-ब-रू होते हुए संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने दूसरी सहस्त्राब्दी के आरंभ में समावेशी विकास के नये उद्देश्य से *सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी): 2015* का खाका प्रस्तुत किया, जिसकी प्राप्ति का लक्ष्य 2015 रखा गया था।

इन लक्ष्यों के अनुभव तथा बदलती दुनिया के जरूरतों के आधार पर विकास के अधूरे कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से *सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): 2030* को सितंबर 2015 के संयुक्त राष्ट्र आम सभा के शिखर सम्मलेन के दौरान 193 सदस्य देशों ने अपनाया तथा 1 जनवरी, 2016 से पूरे विश्व में एक साथ लागू किया। इस घोषणा पत्र के 17 लक्ष्य है जो 169 अलग-अलग क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से चिह्नित करते हुए अगले 15 वर्षों में लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। प्रकृति के पंच तत्वों की तरह एसडीजी के भी पांच प्रमुख तत्व है (लोग, ग्रह, शांति, समृद्धि और साझेदारी) इनके समन्वय से लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे इसके तहत वर्ष 2030 तक विश्व से गरीबी के हर स्वरूप के साथ ही भूख का उन्मूलन, लैंगिक असमानता उन्मूलन को सुनिश्चित करने तथा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। घोषणापत्र के लक्ष्य इसकी व्यापकता को दर्शाते है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अब सिर्फ आर्थिक विकास मात्र विकास का द्योतक नहीं होगा बल्कि आर्थिक विकास के साथ ही हमें नागरिकों के बीच समानता, सुरक्षा, समृद्धि तथा न्यायपूर्ण व्यवस्था को भी इसमें शामिल करना होगा। जिससे समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्राप्ति के लिए नये सिरे से सरकार, व्यापार, नागरिक, समाज, और व्यक्तियों के बीच एक वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता होगी। हम 169 लक्ष्यों के प्राप्ति की दिशा में तभी प्रगति कर सकते हैं, जब हम राष्ट्रीय तथा वैश्विक विकास को सतत और सम्यक मार्ग प्रदान करें।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने एसडीजी के लक्ष्य को हासिल करने में भारत को एक महत्वपूर्ण देश मानते हुए कहा कि ''वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य के प्राप्ति में भारत नेतृत्व प्रदान करने

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकी विभाग में आईसीएसएसआर डॉक्टरल फेलो हैं। एमडीजी, एसडीजी तथा अन्य विकास संबंधी मुद्दे उनके पसंदीदा विषय हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन भी करते हैं। ईमेल: singh.utsav@gmail.com
लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकी विभाग में यूजीसी की सीनियर रिसर्च फेलो हैं। ईमेल: seema.choudharys@gmail.com

की अग्रणी स्थिति में है.... हम अपने जीवन और समूचे विश्व को सतत विकास के पथ पर ले आये हैं जिसकी प्राप्ति में भारत का मार्ग और नेतृत्व अहम होगा"... बान की मून के इस कथन की छाप 2015 के संयुक्त राष्ट्र आमसभा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भारत के अभिभाषण में भी झलकती है। प्रधानमंत्री ने एसडीजी लक्ष्यों को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचार 'अंत्योदय' के कल्याण से जोड़ते हुए कहा कि भारत का विकास ढांचा सतत विकास लक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है साथ ही उन्होंने घोषणा-2030 के प्रति भारत के बुलंद और व्यापक नजरिये की बात कही। इसी सन्दर्भ में प्रधानमंत्री ने 31 मई, 2016 के व्याख्यान में भारतीय अर्थव्यवस्था की चिंताओं को चिह्नित करते हुए गरीबों के लिए घर, किसानों को राहत, एमएसएमई को ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन, गर्भवती महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के साथ ही दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही महिलाओं को मुद्रा योजना में वरीयता देने की बात कही, जिसका जिक्र वित्तमंत्री ने बजट 2016-17 के भाषण में किया।

आम बजट 2017-18

आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि यह बजट वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढुलमुल रवैये के साथ ही वैश्विक आर्थिक तथा राजनीतिक बदलाव को देखते हुए बनाया गया है। आज विश्व संरक्षणवाद की नीति के दबाव में वैश्विक उत्पादों, सेवाओं और लोगों को हाशिए पर ला दिया है जिसे देखते हुए यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, मूलभूत संरचना के साथ ही गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर बनाया है। बजट 2017-18 का मूलमंत्र टीईसी इंडिया अर्थात *ट्रांस्फॉर्म, एनरजाइज एंड क्लीन इंडिया (नया, ऊर्जावान और स्वच्छ भारत)* रहेगा। इस मूल मंत्र की व्यापकता को अमलीजामा पहनाने के लिए बजट में दस स्तंभों का अनुमोदन किया हैं, यो स्तंभ सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। इसमें प्रमुखत: शिक्षा और कृषि, ग्रामीण आबादी तथा युवा विकास के लक्ष्यों को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे।

सतत विकास लक्ष्य और बजट

एसडीजी 1 गरीबी के किसी भी स्वरूप के उन्मूलन की बात करता है। विश्व में 80 प्रतिशत गरीब जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहती है जिनके लिए कृषि ही रोजगार का एकमात्र साधन है (एफएओ, 2016)। गरीबी उन्मूलन का जंग ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण आबादी सीधे या परोक्ष तौर पर आमदनी और भोजन के लिए खेती या इससे जुड़े कार्यों पर ही आश्रित है। तमाम आर्थिक विकास के बावजूद आज भी भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है और जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर करती है और आज भी 60 प्रतिशत भारतीय कृषि जनित रोजगार से जुड़े हैं। कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र भारत की अधिकांश जनसंख्या, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण तकनीक जैसे कि मृदा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आदि के संदर्भ में स्थायी कृषि ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इनं बिन्दुओं को केंद्र में रखते हुए समग्र विकास हेतु सरकार खेती से लाभ को सुनिश्चित करने के लिए बजट 2017-18 में कृषि ऋण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ सुनिश्चित किया है साथ ही अतिरिक्त लाभ के लिए डेयरी के माध्यम से दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय कर सकने में आसानी हो और देश की आर्थिक प्रगति को गति दे सके।

खाद्यान्नों की हो रही बर्बादी को रोकने की दिशा में सरकार ने किसानों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की पहल करते हुए इनकी संख्या मौजूदा 250 से बढ़ाकर 585 एपीएमसी तक करने की घोषणा की है। साथ ही खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक ई-कृषि बाजार को 75 लाख रूपये देने की बात कही है, जिससे किसान स्वच्छ ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा की लाभ उठा सकें।

एसडीजी 2 भूख निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। आज भूख के मामले आपूर्ति से जुड़े हुए नहीं है बल्कि कटाई के बाद रखरखाव के संसाधनों की कमी की वजह से खाद्यानों की बर्बादी से जुड़े हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में यह पाया गया कि बर्बादी की मात्रा सबसे अधिक फलों और सब्जियों में है जो कि लगभग 40 प्रतिशत के आस-पास है। खाद्यान्नों की हो रही बर्बादी को रोकने की दिशा में सरकार ने किसानों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की पहल करते हुए इनकी संख्या मौजूदा 250 से बढ़ाकर 585 एपीएमसी तक करने की घोषणा की है। साथ ही खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक ई-कृषि बाजार को 75 लाख रूपये देने की बात कही है जिससे किसान स्वच्छ ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा की लाभ उठा सकें।

एसडीजी 3 सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। बेहतर स्वास्थ्य मानव जीवन में सेहत और खुशहाली का केंद्र बिंदु है। स्वस्थ समाज देश के आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ आबादी की उम्र लंबी होती है साथ ही वो ज्यादा मेहनतकश होते हैं और बचत भी ज्यादा करते हैं (डब्ल्यूएचओ, 2008)। इहीं बातों के मद्देनजर सरकार नयी स्वास्थ्य रक्षा नीति के माध्यम से प्रत्येक परिवार को एक लाख रूपये तक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 तक अतिरिक्त टॉप-अप आधार कार्ड के माध्यम से देने का प्रावधान है।

एसडीजी 4 और एसडीजी 8 समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर प्रदान करने पर जोर देते हुए सबके लिए उम्दा कार्य के द्वारा आर्थिक विकास की परिकल्पना करते हैं। भारत आज जनांकिकीय लाभांश के दौर में है जहां 65 प्रतिशत आबादी युवा है और अपने भरण-पोषण के लिये किसी और पर आश्रित नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में यह आबादी अभिशाप भी हो सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी

ने भारत में आर्थिक संवृद्धि को समावेशी बनाए जाने को नीति-निर्माताओं के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती करार देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि हम अपने जनांकिकीय लाभांश को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें, जिससे वो भी वैश्वीकरण की सुविधाओं से जुड़ सके। इस चुनौती को मौजूदा सरकार ने समझते हुए वैकल्पिक रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जो बजट 2017-18 में भी प्रदर्शित होता है। बजट में कौशल विकास हेतु 1,804 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है साथ 1,500 बहु-कौशल केंद्रों की स्थापना होगी। उम्दा नौकरियों को रफ्तार देने के लिए *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना* को 600 जनपदों तक ले जाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के लिए अभिनव कोष का गठन होगा जो स्थानीय नवाचार को पहचानकर उसे बढ़ावा देने का कार्य करेगी जिससे वैश्विक पहुंच सुनिश्चित होगी। *मेक इन इंडिया* के तहत घरेलू उद्योग को वैश्विक बाजार के प्रतिस्पर्धा में स्थापित करने हेतु कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में बदलाव किया गया है। जिससे उत्पादन लागत घटायी जा सके तथा सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, पूंजीगत माल, रक्षा, उत्पादन, वस्त्र, खनिज, ईंधन, खनिज तेल, रसायन और पेट्रो रसायन, कागज, गत्ते और न्यूजप्रिंट, वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत और पूरी जांच (एमआरओ) तथा जहाजों की मरम्मत वाले क्षेत्रों में भारतीय घरेलू उद्योगों की भागीदारी बढ़े।

एसडीजी 5 लिंग समानता को प्रोत्साहित करता है जिससे आधी आबादी बराबरी के साथ कदमताल कर सके। भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी मात्र 21.9 प्रतिशत है जो की पुरुषों के 54.4 प्रतिशत के मुकाबले आधे से भी कम है (एनएसएसओ, 2012) । आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर श्रमबल में लिंग अनुपात की बराबरी की दशा में दक्षिण एशिया के जीडीपी में 23 प्रतिशत और भारत के जीडीपी में 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा सकती है (आईएमएफ, 2015)। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1974 से लागू है लेकिन पहली बार समान पारिश्रमिक प्रदान करने वाला कार्यक्रम 2009 में *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)* के रूप में आया, जिसमें 100 दिन के रोजगार गारंटी के साथ ही महिलाओं को बराबर वेतन का प्रावधान है। विगत वर्षों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत तक आंकी गयी हैं। मनरेगा से ग्रामीण विकास के साथ ही इसके तहत खोले गए बैंक खातों से वित्तीय समावेशीकरण को भी बढ़ावा मिलता है और इसके तहत खोले गए बैंक खातों से सरकार की *नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना* में मदद मिलेगी। मनरेगा दुनिया में गरीबी मिटाने की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। मौजूदा सरकार ने मनरेगा को गतवर्ष से अधिक बजट आवंटित किया है जो वर्ष 2016-17 के 38,500 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ हो गया है।

एसडीजी 6 का उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बजट में इसका पूरा ध्यान रखते हुए स्वच्छता की ओर उन्मुख सरकार ने भारत में *खुले में शौच* का अंत को लेकर प्रतिबद्ध है। *स्वच्छ भारत* के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इसके आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गयी है जो की 42 प्रतिशत (2014) से बढ़कर 60 प्रतिशत (2016) हो गयी है। कृषि कार्यों हेतु भू-जल के अत्यधिक दोहन ने जल की समस्या खड़ी कर दी हैं जिसे रोकने के लिए सरकार ने *प्रति बूंद अधिक फसल* जैसे महत्वाकांक्षी योजना को बढ़ावा देते हुए नाबार्ड में एक सूक्ष्म सिंचाई कोष का प्रावधान किया है जिससे जल के साथ ही जीवन का भी संरक्षण हो सके साथ ही एसडीजी 6 जो जल एवं स्वच्छता की बात करता है, के लक्ष्य को पाया जा सकता है, जो कम पानी की लागत से ज्यादा पैदावार की बात करता है। आज विश्व के 70 प्रतिशत भू-जल का उपयोग हो चुका है। विकासशील देशों में यह आंकड़ा 95 प्रतिशत तक है। पीने योग्य पानी की कमी के न्यूनीकरण में भी यह कदम सार्थक सिद्ध होगा। *राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम* ग्रामीण उपमिशन के तहत 28000 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

एसडीजी 7 का उद्देश्य सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ऊर्जा खाद्य आपूर्ति और बेहतर पोषण पाने की सक्षम कुंजी है। ऊर्जा पर लागत खाद्य पदार्थों की कीमत को भी प्रभावित करती है। खाद्य प्रणाली विश्व में मौजूद ऊर्जा का 30 प्रतिशत उपभोग करती है जो कि जीवाश्म ईंधन पर आधारित है जिसका न्यूनीकरण अति आवश्यक है। जिसे देखते हुए बजट में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है जिसके तहत सौर पार्क विकास के दूसरे चरण का विस्तार करके अतिरिक्त 20,000 मेगावाट क्षमता की शुरूआत की जाएगी।

एसडीजी 11 सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण के लिए प्रति प्रतिबद्ध है, जिसको देखते हुए *प्रधानमंत्री आवास योजना* का बजट आवंटन 2016-17 के 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 23,000 करोड़ कर दिया है साथ ही वर्ष 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है जिससे गरीबों को सुरक्षित और टिकाऊ घर मुहैया कराया जा सके।

एसडीजी 15 पृथ्वी पर जीवन को दर्शाता है। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना ही इस लक्ष्य का उद्देश्य है। जिससे नितांत भौतिकतावादी जीवन प्रणाली को कम करके उसे प्रकृति उन्मुख बनाया जा सके।

समग्र रूप में अगर हम बजट 2017-18 का अवलोकन करें तो पाते हैं कि यह बजट एसडीजी के तमाम लक्ष्यों को अपने में समाहित किये सतत विकास को सुनिश्चित करता है। ऐसा विकास जो अंत्योदय के सपने को साकार कर सके। ऐसा विकास जो पंक्ति के हर उस आदमी तक पहुंच सके जिसे गांधी जी ने पंक्ति का अंतिम आदमी कहा था। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य : 2030 के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ❑

संदर्भ

- https://pib-nic-in/newsite/PrintRelease-aspÛ\relid¾136875
- https://Imf-org
- http://www-fao-org/
- http://indiabudget-nic-in/ub2017&18/bh/bh1-pdf
- https://sustainabledevelopment-un-org/sdgs
- https://un-org

विकास की गति बढ़ाएगा विज्ञान पर ध्यान

मनीष मोहन गोरे

2017-18 के आम बजट में अंतरिक्ष विभाग को 9093.71 करोड़ रुपये मिले जो पिछले बजट से 1584.57 करोड़ रुपये अधिक है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 4155.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो कि पिछले बजट से 578.89 करोड़ रुपये अधिक है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रम को अपनी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में स्थान दे रखा है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में अंतरिक्ष विभाग को लगभग 23 प्रतिशत का बढ़ा हुआ बजट दिया है

आजादी के बाद से ही भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव लाने के प्रयत्न शुरू कर दिए थे। ये प्रयत्न हमारे देश की परम्परागत ज्ञान प्रणाली और कौशलों में सुधार करके उन्हें प्रतिस्पर्द्धी बनाने के साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में आधुनिक क्षमताओं के विकास से संबंधित रहे। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी मेधा के बल पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका के सहारे देश का रूपांतरण आज एक आधुनिक औद्योगिक समाज में कर दिया है। वैसे तो समकालीन विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण चालक साबित हुए हैं परंतु वर्तमान समय में इन दोनों के साथ एक तीसरा घटक *नवाचार* जुड़ गया है जिसकी प्रासंगिकता पूरे विश्व में महसूस की जा रही है। भारत इस सच से वाकिफ है कि वैज्ञानिक विशेषज्ञता, औद्योगिक बुनियादी ढांचे, उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल मानव शक्ति के समानांतर अब सृजनशील तथा नवाचारी वातावरण की भी खासी जरूरत है।

विगत दशकों में भारत के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में तर्कसंगत निवेश के फलस्वरूप इसके सुखद परिणाम देश के सामने आये। इनमें संचार, अंतरिक्ष, रक्षा जैसे क्षेत्रों में अहम उपलब्धियां दृष्टिगत हुईं। पीएसएलवी और मंगलयान जैसी खास उपलब्धियों ने भारत के गौरव को बढ़ाया है, इस देश की वैज्ञानिक विरासत को पुख्ता किया है और विज्ञान व तकनीक में दुनिया के शीर्ष देशों से कदमताल मिलाने का काम किया है।

यदि मौजूदा समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश की बात करें तो इस लिहाज से भारत विश्व में तीसरा सर्वाधिक आकर्षक निवेश का केंद्र बन गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत सरकार बजट के जरिये समुचित निवेश करती आयी है। इनमें से नाभिकीय ऊर्जा के मामले में तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक शोध में इस तरक्की की वजह से आज भारत विश्व के शीर्ष देशों में अपना स्थान रखता है। वैज्ञानिक प्रकाशनों की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देशों में भारत ने अपना स्थान बना लिया है। पेटेंट आवेदनों की संख्या के मामले में भारत विश्व में 12वें स्थान पर आता है। वर्ष 2006-07 के दौरान जहां 28,940 पेटेंट आवेदन फाइल किये गये थे, वहीं 2014-15 में बढ़कर इनकी संख्या 42,774 हो गयी।

भारतीय विज्ञानः बजट व नीति से होकर राष्ट्र निर्माण की ओर

देश की आजादी के बाद का परिदृश्य अनेक मुसीबतों और विसंगतियों से भरा हुआ था। हालांकि देश के नीति निर्माता आरंभ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रगति प्रेरक के तौर पर देखते रहे तथा इस दिशा में उचित कदम उठाते रहे। देश की वर्तमान

लेखक भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था *विज्ञान प्रसार* में सेवारत हैं और 1995 से विभिन्न संचार माध्यमों के लिए लोकप्रिय विज्ञान विषयों पर लेखन कर रहे हैं। ईमेलः mmgore@vigyanprasar.gov.in

इसरोः 104 का चमत्कार

दुनिया भर के उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के मामले में अब भारतीय स्पेस एजेंसी- इसरो अब सातवें आसमान पर है। 15 फरवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस सेंटर से अपने ताकतवर रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइटों (उपग्रहों) का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रचा है। अपनी 39वीं उड़ान से रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानि पीएसएलवी-सी 37 ने कार्टोसेट-2 सीरीज के एक मुख्य उपग्रह के अलावा 103 अन्य छोटे उपग्रह भी स्पेस में सफलतापूर्वक पहुंचा दिए। कार्टोसेट-2 सीरीज उपग्रह का वजन 714 किलोग्राम था, जबकि शेष अन्य नैनो-सैटेलाइटों का भार लगभग 664 किलोग्राम था। इनमें 19-19 किलोग्राम के दो छोटे सैटेलाइट तो भारत के ही हैं, जबकि बाकि 101 अमेरिका समेत छह अन्य देशों के हैं। अमेरिका के सबसे ज्यादा 96 नैनो-सैटेलाइट पीएसएलवी की इस उड़ान से अंतरिक्ष में भेजे गए, जबकि इजराइल, कजाखस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई के एक-एक सैटेलाइट को इससे प्रक्षेपित किया गया। यह एक रिकॉर्ड है।

इस उपलब्धि के साथ इसरो ने रूस को पछाड़ दिया है। अभी तक एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड रूस के नाम था। 19 जुलाई 2014 को रूस ने डीएनईपीआर रॉकेट से 37 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित किए थे। इसके पीछे अमेरिका की स्पेस एजेंसी- नासा रही है, जो 19 नवंबर, 2013 को अपने रॉकेट *मिनोटॉर-1* से 29 उपग्रह एक साथ भेज चुकी है। बहरहाल, मंगलयान की कामयाबी के बाद इसरो की वाणिज्यिक इकाई 'एंट्रिक्स' को लगातार विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के ऑर्डर मिल रहे हैं। इसरो पिछले साल जून, 2016 में एक साथ 20 सैटलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जिसमें गूगल और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के सैटेलाइट शामिल थे। गूगल का सैटलाइट करीब 110 किलोग्राम का था, जिसे गूगल के मालिकाना हक वाली कंपनी 'टेरा बेला' ने बनाया था जो पृथ्वी की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने में सक्षम है। बीते कुछ सालों में भारत ने दुनिया के 21 देशों के 79 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं।

असल में, इन प्रक्षेपणों की बदौलत इसरो ग्लोबल स्पेस मार्केट में सेंध लगा रहा है। स्पेस में सैटलाइट पहुंचाने का यह बाजार फिलहाल करीब 500 अरब डॉलर का है जो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया के बहुत से कामकाज सैटलाइटों पर निर्भर हो चुके हैं। पूरी दुनिया में मौसम पूर्वानुमान दूरसंचार और टेलीविजन प्रसारण का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, चूंकि ये सारी सुविधाएं उपग्रहों के माध्यम से संचालित होती हैं, इसलिए ऐसे उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने की मांग में तेज बढ़ोतरी हो रही है। कहने को तो आज यूरोपीय या फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी के अलावा चीन, रूस और जापान आदि देशों के रॉकेट भी इसके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन बढ़ती मांग, प्रतिस्पर्द्धी कीमतों और प्रक्षेपण की सफलता की दर आदि मानकों के आधार पर इसरो के रॉकेट काफी प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। यही कारण है कि मौजूदा वित्त वर्ष में एंट्रिक्स का विदेश व्यापार 204.9 फीसदी बढ़ा है।

आज दुनिया के कई छोटे देश भी चाहते है कि सैटलाइट पर आधारित उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद उनका उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात हो। पर वे ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उपग्रह प्रक्षेपण की लागत काफी ज्यादा रही है। इसरो के अभियानों की कम लागत का एक उल्लेख प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में किया था, जब पीएसएलवी सी-23 के सफल प्रक्षेपण के साथ पांच विदेशी उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया गया था। इसरो या इसकी सहयोगी संस्था- एंट्रिक्स द्वारा विदेशी उपग्रहों की लॉन्चिंग की कीमत का कभी सरकार ने खुलासा नहीं किया, लेकिन माना जाता है कि यह शुल्क विदेशी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले 60 फीसदी तक कम होता है।

अनुमान है कि नासा एक उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अमूमन 25 हजार डॉलर प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुल्क लेता रहा है लेकिन कम कीमत के बावजूद पीएसएलवी से अब तक स्पेस में भेजे गए देसी-विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के जरिये एंट्रिक्स कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड एक लाभदायक प्रतिष्ठान में बदल चुकी है। विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके एंट्रिक्स कॉरपोरेशन 750 करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा कमा चुका है। उल्लेखनीय है कि आज दुनिया में पीएसएलवी को टक्कर देने वाला दूसरा रॉकेट (वेगा) सिर्फ यूरोपीय स्पेस एजेंसी के पास है, लेकिन उससे उपग्रहों की लॉन्चिंग की कीमत इसरो के मुकाबले कई गुना अधिक है। प्रतिस्पर्द्धी कीमत पर सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण ही वह कारण है जो पीएसएलवी दुनिया के पसंदीदा रॉकेटों में बदल गया है और आज ज्यादा से ज्यादा देश अपने सैटेलाइट इसरो की मदद से स्पेस में भेजने के इच्छुक है।

वैज्ञानिक प्रगति एक-दो वर्षों में नहीं हुई है, बल्कि वैज्ञानिकों के दशकों लंबे धैर्य और योगदान का ये समेकित प्रतिफल है। हमारी वैज्ञानिक विरासत की परोक्ष प्रेरणा भी इसमें अंतर्निहित है।

आम बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, जैवप्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु विज्ञान के क्षेत्रों से जुड़े अनुसंधान अहम स्थान रखते हैं। नीति आयोग का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग इस क्षेत्र के योजना सूत्रीकरण से संबंधित सभी मामलों का केंद्रीय सेतु है। यहां भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से निम्न छः प्रमुख विभाग जुड़ते हैं:-

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस)
- जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)
- अंतरिक्ष विभाग (डीओएस)
- परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई)
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) सहित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)

पिछले 2016-17 के आम बजट में भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पावरहाउस के रूप में परिलक्षित किया गया था। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में प्रगतिशील निवेश के साथ-साथ महिलाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान की धारा से अधिकाधिक जोड़ने के लिए महिला वैज्ञानिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया।

2017-18 के आम बजट में अंतरिक्ष विभाग को 9093.71 करोड़ रुपये मिले जो पिछले बजट से 1584.57 करोड़ रुपये अधिक है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 4155.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो कि पिछले बजट से 578.89 करोड़ रुपये अधिक है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी,

आलेख 1: पेटेंट आवेदन के क्षेत्र में भारत की बढ़त को दर्शाते हुए आंकड़े

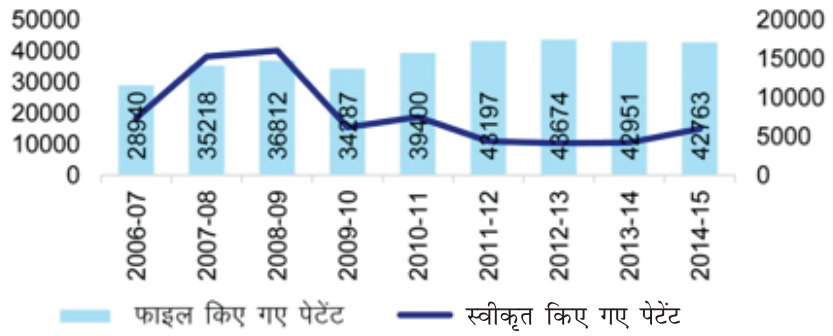

स्रोत: www.ibef.org

अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रम को अपनी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में स्थान दे रखा है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में अंतरिक्ष विभाग को लगभग 23 प्रतिशत का बढ़ा हुआ बजट दिया है। बजट में अंतरिक्ष विज्ञान अनुभाग के अंतर्गत इस बजट के प्रावधान संबंधी उद्देश्य (मार्स आर्बिटर मिशन: 2 और मिशन टू वीनस) को भी स्पष्ट किया गया है। मंगल की सतह की गहन टोह लेने के लिए मार्स आर्बिटर मिशन-2 के प्रक्षेपण का लक्ष्य साल 2021-2022 में तय किया गया है। इस बार मंगल की धरा पर एक टोही रोबोट (रोवर) छोड़ने की योजना है।

गौरतलब है कि साल 2013 में भारत के अंतरिक्ष विभाग ने अपने मार्स आर्बिटर मिशन के अंतर्गत मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में कामयाबी के साथ स्थापित किया था और इससे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी थी। यह मिशन विशुद्ध भारतीय मिशन था। शुक्र मिशन में भी प्रथम मार्स आर्बिटर मिशन की तरह एक अंतरिक्ष उपग्रह शुक्र ग्रह की कक्षा में भारत स्थापित करने वाला है। अभी हाल में 15 फरवरी, 2017 को इसरो ने पीएसएलवी के द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर दुनियाभर में एक नया कीर्तिमान बना लिया है।

वहीं परमाणु ऊर्जा की बात करें तो इस क्षेत्र में जहां इस वर्ष के बजट में 12461.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो पिछले बजट से 498.70 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी पर है। इसके अंतर्गत भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सहित देश के पांच परमाणु ऊर्जा शोध केंद्रों को परमाणु ऊर्जा संबंधी शोध के लिए कुल 3026.20 करोड़ रुपये भी प्रदान किये गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को इस बजट में कुल 14817.27 करोड़ रुपये मिले जो पिछले से 349.56 करोड़ रुपये अधिक हैं।

भारतीय संसद ने विज्ञान संबंधी पहली नीति का प्रस्ताव सन 1957 में पारित किया था। यह दुनिया में पहला उदाहरण था जब किसी देश की संसद विज्ञान नीति लेकर आयी थी। इससे देश के भीतर वैज्ञानिक शोध का वातावरण बना।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग को इस बार 2222.11 करोड़ रुपये मिले जो पिछली बार से 304.87 करोड़ रुपये अधिक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को इस बजट में 4446 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो पिछली बार से 381.20 करोड़ रुपये अधिक हैं।

विज्ञान: देश के लिए लाभकारी

21वीं सदी के आरंभ में संचार क्रांति ने जनजीवन को प्रभावित किया। इस क्रांति की कामयाबी के मूल में मुख्य बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आमजन की दैनिक जरूरतों के समाधान। लोगों का झुकाव इस ओर इसलिए बढ़ा भी। मध्यम वर्ग मोबाइल, इंटरनेट जैसे प्रौद्योगिक उत्पादों का मुख्य संवाहक साबित हुआ। स्थानीय जरूरतों को पूरा होता हुआ देख इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है।

विकासशील की दहलीज पार करके विकसित देश की ओर तेजी से कदम बढ़ाते भारत के पास बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिभाएं मौजूद हैं। यहां विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तकनीकी मानवशक्ति है। और तो और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की फंडिंग के सहयोग से अकादमिक क्षेत्र भी तेजी से इस बदलते वातावरण के साथ खुद को ढाल रहा है जिसे एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

हाल के वर्षों में विदेशी कंपनियां भारत में निवेश हेतु तीव्रता से आकर्षित हुई हैं। यहां पारिश्रमिक का कम होना और प्रतिभाओं के सहजता से उपलब्ध होने जैसी वजहों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने आर एंड डी केंद्र स्थापित कर रही हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के रास्ते सामाजिक और आर्थिक प्रगति को सुगम बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने न्यूनतम नौकरशाही अड़चनों के साथ अनुसंधानकर्त्ताओं को अधिक से अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया

तालिका 1: विज्ञान संबंधी विभिन्न विभागों के वार्षिक बजट में वृद्धि

वैज्ञानिक विभाग	2016-17	2017-18	बढ़त
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	14467.71	14817.27	349.56
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1418.00	1719.00	301.00
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1917.24	2222.11	304.87
अंतरिक्ष विभाग	7509.14	9093.71	1584.57
परमाणु ऊर्जा विभाग	11962.50	12461.20	498.70
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4062.80	4446.00	381.20

*बजट: करोड़ रुपये में

स्रोत: विभिन्न बजट दस्तावेजों के आधार पर लेखक द्वारा परिकलन

तालिका 2 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध प्रकाशन आउटपुट

प्रकाशन वर्ष	शोध प्रकाशनों की संख्या
2005	2,101
2006	2,437
2007	2,917
2008	3,070
2009	3,182
2010	3,495
2011	4,257
2012	4,417
2013	5,267
2014	5,851

स्रोत: www.ibef.org

है जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में और भी हितकारी वातावरण निर्मित हुआ है।

बजट के समानांतर विज्ञान की नीतिगत सीढ़ियां

भारतीय संसद ने विज्ञान संबंधी पहली नीति का प्रस्ताव सन 1957 में पारित किया था। यह दुनिया में पहला उदाहरण था जब किसी देश की संसद विज्ञान नीति लेकर आयी थी। इससे देश के भीतर वैज्ञानिक शोध का वातावरण बना। इसके बाद वर्ष 2003 में भारत में विधिवत ढंग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति बनायी गयी। इस नीति में विज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़कर राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रक्रियाओं में निवेश की जरूरत पर बल दिया गया।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कोलकाता में आयोजित 100वें अधिवेशन के मौके पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 03 जनवरी, 2013 को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति की घोषणा की। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ नवाचार के महत्वपूर्ण पहलू को सम्मिलित कर 2020 तक भारत को विश्व के पांच शीर्ष वैज्ञानिक शक्तियों में से एक बनाने का वृहत लक्ष्य सामने रखा गया। इस नीति के क्रियान्वयन के बाद संबंधित क्षेत्रों में आशातीत निवेश हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से युवाओं को विज्ञान की संस्कृति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की धारा से जोड़ने के लिए *इंस्पायर'(इनोवेशन आफॅ साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च)* योजना को क्रियान्वित किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को समर्पित संसाधनों पर केंद्रित आंकड़ों के संकलन हेतु वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय गतिविधि सर्वेक्षण 2015-16 में किया गया। इसके अंतर्गत देशभर के लगभग 5000 अनुसंधान एवं विकास से जुड़े संगठनों से सूचना एकत्र की गयी थी। देश में तृणमूल नवाचार (ग्रासरूट इनोवेशन) को सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर वर्तमान सरकार द्वारा *स्टिक (साइंस टेक्नोलाजी, इनोवेशन एंड क्रिएशन आफ नॉलेज)* नामक एक नयी पहल 2016 में की गयी है। इसके लिए 2016-17 के संघीय बजट में से इस पहल के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अच्छी राशि आवंटित की गयी।

सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार और सशक्तीकरण के प्रयत्न

भारत में नयी दिल्ली स्थित नेशनल एलाइड इकोनामिक रिसर्च ने भारत में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े सर्वेक्षणों पर आधारित *इंडिया साइंस रिपोर्ट* (2005) का प्रकाशन किया था। इस रिपोर्ट में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के मामलों में देश की चिंताजनक स्थिति को दर्शाया गया था। रिपोर्ट के बाद के वर्षों में इस दिशा में उत्तरोत्तर सुधार हुए। वर्तमान समय में मूलभूत अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष देशों में एक है। यही नहीं, हर वर्ष तकरीबन 4000 डॉक्टरेट और 35000 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां अवार्ड करने वाले 162 विश्वविद्यालयों तथा 38 अनुसंधान प्रयोगशालाओं के समूह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) जैसे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार सहित इस देश के पास दुनिया में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक संख्या में वैज्ञानिक और तकनीकी मानवशक्ति मौजूद है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के मामले में दुनिया के सर्वाधिक उत्पादक देशों में भारत सातवें स्थान पर आता है। भारत के वैज्ञानिक शोध प्रकाशनों की संख्या में निरंतर बढ़त हमारे शोध में एक सकारात्मक प्रगति को प्रकट कर रही है।

देश में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु मानव क्षमता का संपोषण तथा सशक्तीकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक फेलोशिप योजनाओं को क्रियांवित किया जाता रहा है। राष्ट्र के द्वारा 2010-20 के दशक को 'नवाचार दशक' के रूप में घोषित किया गया था और राष्ट्रीय नवाचार परिषद् की स्थापना की गयी। इस परिषद् की कार्य योजनाओं में स्वास्थ्य, ऊर्जा, पानी और परिवहन से जुड़ी सामाजिक आवश्यकताओं की दिशा में नवाचार को प्रेरित करना निर्धारित किया गया। अहमदाबाद में स्थित नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (इंडिया) नामक एक स्वायत्त संस्था भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत क्रियाशील है जो कि देश में तृणमूल नवाचारों को चिह्नित कर उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने का काम करती है। नवाचार को सेन्ट्रल प्लेयर की भूमिका मिली, जब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 को लागू किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी *इंस्पायर* योजना के अंतर्गत अभी तक पीएचडी स्तर के अनुसंधान के लिए 2150 रिसर्च फेलोशिप

तालिका 3 : वैज्ञानिक शोध में भारत के शीर्ष 10 उत्कृष्टता केंद्र

शीर्ष भारतीय शोध संस्थान	साइटेशन इम्पैक्ट
पंजाब विश्वविद्यालय	1.4
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान	1.39
इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन आफ साइंस	1.28
सीएसआईआर रसायन एवं भौतिकी संस्थान	1.18
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	1.15
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु	1.11
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी	1.07
सीएसआईआर उद्योग और मानक	1.07
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	1.06
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	1.03

स्रोत: swissnexindia, NSTMIS

तथा पोस्ट डाक्टोरल शोधकर्ताओं के लिए 270 फैकल्टी अवार्ड प्रदान किये हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अंतर्गत केंद्र-राज्य प्रौद्योगिकी साझेदारी हेतु कार्यक्रमों को लागू किया गया है। विज्ञान शिक्षण के लिए शिक्षकों को तैयार करना और साथ में देश के भीतर तथा बाहर अनुसंधान एवं विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए *मेगा साइंस* में निवेश इसके अहम पहलू हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद् (एनसीएसटीसी) के अंतर्गत देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मीडिया और लोक माध्यमों के प्रयोग द्वारा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के संचार, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, साइंस एक्सप्रेस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर बल दिया गया है।

देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 में *बिग डाटा* कार्यक्रम का आगाज भारत सरकार ने किया। इसके अंतर्गत उद्योगों, सरकार और औद्योगिक जगत में व्यापक अनुप्रयोग हेतु कोर जेनेरिक प्रौद्योगिकियों, युक्तियों तथा कलन विधियों के विकास का लक्ष्य है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी इंस्पायर योजना के अंतर्गत अभी तक पीएचडी स्तर के अनुसंधान के लिए 2150 रिसर्च फेलोशिप तथा पोस्ट डाक्टोरल शोधकर्ताओं के लिए 270 फैकल्टी अवार्ड प्रदान किये हैं।

वैज्ञानिक शोध में उत्कृष्टता: एक अहम उपलब्धि

वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष जर्नलों में न्यूनतम 200 शोध पत्रों के प्रकाशन के आधार पर भारत के चुनिंदा अकादमिक शोध संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2015 में पंजाब विश्वविद्यालय को 2010 से 2014 के दौरान शोध पत्रों के प्रकाशन के आधार पर भारत के शीर्षस्थ विज्ञान संस्थान के रूप में अभिस्वीकृत किया गया। 1.4 के साइटेशन इम्पैक्ट के साथ यह संस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा।

भारत तर्कसंगत रूप से सशक्त होकर विश्व में औद्योगिक और तकनीकी विकास का एक अगुआ होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार और परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों में सामाजिक दायित्व बोध के साथ प्रगति करने हेतु देश के वैज्ञानिकगण और उद्योग जगत कटिबद्ध हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी 3 जनवरी, 2017 को तिरुपति में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन अवसर पर वैज्ञानिक शोध से जुड़ी सामाजिक जिम्मेदारी की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया था। यह आज के समय की मांग है। हमारे देश के वैज्ञानिक इस लक्ष्य को हासिल करने और इस दिशा में कठोर परिश्रम के लिए तैयार हैं। ❑

REUNION IAS / V.K. TRIPATHI

(वैकल्पिक विषय)

राजनीति विज्ञान

सामान्य अध्ययन-II
(मुख्य परीक्षा)
राजव्यवस्था, शासनव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय
(नियमित चक्रीय बैच)

सामान्य अध्ययन-IV
नीतिशास्त्र (जून 2017)
आंतरिक सुरक्षा (जून 2017)
प्रारम्भिक परीक्षा
राजव्यवस्था (Polity PT)
6 मार्च 2017 (10-12:30PM)

303, TOP FLOOR, SATIJA HOUSE, MUKHERJEE NAGAR, DELHI

9999421659-58

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कशमकश

अरविंद तोमर

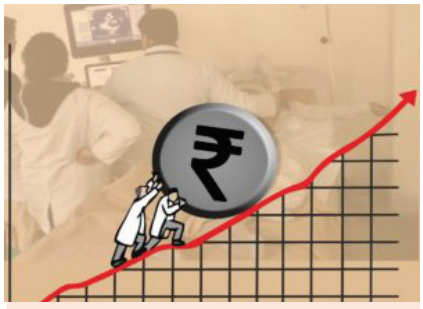

बजट 2017 में झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जो कि एक सराहनीय कदम है। स्वास्थ्य नीति 2015 के मसौदे में भी यह स्वीकार किया गया है कि स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत ढांचे और मानव संसाधन निर्माण के लिए लक्षित निवेश पर ध्यान केंद्रित करना भारत का लक्ष्य होना चाहिए। जिन राज्यों में मानव संसाधनों की कमी है, उनमें निवेश कर विशेषज्ञों और चिकित्सकों की संख्या को विस्तार देने की बात भी नीति में कही गयी है। नीति का उद्देश्य 58 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करना और 58 जिला अस्पतालों को नये मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित करना भी है

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (प्रति व्यक्ति आय के मामले में) और प्रचुर मात्रा में आधुनिक तकनीकें और ज्ञान उपलब्ध होने के बावजूद भारत में स्वास्थ्य सेवा के लिहाज से अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सके हैं। ऐसा तब है जब नवीन स्वास्थ्य नीति-2015 में भी स्वीकारा गया है कि स्वास्थ्य हालात व्यापक तौर आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। निसंदेह, इस परिदृश्य के चलते ही केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होने वाली घोषणाओं पर नजर रहती है। केंद्रीय बजट-2017 की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2016-17 के बजट में यह 37,066 करोड़ रूपये था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़ाकर 47,352 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

स्वास्थ्य को आवंटन यह दर्शाता है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश के जरिये देश के बदलते जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति के प्रति काफी सजगता दिखा रही है और जिससे आम जनता इस संबंध में आश्वस्त रहे। इसके अलावा, इन्होंने इस तथ्य को भी दर्शाने की कोशिश की है कि नीति-निर्माता देश की आबादी की स्वास्थ्य स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है, जो देश की आर्थिक उत्पादकता और प्रगति के साथ भी जुड़ा हुआ है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं:

1) वर्ष 2017 तक कालाजार, फाइलेरिया, 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना पेश की गयी है।
2) झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
3) बजट प्रस्तावों में कहा गया है कि औषधियों की उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन किया जायेगा।
4) वर्ष 2025 तक तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य है।
5) शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) जो 2014 में 39 थी, उसे घटाकर 2019 तक 28 करने तथा मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को 2011-13 के 167 से घटाकर 2018-20 तक 100 करने के लिए भी कार्य योजना बनायी गयी है।
6) 1.5 लाख स्वास्थ्य उप-केंद्रों को स्वास्थ्य और सेहत केंद्रों में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव किया गया।
7) बजट भाषण में कहा गया है कि द्वितीयक और तृतीयक स्तरों की देखभाल को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्कयता है, इसलिए सरकार द्वारा प्रति वर्ष 5,000 अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटें सृजित करने का निर्णय किया गया है।

जाहिर है कि इस वर्ष स्वास्थ्य बजट में संपूर्ण ध्यान पांच संक्रामक रोगों के उन्मूलन पर है और इसके लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण उप-केंद्रों, सरकारी अस्पतालों में विशेष डॉक्टरों की भर्ती, महिलाओं और बच्चों के जागरूकता कार्यक्रमों के लिए आवंटन और बुजुर्ग गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था आदि

लेखक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर कार्यरत हैं। ईमेल: arvindtomar.doc@gmail.com

प्रावधान संभवत: इसी विस्तृत लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

हालांकि संक्रामक रोगों में एड्स के खिलाफ लड़ाई में भारत सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रहा है। जहां वर्ष 2001 में इस घातक रोग की प्रसरण दर 0.41 प्रतिशत थी तो वर्ष 2011 में यह घटकर 0.27 प्रतिशत रह गयी। मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया और कुष्ठ रोगों के नियंत्रण और रोकथाम में भारत आशानुसार प्रगति कर रहा है। इसके अलावा जनसंख्या स्थिरीकरण में भी भारत ने बेहतर नतीजे हासिल किए हैं। राष्ट्र स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.9 से घटकर 2.4 हुई है। देश की जनसंख्या के 42 प्रतिशत हिस्से का निर्धारण करने वाले छह राज्यों-बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी प्रजनन दर में भी कुछ कमी आयी है। भारत को पोलियो मुक्त बनाने में भी स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लेकिन यहीं पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े एक बड़े विरोधाभास को भी समझने की आवश्यकता है।

निसंदेह देश में संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं लेकिन देश में होने वाले कुल रोगों में सबसे बड़ा हिस्सा (39.1 प्रतिशत) गैर-संक्रामक रोगों का है। ऐसा अनुमान है कि गैर-संक्रामक रोगों से दुनियाभर में 60.3 प्रतिशत मौतें और भारत में 50.5 प्रतिशत मौतें होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011 के अंतर्गत जारी आकड़ों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में चार प्रमुख गैर-संक्रामक रोगों मधुमेह, श्वसन संबंधी रोग, कैंसर और हृदय रोग से 80 प्रतिशत मौतें होती हैं। भारत सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों की एक जैसे वजहों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम और मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक की रोकथाम और बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को एकीकृत करते हुए कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक की रोकथाम और बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप दे दिया, लेकिन तब से लेकर अब तक गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए नयी नीतियों और कार्यक्रमों का अभाव है और यही नजरिया इस बजट में भी दिखायी पड़ता है।

इसके अलावा, यहां ध्यान खींचने वाला तथ्य यह है कि इन रोगों से होने वाली मृत्यु के शिकारों में न सिर्फ शहरी लोग हैं, बल्कि इसने अपने पांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमा लिये हैं और यदि आंकड़ों की बात माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा स्थिति कहीं अधिक गंभीर है।

वैसे इन क्षेत्रों में इसका सबसे प्रमुख कारण कम आय, अशिक्षा और चिकित्सा सेवाओं की कमी है, जिससे इन्हें अपनी जान बचा पाना काफी मुश्किल हो जाता है और इस तरह के संकट का निवारण बजटीय प्रावधनों में एक अतिरिक्त छोटा सा हिस्सा देकर किया जा सकता था। यह गौरतलब है कि गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए व्यवहार और जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा ताकि शुरूआती दौर में रोग की पहचान कर इस पर नियंत्रण किया जा सकें। विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण कर और रोग के बारे में जागरूकता पैदा कर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गैर-संक्रामक रोगों के बढ़ते दबाव से मुकाबला किया जा सके। इसके लिए सर्वथा नये कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया और कुष्ठ रोगों के नियंत्रण और रोकथाम में भारत आशानुसार प्रगति कर रहा है। इसके अलावा जनसंख्या स्थिरीकरण में भी भारत ने बेहतर नतीजे हासिल किए हैं। राष्ट्र स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.9 से घटकर 2.4 हुई है। देश की जनसंख्या के 42 प्रतिशत हिस्से का निर्धारण करने वाले छह राज्यों-बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी प्रजनन दर में भी कुछ कमी आयी है। भारत को पोलियो मुक्त बनाने में भी स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

यदि देखा जाए तो आजादी के बाद से ही स्वास्थ्य बजट का एक महत्वपूर्ण भाग संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में शामिल हो गया था। यह तत्कालीन समय की आवश्यकता भी थी, लेकिन समय बदलने के साथ-साथ इस नजरिये में बदलाव भी उतना ही आवश्यक था।

हालांकि बजट में पांच संक्रामक रोगों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता स्वागत योग्य है, लेकिन पूर्ण उन्मूलन के दौरान किया जाने वाला अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश अब बहस का मुद्दा है। पोलियों उन्मूलन का देशव्यापी अभियान, जिसमें लंबें समय तक किया गया व्यय एक उदाहरण के रूप में हम सभी के सामने उपलब्ध है। वैसे यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत ने चरणबद्ध ढंग से याज, मातृ एवं नवजात टिटनेस और चेचक जैसे रोगों को बिना किसी कोलाहल वाले योजना के उन्मूलन कर दिया है। इसके अलावा, कालाजार और फाइलेरिया जैसी बीमारियों का उन्मूलन लगभग पूरे देश से हो चुका है। हालांकि, कुष्ठ और तपेदिक जैसी महामारी रोगों का उन्मूलन इन पर किए गए वित्तीय निवेश पर बरती गयी सावधानी पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत ढांचे और मानव संसाधन निर्माण के नजरिये से 40 बिलियन डॉलर के मूल्य वाले निजी स्वास्थ्य उद्योग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समावेशी भागीदारी की अवधारणा तभी साकार हो सकती है जब अकादमिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायिक-निजी घरानों को भी स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा जाए। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को विकेंद्रीकृत स्तरों पर स्थानांतरित करना भी जारी रखना होगा।

वैसे इस बार के बजट में वर्ष 2025 तक तपेदिक के पूरी तरह उन्मूलन का लक्ष्य तो रखा गया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि सरकार इस रोग से संबंधित अपनी कार्य योजना पर एक बार फिर जोर देती। यह ध्यान देने योग्य बात है कि संयुक्त टीबी निगरानी अभियान-2014 की सिफारिशों में यह स्पष्ट कहा गया था कि भारत में टीबी नियंत्रण के बजट में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता है। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 'एंड टीबी स्ट्रेटजी' को वास्तविकता में बदलने के लिए 1500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आवश्यकता है।

यहां तक कि सरकार ने स्वास्थ्य बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी कार्यक्रमों के लिए प्रावधानों की घोषणा की है, हालांकि पिछले एक दशक से संस्थागत प्रतिपादन और टीकाकरण जैसी पहलों को काफी प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन शायद अब समय आ गया है कि इस तरह की योजना पर प्रकाश डाला जाए जो भारत भर में महिलाओं के लिए बेहतर और मानक स्वास्थ्य सुविधओं को सुनिश्चित करती है। सबसे बड़ी

चुनौती स्वास्थ्य सेवाओं में कायम विषमता को दूर करने की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2015 के मसौदे में यह स्वीकारा गया है कि केवल 6,817 महिलाओं के प्रसव के दौरान तीन अनिवार्य परीक्षण हो पाये हैं। सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद 2-4 वर्ष आयु वर्ग के केवल 61 प्रतिशत बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षण मिल पाया है।

हालांकि, देश में मातृ मृत्यु की संख्या पहले की अपेक्षा काफी कम हो चुकी है। मातृ मृत्यु दर वर्ष 1990 के प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर 560 के स्तर से घटकर वर्ष 2010-12 में 178 के स्तर पर आ गयी है। यानि भारत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर 140 को हासिल करने से कुछ ही दूर है, लेकिन अब भी यह देश में महिलाओं के बीच मौत का 10वां सबसे बड़ा कारण है। इसलिए, इस समय जच्चा-बच्चा की दृष्टि से स्वच्छ, सुलभ और सहायक क्लीनिक के निर्माण में निवेश का प्रावधान काफी प्रभावी हो सकता है। इस नजरिये से भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। मिशन ने लगभग 9,00,000 आशा कार्यकर्ताओं की मदद से विकेंद्रीकृत सामुदायिक प्रणाली को साकार किया है।

बजट 2017 में झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जो कि एक सराहनीय कदम है। स्वास्थ्य नीति 2015 के मसौदे में भी यह स्वीकार किया गया है कि स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत ढांचे और मानव संसाधन निर्माण के लिए लक्षित निवेश पर ध्यान केंद्रित करना भारत का लक्ष्य होना चाहिए। जिन राज्यों में मानव संसाधनों की कमी है, उनमें निवेश कर विशेषज्ञों और चिकित्सकों की संख्या को विस्तार देने की बात भी नीति में कही गयी है। नीति का उद्देश्य 58 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करना और 58 जिला अस्पतालों को नये मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित करना भी है। इस नीति में सुझाव दिया गया था कि सरकार को मेडिकल शिक्षा और शोध के एम्स जैसे संस्थानों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 करनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक वित्त की केंद्र और राज्य में साझेदारी होगी। जाहिर है कि बजट-2017 में की गयी घोषणा इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

इसके अलावा, यह बात भी सच है कि भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने की योजना का निर्माण करना काफी चुनौती पूर्ण काम है, विशेष रूप से तब, जब स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का देशभर में भिन्नता मौजूद हो और इसलिए भारत को हर हाल में दोनों संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों से निपटने के लिए बेहतर और लंबी दौर वाली योजनाओं का सृजन करने की आवश्यकता है। लेकिन, हाल के बजट में सरकार ने परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाया, जबकि इसमें और अधिक आवंटन की आवश्यकता थी, जैसे-बुजुर्ग गरीबों के लिए बजटीय प्रावधान आदि।

स्वास्थ्य क्षेत्र में समावेशी भागीदारी की अवधारणा तभी साकार हो सकती है जब अकादमिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायिक-निजी घरानों को भी स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा जाए। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को विकेंद्रीकृत स्तरों पर स्थानांतरित करना भी जारी रखना होगा। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों-'आयुष' की प्रैक्टिस और संवर्धन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करना इन वैकल्पिक पद्धतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई अनछुए पहलू हैं, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता बनी हुई है। *राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जननी शिशु सुरक्षा और जननी सुरक्षा योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना* जैसे सरकार समर्थित बीमा योजना के बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल सकी है। लगभग 63 मिलियन लोगों को स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की वजह से प्रति वर्ष गरीबी का सामना करना पड़ता है। समग्र रूप से बीते वर्ष में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हुए खर्च का रुझान स्वास्थ्य तंत्र की खामियों की एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय, वर्ष 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 0.93 प्रतिशत था। यह वर्ष 2011-12 के दौरान बढ़कर 1.04 प्रतिशत हो गया, लेकिन इसमें वैसी वृद्धि नहीं हुई जिसका लक्ष्य पिछली स्वास्थ्य नीति-2002 में रखा गया था। जाहिर है कि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति पर पड़ा है। नवीन स्वास्थ्य नीति-2015 में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है, वैश्विक रुझान को देखते हुए यह लक्ष्य कोई बहुत महत्वाकांक्षी नहीं लगता, लेकिन भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की जटिलताओं के चलते इस लक्ष्य को हासिल करना भी आसान नहीं होगा।

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के सामने इन परंपरागत खामियों को दूर करने के साथ-साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार भी चलने की चुनौती है। अधिक भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्णय प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकृत स्तरों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ताकि यह व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में समावेशी भागीदारी की अवधारणा तभी साकार हो सकती है जब अकादमिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायिक-निजी घरानों को भी स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा जाए। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को विकेंद्रीकृत स्तरों पर स्थानांतरित करना भी जारी रखना होगा। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों-'आयुष' की प्रैक्टिस और संवर्धन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करना इन वैकल्पिक पद्धतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

निश्चित रूप से भारत में अब भी स्वास्थ्य प्रावधानों स्वास्थ्य और देखभाल में व्यय होने वाले सार्वजनिक धन का उपयोग समाज के सबसे कमजोर तबकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए क्योंकि यही वर्ग सबसे ज्यादा बीमारियों का बोझ सहता है। स्वास्थ्य सेवाओं को न्यायसंगत बनाना एक बड़ी चुनौती है। इसका अर्थ है सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से निर्धनतम तबकों तक पहुंचना और लिंग, जाति, गरीबी, आशक्त एवं सामाजिक अलगाव के विभिन्न रूपों और भौगोलिक अवरोधों को पाटना है। ये चुनौतियां भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डालती हैं। ❑

MAEER's MIT-SOG MIT School of Government
Kindling the flame of Democratic Leadership...

MAEER's
MIT SCHOOL OF GOVERNMENT | PUNE | INDIA
Estd.: Sept. 2005
S. No. 124, Paud Road, Kothrud, Pune 38.

First ever Leadership Program in India & Asia for a Career in Politics

Founder & Initiator:
Rahul V. Karad

One-year full time residential
Master's Program In Government
MPG- 13, 2017-2018

ADMISSIONS OPEN : BATCH -13 COMMENCES August 1, 2017

CAREER PROSPECTS:

Apart from Career in Electoral Politics, there are various attractive career opportunities in the field of functional politics as Research Associate, Political Analyst, Policy Associate, Political Strategist, Political Consultant, Election management, Election Research & Campaign management, Social media managers, Constituency management, Assisting in Parliamentary Affairs etc.

COURSE SYLLABUS:

- Political Marketing and Branding
- Political Economy, Public Policy
- Law, Public Administration & Governance
- Research Methods for Contemporary Political Issues
- Social Media handling, Global Politics

ELIGIBILITY:

Graduate from any faculty is eligible to apply for the selection process of MPG-13. The upper age limit is 35 years as on July 31, 2017.

More than 350 alumni successful in political arena

9850897039, 7720061611
9146038947
www.facebook.com/Mitsog
Apply @ www.mitsog.org

Supported by UNESCO
UNESCO Chair for Human Rights, Democracy, Peace & Tolerance World Peace Centre (Alandi) Pune, India

In Academic Alliance with TISS
Tata Institute of Social Sciences

POLITICS AS THE BEST CAREER OPTION!

India needs leaders who are dynamic, proactive, capable and knowledgeable. All professions including Medicine, Engineering, Pharmacy, Management, Law etc. employ educated & skilled people in their respective fields. Then why not in Politics, which is as crucial as it concerns the wellbeing of nation and its populace at large. We have under graduate and post graduate programs to address the challenges of other sectors but none for those who envision to enter into politics in a professional way. When we look at the present political scenario, we all feel that India needs Leaders who have a fair idea about what is happening and what they need to do when they take over the mantle. But how do they go about it? Like getting proper guidance, training, knowledge whereby they can form their own perspective, and giving better guidance when leading the country and its citizens. Today's political environment demands knowledge & skills- like Foreign Policy, Political Economy, International relations, Public Policy, Constitution, Five Tier Structure and grass root politics required to win the elections, Election Management, Constituency Development etc.

The political leaders in their active public life are concerned mostly with Social Work focusing on policies related to betterment of the masses. They require trained/skilled manpower to assist them in this endeavor in the following areas- Political Analyst, Political Strategist, Election Consultants, Constituency Managers, Public Relation officer, Social Media analyst, Brand consultants etc.

All these positions require good analytical, research, managerial, leadership & communication skills along with good decision making power. Many professionals work for government and make excellent money, enjoy security in their positions. Think tanks and private firms also provide job opportunities, although the pay in such cases can vary, depending on the grants received and the group's political affiliations. These professionals represent the country in international forums, indulging in debates of grave importance, having meetings with international leaders, passing of bills in parliament etc. They assist to resolve the internal problems and issues as well as we need to make good relation with the other nation.

As professionals work for a corporate organization to enhance its brand equity, a healthy balance sheet and a good customer feedback, politicians are striving hard for their respective political parties and constituency. MIT School of Government, Pune established in 2005, is the only institute in the country to provide experiential learning and training to the young, dynamic leaders of India to take up challenging positions and leadership roles in the democratic fabric of the nation.

शिक्षा सुधार की दिशा में सजग प्रयास

चंदन कुमार
प्रभांशु ओझा

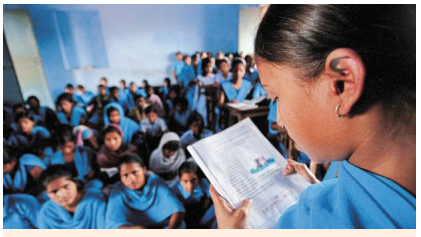

बजट में की गयी कुछ अन्य घोषणाओं के सन्दर्भ में देखें तो कहा जा सकता है कि इस बार सरकार का ध्यान स्कूली शिक्षा पर केंद्रित है। इसमें गुणवत्ता आधारित शिक्षा हर जरूरतमंद तक पहुंचाना लक्ष्य रहेगा। उच्च-शिक्षा से जुड़े जो संस्थान अच्छा काम करेंगे उन्हें ज्यादा स्वायत्ता दी जाएगी और जिनका प्रदर्शन खराब होगा, उन पर मंत्रालय नियंत्रण के जरिए नकेल भी कसेगा। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर एक 'इनोवेशन फंड' बनाने की घोषणा बजट में की गयी है। इसमें 3,479 पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय आविष्कारों को बढ़ावा दिया जाएगा

किसी भी समाज के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत आवश्यकता होती है। शिक्षा का उद्देश्य कहा गया है- 'या विद्या सा विमुक्तये'। यानि शिक्षा वही है जो मुक्त करे, आजाद करे। यही कारण है कि हमारे संविधान में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है और स्वतंत्र भारत में प्रत्येक सरकार ने उत्तरोत्तर बदलती स्थितियों के अनुरूप शिक्षा नीति और उससे जुड़ी अपनी सोच को भी लचीला बनाया है। वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में भी उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र कई किस्म के बुनियादी बदलावों से गुजर रहे हैं।

इसलिए जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने साल 2017-18 का आम बजट पेश किया तो शिक्षा संबंधी घोषणाओं पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र की हालत सुधारने की उम्मीदों को जिन्दा रखा। यह गौरतलब है कि *वित्त मंत्री के बजट पिटारे से शिक्षा क्षेत्र के लिए की गयी घोषणा में बजटीय आवंटन को 8.5 फीसदी बढ़ाकर 79,686 हजार करोड़ रुपये किया जबकि बीते वर्ष 2016-17 में यह राशि 73,599 करोड़ रुपये थी। कुल बजट आवंटन में स्कूली शिक्षा (प्राथमिक और सीनियर सेकेंडरी) के लिये 46,356.25 करोड़ रूपए और शेष उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है।*

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जहां एक ओर उच्च-शिक्षण संस्थानों की स्वायत्ता में इजाफा करने की बात कही तो वहीं स्कूली शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। साथ-साथ यह भी रेखांकित किया कि सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधार लाएगी और अच्छा प्रदर्शन करने वाले उच्च-शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक कार्यों से लेकर शैक्षणिक स्वायत्ता में इजाफा किया जाएगा। लेकिन स्वायत्ता का दर्जा देने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उक्त संस्थान को दिया गया। एक्रीडिटेशन और रैंकिंग का आकलन किया जायेगा। एक्रीडिटेशन और क्रेडिट आधारित कार्यक्रमों के लिये एक संशोधित सांचा भी तैयार किया जाएगा। देश में युवाओं को अधिक रोजगार मिले, इसके लिए सरकार कई योजनाएं आरंभ करेगी। बजट में ये प्रस्ताव भी है कि भारत में 100 कौशल केंद्र खोले जाएंगे। जिसमें युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गयी है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में स्नातकोतर के लिए 5 हजार सीटें बढ़ायी जाएंगी। साथ ही देश के बड़े अस्पतालों को मेडिकल पाठ्यक्रम कराने के लिए कहा जाएगा। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में और पाठ्यक्रम बढ़ाए जाएंगे।

उच्च शिक्षा से संबंधित से सभी बजटीय घोषणाओं में सर्वाधिक महत्त्व की घोषणा उच्च-शिक्षा से जुड़े हुए तमाम शिक्षण संस्थानों के लिए हर साल आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के गठन का प्रस्ताव है।

चंदन कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। इससे पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर तथा (दक्षिणी परिसर) के डीन एवं सत्यवती कॉलेज के प्राचार्य भी रह चुके हैं। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु नियमित रूप से लेखन व विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से अनवरत रूप से सक्रिय हैं। ईमेल: dr.chandanchaubcy@gmail.com

प्रभांशु ओझा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से सामाजिक आर्थिक विषयों पर लिखते हैं। देश के तमाम विश्वविद्यालयों में लगभग 600 वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के विजेता रह चुके हैं। वर्तमान में दिल्ली-विश्वविद्यालय में शोधरत हैं। ईमेल: prabharisukumc@gmail.com

इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार एनटीए के रूप में एक स्वयंचालित और पूरी तरह से स्वायत्त संगठन स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए जेईई, नीट और नेट जैसी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। एनटीए के गठन से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और अन्य संस्थानों पर काम का दवाब कम होगा और वो शैक्षणिक गतिविधियों की ओर से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। गौरतलब है कि सीबीएसई ने कुछ समय पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को काम के दवाब के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बोर्ड का कहना है कि वो सालभर स्कूली शिक्षा के संबंध में कम ध्यान दे पाता है। जबकि उसका ज्यादातर समय प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने में ही निकल जाता है। जाहिर है कि इस घोषणा के माध्यम से सरकार ने उच्च शिक्षा सुधार की दिशा में एक दूरदर्शी और व्यापक प्रभाव वाला कदम उठाया है। जानकार मान रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं को एक बोर्ड के तहत लाने के प्रस्ताव से प्रतियोगिताओं में पारदर्शिता आएगी। बजट-2017 से पहले भी वर्तमान सरकार ने प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान 'आईआईएम' छात्रों को परास्नातक डिप्लोमा और प्रबंधन में फेलो प्रोग्राम्स के बजाए डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य से आईआईएम विधेयक 2017 को मंजूरी दी थी।

बजट में की गयी कुछ अन्य घोषणाओं के सन्दर्भ में देखें तो कहा जा सकता है कि इस बार सरकार का ध्यान स्कूली शिक्षा पर केंद्रित है। इसमें गुणवत्ता आधारित शिक्षा हर जरूरतमंद तक पहुंचाना लक्ष्य रहेगा। उच्च-शिक्षा से जुड़े जो संस्थान अच्छा काम करेंगे उन्हें ज्यादा स्वायत्ता दी जाएगी और जिनका प्रदर्शन खराब होगा, उन पर मंत्रालय नियंत्रण के जरिए नकेल भी कसेगा।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर एक *इनोवेशन फंड* बनाने की घोषणा बजट में की गयी है। इसमें 3,479 पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय आविष्कारों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कदम ज्ञान-विज्ञान के देशी और परंपरागत स्रोतों को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा।

स्कूलों में वार्षिक लर्निंग आउटम तैयार करने के लिए एक रुपरेखा बनायी जाएगी। इसमें मुख्यत: ध्यान विज्ञान शिक्षा पर रहेगा। लंबे समय तक आलोचक मानते रहे हैं कि बजट में ध्यान, शिक्षा पर खर्च राशि में वृद्धि के साथ-साथ सीखने के नतीजे और गुणवत्ता की निगरानी पर भी होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सरकार नियमित रूप से सीखने के नतीजों की निगरानी नहीं रखती है। उदाहरण के लिए, स्कूलों के वार्षिक रिपोर्ट में नामांकन से संबंधित जानकारी और शिक्षकों की संख्या शामिल होती हैं। उसमें शिक्षा की गुणवत्ता शामिल नहीं की जाती है। हालांकि स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस बात की घोषणा कर चुका है सीखने का एक सरकारी पैमाना 'राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण' अब हर तीन वर्ष की बजाय हर साल किया जाएगा। इसमें सरकारी विद्यालयों, सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और निजी विद्यालय शामिल होंगे। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक प्रायोजन निर्धारित अध्ययन लक्ष्यों की तुलना में छात्रों के प्रदर्शन को समझने के लिए विद्यालयों को एक अवसर प्रदान करना है। परिणामों के आधार पर विद्यालय सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए एक विद्यालय स्तर की योजना तैयार करेंगे। इस तरह के सर्वेक्षण से शिक्षण परिणामों को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक परिवेश तैयार होगा। शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रियाएं शीघ्रता से मिलेगी ताकि वे शिक्षण अंतरालों के समाधान के लिए समय से कार्रवाई कर सकें, एक समयावधि के भीतर छात्रों के प्रदर्शन को समझ सकें और शैक्षिक व्यवस्था की स्थिति के बारे में पाठ्यक्रम निर्माताओं, शीक्षण प्रशिक्षण संस्थानों शैक्षिक प्रशासकों को एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है। जाहिर है कि इन सभी प्रयासों के मद्देनजर वार्षिक लर्निंग आउटम एक नवीन और क्रांतिकारी पहल, जिसे सार्थक साबित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी।

आधुनिक परिस्थितियों में रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया जाने लगा है। इस लिहाज से बजट में कई पहल की गयी हैं। 4,000 करोड़ रुपये की लागत से 315 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण मुहैया कराने हेतु आजीविका विकास के लिए कौशल एवं ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम की घोषणा की गयी है।

इसके साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी का ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ *स्वयं* प्लेटफार्म लांच किया गया है। इससे कोई भी बच्चा इंटरनेट का इस्तेमाल कर बेहतरीन शिक्षक संकाय से पढ़ सकता है। साथ ही उसे उच्च गुणवत्ता की पठनीय सामग्री भी आसानी से उपलब्ध होगी। यह सब आनलाइन है इसलिए यह उन छात्रों व युवाओं के लिए लाभदायक साबित होंगे जो किसी वजह से विश्वविद्यालयों से सीधे नहीं जुड़ सके। आविष्कार से जुड़े स्थानीय मुद्दों को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम को लचीला रखा जाएगा। विदेशों में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिये इस वर्ष 100 इंडिया इंटरनेशनल केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कौशल को बढ़ाने के लिए इस वर्ष 2 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब समय आ गया है कि शिक्षा को तकनीकी से अलग करके न देखा जाए। तकनीकी ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान के तमाम स्रोत जन-जन तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकते हैं। स्पष्ट रूप में कहें तो तकनीकी ज्ञान के तमाम माध्यमों पर किसी भी तरह की तानाशाही को खत्म करती है। एक क्लिक पर सुदूर गांवों में बैठा छात्र भी वह सब कुछ देख-सुन और समझ सकता है जो कि तमाम सुविधाओं से लैस शहरों में उपलब्ध है। शिक्षा को तकनीकी से अलग रखना ज्ञान को सीमित दायरों में केंद्रित करना होगा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सिर्फ सुविधासंपन्न लोगों की विषयवस्तु बनाकर रख देते हैं।

आधुनिक परिस्थितियों में रोजगार प्रदान करने वाले शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया जाने लगा है। इस लिहाज से बजट में कई पहल की गयी हैं। 4,000 करोड़ रुपये की लागत से 315 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण मुहैया कराने हेतु आजीविका विकास के लिए कौशल एवं ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण का अगला चरण वर्ष 2017-18 में 2,200 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जायेगा। इसका उद्देश्य आईटीआई में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार संगतता में सुधार करना और उद्योग समूहों के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करना है

इन सभी प्रयासों के बावजूद शिक्षा क्षेत्र में ऐसे बहुत सी बुनियादी कमियां हैं, जिन्हें संबोधित किया जाना अभी है। जानकार बराबर

औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण का अगला चरण वर्ष 2017-18 में 2,200 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जायेगा। इसका उद्देश्य आईटीआई में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार संगतता में सुधार करना और उद्योग समूहों के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करना है

ये ध्यान दिलाते रहे हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं और बहुत से स्कूलों में पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। कुछ समय पहले सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री थर्मन शन्मुगरत्नम ने राजधानी के विज्ञान भवन में बोलते हुए कहा था कि भारत में स्कूलों की भारी कमी है और यह वह कमी है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

ऐसा नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में धनराशि नहीं खर्च की जा रही है। वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कुल मिलाकर 84,111 करोड़ रूपये से चौगुना बढ़कर 3,95,000 करोड़ रूपये खर्च किए गए। फिर भी भारत में गुणवत्ता और तादात से संबंधित परिणाम में टलते रहे। कोठारी आयोग की सिफारिशें आने के पांच दशक बाद भी ड्रॉपआउट का मसला ज्यों का त्यों बना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में संसद में बताया कि 2013-14 में प्राथमिक स्तर पर 62 लाख से अधिक ड्रॉपआउट के मामले दर्ज किए गए। यह नाकामी गांव-देहात में अधिक दिखती है जहां 35 फीसद से अधिक लोग आज भी निरक्षर हैं, 14 प्रतिशत को प्राथमिक से नीचे स्तर की शिक्षा है और 100 में केवल तीन लोग ग्रैजुएट हैं। हालांकि ये अवश्य है कि यह आंकड़ा बीते एक दशक में काफी सुधरा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालयों से बाहर बच्चों की संख्या वर्ष 2005 में 135 लाख से घटकर वर्ष 2014 में 61 लाख हो गयी, अंतिम बच्चे की भी विद्यालय में वापसी सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण प्रयास किये जाने चाहिए।

विडंबना यह है कि सरकार के स्कूलों पर खर्च बढ़ाने के बावजूद अधिक से अधिक माता-पिता बच्चों को निजी स्कूल में भेज रहे हैं। साल 2005 में 16 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में जाते थे और 2015 में यह 30 प्रतिशत हो गया। साल 2020 तक इसके 50 प्रतिशत होने की संभावना है। एनएसएसओ के अनुसार, हर चौथा बच्चा प्राइवेट कोचिंग क्लास भी जाता है। जाहिर है कि इन सवालों का जवाब ढूंढ़ना आज भी पहेली बना हुआ है। इन सभी वजहों पर नियंत्रण लगाने के लिए दीर्घकालिक और समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। यह गौरतलब है कि बीते वर्षों में *सर्व शिक्षा अभियान* और *राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान* के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से विद्यालय बुनियादी ढांचे के प्रावधानों के तहत उल्लेखनीय प्रगति की गयी है और काफी हद तक सरकारी स्कूलों को लेकर कायम सामाजिक पूर्वाग्रहों को कम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसके अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सके हैं।

दरअसल, शिक्षा पर खर्च किये जाने वाले कम बजट की बहस भी बिलकुल बेमानी नहीं है। वर्ष 1966 में कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षा पर जीडीपी का 6 फीसदी खर्च होना चाहिए। साल 1968 की *राष्ट्रीय शिक्षा नीति* में भी कहा गया कि सरकार को अपनी राष्ट्रीय आय का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। साल 1996 में सैकिया कमिटी ने भी कहा कि सरकार को जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, जिसमें से 50 फीसदी धन बुनियादी शिक्षा पर खर्च किया जाए। लेकिन अभी तक किसी भी आम बजट में शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च जीडीपी का 4 फीसदी से कम ही रहा है। जबकि औसत वैश्विक आंकड़ा 4।9 फीसदी है। ब्रिक्स से अन्य विकासशील देश भी अपनी जीडीपी का करीब 5 फीसदी शिक्षा पर खर्च करते हैं।

इन सभी बहसों के मद्देनजर शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को दोबारा रेखांकित किया जाना आवश्यक है। जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए शोध को बढ़ाने और कॉलेजों के आधारभूत ढांचे को और बेहतर बनाने पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए उच्च शिक्षा में धन के ज्यादा आवंटन की मांग जायज है। जहां तक काम-काज की बात है स्कूलों, शिक्षकों और सरकारों को प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। *स्वयं* जैसे माध्यमों के जरिये किये जा रहे प्रयासों को और तत्परता से लागू करने की आवश्यकता है। कुछ महीनों पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नयी शिक्षा नीति के मसौदे के प्रमुख बिंदुओं को सार्वजनिक किया था जिसमें छात्रों को फेल न करने की नीति पांचवीं कक्षा तक के लिए सीमित करने, ज्ञान के नए क्षेत्रों की पहचान के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन करने, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के कम से कम 6 फीसदी करने और शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश को बढ़ावा देने जैसे कदमों का जिक्र किया गया था। जाहिर है कि नयी शिक्षा नीति के सन्दर्भ में बहस को बढ़ाकर ही शिक्षा क्षेत्र में सुधारों का आरंभ किया जा सकता है।

इस तरह हम कह सकते हैं कि सरकार को साल 2017 का बजट पेश करते हुए यह अहसास था कि आधार भूत संरचना और सामाजिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप प्रदान करने के लिए आधारस्तम्भ हैं। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में 188 देशों में भारत को 135वां स्थान मिला था। यह सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। भारत को यह स्थान 1990-2014 की अवधि में सकल वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने के बावजूद मिला था। स्पष्ट है कि किसी आबादी की शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर उठाना बेहद अहम होता है। डिजिटल हो रही दुनिया और नयी तकनीकों के दौर में उभर रही विश्व की नयी तस्वीर

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में 188 देशों में भारत को 135 वां स्थान मिला था। यह सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। भारत को यह स्थान 1990-2014 की अवधि में सकल वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने के बावजूद मिला था।

में तो यह और आवश्यक हो जाता है। बजट में होने वाली अधिकांश घोषणाएं भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक वित्तीय सामाजिक क्षेत्र के अनुकूल वातावरण का निर्माण करने पर जोर देती हैं। ❑

कौशल विकास से रोजगार की अपरिमित संभावनाएं

आलोक कुमार

वित्त मंत्री ने बजट में इसके लिए पहले से चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखने और नए प्रयासों को पर्याप्त जगह दी है। सरकार का साफ इरादा है कि उद्योग व घरेलू जरूरतों पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित हुनरमंदों की आबादी बढ़ाई जाए। जो हर मौके पर रोजगार के अवसरों की तलाश करने के बजाए खुद का रोजगार पैदा करने में सक्षम हो जाएं। खुद रोजगार खड़ा करें और अन्य बेरोजगारों के लिए अवसर बन जाएं। रोजगार सृजन और कौशल विकास पर ज्यादा जोर देते हुए बजट में अनुमान से ज्यादा धन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कल कारखानों और लघु, मध्यम व कुटीर उद्योग की जरुरत की पूर्ति करना है

विशाल आबादी के दबाव में भारत में रोजगार का मायने बदल रहे हैं। आबादी के अनुरूप नौकरी सृजन करना आसान नहीं। इससे मुकाबला करने के लिए सरकार ने कौशल विकास का प्रशिक्षण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर स्वरोजगार की संभावना बढ़ाने का ठोस वैकल्पिक मार्ग अपनाया है। ऐसा करके नौकरी के लिए भटकते युवाओं को नौकरी का सृजनकर्ता बनाने का आह्वान किया गया है।

केंद्रीय बजट 2017-18 में वित्त मंत्री ने युवाओं को रोजगार लायक बनाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4,000 करोड़ रुपये का 'संकल्प' कार्यक्रम पेश किया, जिसके तहत देशभर में 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, कौशल और रोजगार के जरिए युवाओं में ऊर्जा भरने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए *प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों* का मौजूदा दायरा 60 जिलों से विस्तृत कर देशभर के 600 जिलों तक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों के जरिए पलंबर, इलेक्ट्रिक फीटर, हेल्थ वर्कर, सुरक्षा गार्ड, टेलर जैसे सात सौ से ज्यादा किस्मों के हुनर के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन *कौशल प्रशिक्षण केंद्रों* का संचालन अपने आप में रोजगार का प्रसाधन बन रहा है। प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए प्रशिक्षकों के नियोजन का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन मात्र से बेरोजगारी की समस्या व्यापक पैमाने पर दूर हो रही है। इन केंद्रों से प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार के लिए सरकारी मदद पाने में प्राथमिकता मिल रही है, तो इलाके के औद्योगिक विस्तार को गति देने में प्रशिक्षित हुनरमंदों से मदद ली जा रही है। गांव-गांव, शहर-शहर शुरु हो रहे *प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों* के अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से उच्च स्तरीय कौशल में प्रशिक्षण के लिए बड़े केंद्र शुरु किए जा रहे हैं। इन केंद्रों की शुरुआत के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है।

विदेशों में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में देशभर में 100 *भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केन्द्र* स्थापित किए जाने का भी ऐलान किया है। इन संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण तथा विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इससे विदेश में रोजगार की संभावना तलाश रहे युवाओं को लाभ होगा। औसत दर्जे के हुनर के अलावा उच्च मानक वाले स्किल के लिए स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम 'स्ट्राइव' के अगले चरण पर वित्त मंत्री ने 2017-18 के बजट में 2200 करोड़ रु. खर्च किए जाने की व्यवस्था की है।

'स्ट्राइव' के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार में इसकी प्रासंगिकता बढ़ाने तथा औद्योगिक क्लस्टर के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देगी। इसके लिए 350 ऑनलाइन कोर्स के लिए *स्वयं* नाम का डिजिटल चौनल लांच किया जाएगा। इन सबका सीधा संबंध उद्यमिता से है। जिसके

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। विगत 28 वर्षों से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं। *मीडिया समाधान* के संस्थापक हैं। यह संस्था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। ईमेल: aloksamay@gmail.com

जरिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से रोजगार सृजन होगा है।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। ताकि एक करोड़ गरीब परिवारों को इस बार गरीबी रेखा से बाहर किया जा सके। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और क्रेडिट सहायता योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना से अधिक कर दिया गया है।

जाहिर तौर पर सरकारी स्तर पर बड़ी बहाली योजनाओं के नहीं आने से युवा निरुत्साहित थे। देश की कुल आबादी का 65 फीसदी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। जनांकिकीय लाभांश के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इस उम्र में इंसान में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाने का मौका नहीं मिल पाने की वजह से सतत नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसका ख्याल करते हुए बजट का जोर लघु, कुटीर व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ाने और उद्यमिता के लिए मौकों को संवारने पर है।

बजट में स्टार्ट अप को सहुलियतों के साथ बढ़ावा देने की बात है। बजट से ऐन पहले स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया की गयी योजना को गति देने का फैसला लिया गया। इसके तहत यूनीक बिजनेस आइडिया वाले बिजनेस पर सरकार 55 फीसदी तक सरकारी मदद मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना उद्यमिता के लिए बेहद महत्व रखती है। इसके जरिए गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे युवकों को उद्यमी बनाने का उपाय है। जो जहां है वह *प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक* योजना का लाभ लेकर उद्योग शुरु कर सकता है। मुद्रा योजना में बैंक से बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक की मुद्रा सहायता (ऋण मदद) का प्रावधान है। आवेदक की कुशलता, उद्योग का प्रकार और उद्योग की जरूरत को ध्यान मे रखते हुए ऋण दिया जा रहा है। मुद्रा योजना का विस्तृत अर्थ *माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट री-फाइनेंस एजेंसी* है, जिसे संक्षिप्त नाम मुद्रा दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने बजट पर प्रतिक्रिया में रोजगार की संभावनाओं को बयान करते हुए कहा, "यह एक ऐसा बजट है जो गरीबों को सशक्त बनाएगा बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाएगा और गति भी देगा, हर किसी की उम्मीदों को अवसर देगा, इससे अर्थतंत्र को एक नई ताकत मिलेगी, जिससे तीव्र विकास होगा।"

वर्ष 2017-18 के बजट में सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल क्षेत्रकों के लिए भी आवंटन में वृद्धि की गयी है। ये सब रोजगार सृजन की संभावना बढ़ाने वाले कारक हैं। कृषि और ग्रामीण विकास में परोक्ष रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना है। इसके लिए 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुना करने का इरादा जाहिर किया गया है। इसके लिए बजट में नीतियां एवं योजनाएं तय की गयी हैं। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावना बढ़ेगी। कृषि के प्रति बढ़ते अनाकर्षण ने शहरों की ओर आबादी को धकेलने का काम किया है। कृषि को सम्मान मिलने से रोजगार के लिए पलायन के अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। रोजगार के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल गरेंटी स्कीम (मनरेगा) के लिए भी बजट में रिकार्ड आवंटन किया गया है। बजट में महिला कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गयी है, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में काफी बढ़ोत्तरी की गयी है। आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर बनाने में आवास और निर्माण क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है ये बजट ग्रामीण के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी आवासन क्षेत्रक को मजबूती प्रदान करने वाला है।

प्रधानमंत्री के अनुसार, "कर प्रणाली में जो सुधार और संशोधन किए गए हैं उससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। नए उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, अमीरी-गरीबी के बीच बढ़ते भेद-भाव के अवसर खत्म होंगे।" बजट में रोजगार बढ़ाने और नौकरी के लिए नए-नए अवसर पैदा करने वाले क्षेत्रों इलेक्ट्रनिक, मैन्युफैक्चरिंग व टेक्सटाइल को विशेष राशि दी गयी है। टेक्सटाइल क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि के लिए विशेष योजना के साथ ही चर्म एवं फुटवेयर उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। देश में सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल सेक्टर में है। लाखों लोग इस सेक्टर में आजीविका पा रहे हैं। इस साल कपड़ा सेक्टर के लिए उच्च स्तरीय तकनीक विकसित करने के लिए फंड की सीमा 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गयी है। टेक्सटाइल उद्योग में नई और सस्ती तकनीक के उत्पादन करने वालों को सरकार यह फंड देगी साथ ही दस फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी भी देगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा है कि नोटबंदी के बाद से औद्योगिक विकास में जो गिरावट आई है उसे रोकने के लिए दोगुने रफ्तार से प्रयास किए जा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में छाई मंदी के दूर होने की उम्मीद बढ़ी है।

देश के छोटे और मध्यम उद्योग नौकरी के नए अवसर पैदा करने के सबसे बड़े स्रोत हैं। जाहिर तौर पर कौशल विकास केंद्रों से निकलने वाले प्रशिक्षितों को इन उद्योगों में जगह मिलनी है। इन उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बजट में टैक्स कम कर दिए गए हैं। ताकि लघु उद्योग को प्रोत्साहन मिले। लघु उद्योग कुल उद्योग के करीब-करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा हैं। इसलिए छोटे-छोटे उद्योगों की परिभाषा में बदलाव करके उनके कर दायरे को भी बढ़ाया गया है। टैक्स को 30 प्रतिशत से घटा करके 25 प्रतिशत कर दिया गया है। यानि देश के उद्योग जगत के 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। इससे छोटे उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने में बहुत बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।

रोजगार की तलाश में भटकते युवा परंपरागत तरीके से सरकारी या निजी व्यवस्था, अच्छी वर्षा, कानून व व्यवस्था और निवेश के माहौल पर निर्भर रहते आए हैं। जाहिर तौर पर उद्योग धंधों के लिए समुचित माहौल बनाने के लिए बिजली, सड़क और पानी का इंतजाम करना सरकार का प्रमुख काम है। बिजली के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मांग-आपूर्ति की खाई को खत्म कर दिया जाएगा। व्यापार की संभावना बढ़ाने के लिए अनुकूल कर रहित क्षेत्र विकसित करना सरकार की परिधि में होता है। इसके बिना बेरोजगारों की फौज का सफाया नहीं हो पाएगा।

शेषांश पृष्ठ 78 पर

क्या आप जानते हैं?

सार्वभौमिक मूलभूत आय (यूबीआई)

गरीबी के आंकड़े को आजादी के समय के 70 प्रतिशत से घटाकर 2011-12 में लगभग 22 प्रतिशत तक लाने (तेंडुलकर समिति) में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद यह कहा जा सकता है कि "प्रत्येक आंख से आंसू पोछने" से अभी हम बहुत दूर हैं।

इसलिए भारत की 2016-17 की आर्थिक समीक्षा में गरीबी घटाने के प्रयास में विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के स्थान पर सार्वभौमिक मूलभूत आय (यूबीआई) के विचार का समर्थन किया गया है। सार्वभौमिक मूलभूत आय के पीछे विचार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक होने के नाते उसकी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु मूलभूत आय का अधिकार होना चाहिए।

यूबीआई के तीन घटक हैं:

1. **सार्वभौमिकता** – इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है।
2. **बिना शर्त** – लाभार्थी को सौंपी गयी नकदी के साथ किसी प्रकार की पूर्व शर्त नहीं जुड़ी है।
3. **कर्ता भाव** – गरीबों की निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान करना एवं उनके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना।

यूबीआई के पक्ष में तर्क:

1. **सामाजिक न्याय:** सभी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि समाज के सभी सदस्यों को हिस्सेदारी नहीं दी जाए तो कोई भी समाज न्यायपूर्ण अथवा स्थिर नहीं हो सकता।
2. **गरीबी में कमी:** यदि वितरण के लिए सुचारु वित्तीय प्रणाली मौजूद हो तो सार्वभौमिक मूलभूत आय गरीबी को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
3. **रोजगार:** अनिश्चित रोजगार सृजन के दौर में यूबीआई न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देने के समाज के कर्तव्य की स्वीकृति है। यूबीआई जेब में होगी तो कोई भी व्यक्ति श्रम बाजार में मोलभाव कर सकेगा तथा कैसी भी कामकाजी स्थितियों को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं होगा। इससे कामगारों का शोषण कम हो जाएगा।
4. **कर्ता भाव:** भारत में गरीबों को सरकारी नीति का विषय माना जाता रहा है। हमारी वर्तमान कल्याण प्रणाली में अच्छी मंशा होने पर भी यह सोचने से गरीबों का तिरस्कार होता है कि वे अपने जीवन के संबंध में आर्थिक निर्णय नहीं ले सकते। बिना शर्त नकद अंतरण से वे कर्ता जैसा अनुभव करेंगे, अधीन जैसा नहीं।
5. **व्यावहारिक रूप से उपयोगी:** मनुष्य को गरीबी में फंसाकर रखने वाली परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। उनके सामने आने वाले जोखिम और डर भी अलग-अलग होते हैं। राज्य यह निर्धारित करने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं होता है कि कौन से जोखिमों को कम किया जाना चाहिए तथा प्राथमिकताएं कैसे तय की जानी चाहिए? परिवार के बजाय व्यक्ति को लाभार्थी मानकर यूबीआई विशेष रूप से परिवार के भीतर महिलाओं में कर्ता भाव अथवा अधिकार को बढ़ावा दे सकता है।
6. **प्रशासनिक कार्यक्षमता:** वर्तमान कल्याणकारी योजनाएं गलत आवंटन, रिसाव तथा गरीबों को बाहर रखने जैसी समस्याओं से भरी पड़ी हैं। जब जन-धन, आधार एवं मोबाइल (जैम) की तिकड़ी को पूरी तरह अपना लिया जाएगा तो प्रशासनिक रूप से अधिक सक्षम आपूर्ति के अनुकूल समय होगा।

सार्वभौमिक मूलभूत आय से आपत्तियां: यूबीआई से संबंधित तीन प्रमुख आपत्तियां तथा उनके उत्तर निम्नवत हैं –

1. पहला यह है कि यूबीआई कार्य करने का प्रोत्साहन कम करती है। यह तर्क अतिशयोक्ति भरा है। एक बात स्पष्ट है कि सार्वभौमिक मूलभूत आय को एकदम न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। इसलिए उससे कार्य के प्रति प्रोत्साहन पर प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।
2. दूसरी चिंता यह है कि क्या आय को रोजगार से अलग किया जाना चाहिए? इस चिंता का ईमानदारी भरा आर्थिक उत्तर यह है कि समाज में पहले ही ऐसा होता है, लेकिन सामान्यत: धनी एवं विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए ही। जिस समाज में किसी भी प्रकार की विरासत को अथवा काम के बगैर आय प्राप्त करने को स्वीकृति दे दी जाती है, वहां आय पहले ही रोजगार से अलग होती है।
3. तीसरा मुद्दा आदान-प्रदान का है। यदि समाज किसी व्यक्ति को यूबीआई प्रदान करता है तो उसे बदले में क्या मिलेगा? इसका उत्तर है कि अधिकतर मामलों में व्यक्ति विभिन्न प्रकार से समाज के प्रति योगदान करेंगे। वास्तव में यूबीआई समाज में चल रहे अवैतनिक कामों को मान्यता देने का एक तरीका भी हो सकते हैं, जैसे घर में महिलाओं द्वारा किए जा रहे कामों को आम तौर पर न तो सराहना मिलती है और न ही भुगतान होता है।

दरिद्रता उन्मूलन के वर्तमान कार्यक्रमों की समस्या

1. विभिन्न जिलों में संसाधनों का दोषपूर्ण आवंटन: आंकड़े बताते हैं कि देश के निर्धनतम क्षेत्रों को अक्सर अपेक्षाकृत धनी क्षेत्रों की तुलना में कम सरकारी संसाधन प्राप्त होते हैं।
2. वास्तविक लाभार्थियों का वंचित रह जाना।
3. तंत्र में रिसाव होना।

यूबीआई इन सस्याओं से कैसे निपट सकती है?

1. सैद्धांतिक रूप से यूबीआई तंत्र से बाहर के रिसाव को घटाती है क्योंकि रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। रकम कहीं ओर जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि अधिकारियों की स्वयं निर्णय लेने की शक्तियां लगभग समाप्त हो जाती हैं।
2. सार्वभौमिक होने के कारण यूबीआई के अंतर्गत लाभार्थियों को वंचित रखने की त्रुटियां वर्तमान लक्षित योजनाओं की अपेक्षा कम होनी चाहिए।
3. यूबीआई जोखिमों के मामले में बीमा की तरह काम करेगी और गरीबों को इससे मनोवैज्ञानिक लाभ होंगे।

सफल यूबीआई के लिए दो शर्तें

1. जैम (जन-धन, आधार एवं मोबाइल) की कामकाजी प्रणाली – चूंकि यह सुनिश्चित करती है कि नकद अंतरण सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। भारत में लगभग एक तिहाई वयस्कों के पास अब भी बैंक खाता नहीं है और उनके छूट जाने की आशंका है। संभावना है कि वे निर्धनतम सामाजिक वर्गों – महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बुजुर्गों एवं अशक्तों में से आते हों, जिन्हें इस लाभ की सर्वाधिक आवश्यकता होती है।
2. यूबीआई हेतु वित्तीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी संघीय व्यवस्था के लिए प्रमुख प्रश्न है। इसलिए इस मामले में केंद्र-राज्य वार्ता महत्वपूर्ण होगी।

यूबीआई को लागू करने की राजकोषीय लागत: यदि मान लिया जाए कि शीर्ष 25 प्रतिशत आय वर्ग के लोग आय में हिस्सा नहीं मांगेंगे तो निर्धनता को घटाकर 0.5 प्रतिशत करने वाली यूबीआई के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4-5 प्रतिशत खर्च होगा। दूसरी ओर मध्यवर्ग की वर्तमान सब्सिडी एवं खाद्य, पेट्रोलियम तथा उर्वरक सब्सिडी पर जीडीपी का लगभग 3 प्रतिशत खर्च होता है।

आर्थिक समीक्षा का निष्कर्ष है कि यूबीआई शक्तिशाली विचार है, जिसे लागू करने का समय चाहे नहीं आया हो, लेकिन जिस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। यूबीआई उन परिणामों को प्राप्त करने में सहायता कर सकती है, जिनकी महात्मा गांधी को इतनी अधिक चिंता थी और जिनके लिए वे जीवनपर्यंत लड़ते रहें।

सुदृढ़ पारिवारिक ढांचे की ओर बजटीय पहल

ऋतु सारस्वत

महिलाएं एवं बच्चे किसी भी देश और समाज के सबसे महत्त्वपूर्ण परन्तु संवेदनशील वर्ग हैं। इनकी उन्नति से ही वैश्विक स्तर पर किसी देश को विकसित या विकासशील की संज्ञा प्राप्त होती है। यह सत्य सर्वस्वीकार्य है कि भारत आर्थिक सुदृढ़ीकरण की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते हुए तीसरी महाशक्ति बनने की तैयारी में है, परन्तु यह प्रयास तब तक अधूरे रहेंगे जब तक देश की आधी आबादी एवं देश के भावी कर्णधार अपने मानवोचित अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। दरअसल हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब भी स्त्री सशक्तीकरण की बात होगी, तब-तब परिवार और समाज भी अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सम्मिलित होंगे और इसी तथ्य को हमारे नीति निर्माताओं ने स्वीकार भी किया है

अमूमन विषय विशेषज्ञ जब भी केंद्रीय बजट का विश्लेषण करते हैं तो उसको विभिन्न स्तरों में विभाजित करके देखते हैं, परन्तु ऐसा महिला हितों में आवंटित बजट के साथ किया जाए तो, यह विश्लेषण अधूरा होगा। इसका स्पष्ट और सीधा कारण यह है कि महिलाओं के हित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक हितों से अंतर्संबंधित होते हैं, विशेषकर बच्चों से। इसलिए अकेले महिला हितों की बात न करके इसे पारिवारिक हितग्राही के रूप में विश्लेषित करना उचित होगा। चाहे बात आर्थिक स्वावलंबन की हो या शिक्षा की या फिर स्वास्थ्य की। बीते दशकों से लेकर आज तक, महिलाएं इस सभी क्षेत्रों में निरंतर संघर्ष कर रही हैं, परन्तु संतोषप्रद तथ्य यह है कि केंद्रीय योजनाओं की प्राथमिकता, महिला हित रही है। यहां तक कि अगर परिस्थितिवश पुरुष या स्त्री के हितों में से एक के ही चुनाव की बात हो तो महिलाओं के हितों का चुनाव करने की बात की गयी है। शिक्षा को बढ़ावे को लेकर गठित राधाकृष्णन आयोग ने स्पष्ट कहा था, ''स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना किसी समाज के लोग शिक्षित नहीं को सकते। यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों या पुरुषों में से किसी एक को देने की विवशता हो, तो यह अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर निश्चित रूप से वह उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगी। शिक्षित स्त्री के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ होना सहज हो जाता है।''

आर्थिक सशक्तीकरण को महिला समानता के एक प्रमुख मानक के रूप में देखा जाता रहा है क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। पिछले वित्तीय वर्षों मे महिला सशक्तीकरण, देश की केंद्रीय योजना का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। भारत में महिला सशक्तीकरण के संकेतकों को देखने से आभास होता है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। स्त्री सशक्तीकरण एक जटिल शब्दावली है जिसकी व्याख्या सहज नहीं है फिर भी साधारण शब्दों में स्त्री सशक्तीकरण को अगर हम एक वाक्य में समझना चाहें तो वह है *निर्णय लेने की क्षमता*। यह तभी संभव है जब महिलाओं के लिए सकारात्मक रूप से आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के निर्माण का वातावरण तैयार किया जाए और यही चेष्टा वित्त वर्ष 2017-18 में की गयी है।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए *प्रधानमंत्री मुद्रा योजना*, जिसका आरंभ 8 अप्रैल, 2015 को हुआ, इसमें अभी तक 1.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज स्वीकृत किया गया है और इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिला है। महिला उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, परंतु महिला उद्यमी को अक्सर अपने व्यवसाय को शुरू करने और उन्हें बढ़ाने में लिंग-भेद आधारित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को मुद्रा योजना से अधिकतम लाभ मिले इसलिए वर्ष 2017-2018 के लिए वित्तमंत्री ने 2015-2016 के ऋण देने के लक्ष्य को दोगुना करके 2.44 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव किया। बीते वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भविष्य में

लेखिका गत 18 वर्षों से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य कर रही हैं। इनके निर्देशन में कई शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि दी जा चुकी है। विभिन्न पत्रिकाओं में लगभग 65 से अधिक आलेख प्रकाशित। देश के प्रख्यात समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठों में 450 से अधिक लेख प्रकाशित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार की 4 पुस्तकों में सहलेखिका। लोकसभा चैनल में विषय विशेषज्ञ के तौर पर वार्ताओं में प्रतिभागिता।
ईमेल: saraswatritu@yahoo.co.in

महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (एस.टी.ई.पी.) के तहत वर्ष 2013-2014 में इन क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को 702 लाख रुपये की राशि जारी की गयी। भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए संशोधित प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम योजना दिशा-निर्देश 2014 में शुरू की गयी थी, इसके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, बागवानी, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, ज़री, कृषि, हस्तशिल्प में उनके कौशल विकास के लिए सहायता दी गयी। इस योजना ने महिलाओं को आजीविका प्रदान करने एवं उनकी आय बढ़ाने के अपने उद्देश्यों में सफलता भी प्राप्त की। महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन और सहायता के लिए, केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल, 2016 में *स्टैंड-अप इंडिया योजना* का आरंभ किया गया। दलितों, जनजातियों और महिला उद्यमियों को हरित क्षेत्र उद्यम स्थापित करने तथा रोजगार सर्जक बनने हेतु इस योजना

महिलाओं को मुद्रा योजना से अधिकतम लाभ मिले इसलिए वर्ष 2017-2018 के लिए वित्तमंत्री ने 2015-2016 के ऋण देने के लक्ष्य को दोगुना करके 2.44 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव किया।

के जरिए 16,000 से अधिक नये उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, नैदानिक केंद्र जैसे विविध क्रियाकलाप करने लगे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने अपने 2018 के बाद के विकास एजेंडे के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दुनियाभर में एक व्यापक अभियान शुरू किया। इस अभियान का संदेश है : दुनिया अपने विकास लक्ष्यों को तब तक 100 प्रतिशत हासिल नहीं कर सकती है, जब तक कि इसके 50 प्रतिशत लोगों (अर्थात् महिलाओं) के साथ सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिबद्धता निभाने का किंचित् प्रयास, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु बढ़ते प्रावधानों के माध्यम से किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत ने विभिन्न नीतियां, योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम तो बनाये हैं। ज़मीनी स्तर पर ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के स्वावलंबन हेतु वित्त वर्ष 2017-18 में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपये का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। पिछले वर्ष 2016-17 में मनरेगा का बजट आवंटन 37 हजार करोड़ रुपये था। उल्लेखनीय यह है कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारिता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2006 में शुरू किए गए मनरेगा कार्यक्रम में महिला श्रमिकों का स्तर जो 20 प्रतिशत से भी कम था 2016 में बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया है।

बजट 2017-18 में महिलाओं के लिए श्रमानुकूल वातावरण बनाने हेतु भी केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने तथा वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा सुरक्षा और कार्यस्थिति को 4 संहिताओं में सम्मिलित करने के लिए विधायी सुधार की घोषणा की है। आदर्श दुकान और स्थापना विधेयक, 2016 पर विचार करने और इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों को, इसके परिचालन हेतु कहा गया है। इससे महिला रोजगार के अतिरिक्त रास्ते खुलेंगे। यह सुनिश्चित है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण जहां प्रत्यक्ष तौर पर उनके आत्मविश्वास को बढ़ता है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनके सामाजिक स्तर, निर्णय लेने की क्षमता, और चेतना स्तर को विकसित करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (IV) बस बात की पुष्टि करता है।

महिलाओं के पास स्वयं का 'बैंक खाता' होना, उनकी सामाजिक चेतना का और सशक्तीकरण का एक बड़ा सूचक है। बैंक खाता रखने वाली 15-49 आयुवर्ग की महिलाओं में भी वृद्धि दर्ज की गयी है। अगर राज्यवार इस स्थिति को देखा जाए तो सुखद आश्चर्य देश के बीमारू राज्य माने जाने वाले आंकड़ों को देख कर होता है। एन.एफ.एस. के 2005-06 के आंकड़े बताते हैं कि बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का बिहार में प्रतिशत 8.2 था जो वर्तमान में बढ़कर 26.4 प्रतिशत हो गया है। महिलाओं के इस सशक्तीकरण में गोवा 82.2 प्रतिशत के साथ देश के सभी राज्यों से आगे है। तमिलनाडु ने भी इस दिशा में आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिवर्तन किया है। यहां अपना निजी बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत 77 है जबकि एन.एफ.एच.एस. (III) के सर्वेक्षण में इनकी संख्या मात्र 15.9 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। यही नहीं महिलाओं का घर या जमीन पर मालिकाना हक भी बढ़ा है।

सभी राज्यों को पछाड़ते हुए बिहार महिलाओं की संपत्ति में 58.8 प्रतिशत के साथ आगे है। इस सर्वेक्षण में यह भी बात सामने आयी है कि अब घर के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सर्वेक्षण के मुताबिक सिक्किम इस मामले में 95.3 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। इन सभी परिणामों का कारण महिलाओं की आर्थिक निर्भरता का कम होना माना जा रहा है। वे महिलाएं जो स्वयं किसी न किसी माध्यम से धन अर्जित कर रही है वह न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति भी उनकी जागरुकता का स्तर अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महिलाएं पढ़ रही हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 5 से 14 वर्ष की महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ी है।

विकास अध्ययन के लिए ब्रिटेन स्थित संस्थान (आई.डी.एस.) द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार माताओं की शिक्षा और निर्णय लेने की उनकी क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। एन.एफ.एच.एस.-IV, का सर्वेक्षण यह बताता है कि जिन राज्यों में साक्षरता स्तर बढ़ा है वहां बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियों में कमी आयी है। बिहार में 60 प्रतिशत से अधिक बेटियों का विवाह अब 24 से 25 साल की आयु में हो रहा है तथा घरेलू हिंसा से पीड़ित 15-49 साल की विवाहित महिलाओं की संख्या 12 प्रतिशत घटी है, ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बिहार में बीते दशक में साक्षरता दर 10 प्रतिशत बढ़ी है।

बजट 2016-17 में वित्तमंत्री ने *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* जो बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय

बजट 2017-18 में महिलाओं के लिए श्रमानुकूल वातावरण बनाने हेतु भी केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने तथा वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा सुरक्षा और कार्यस्थिति पर 4 संहिताओं में सम्मिलित करने के लिए विधायी सुधार की घोषणा की है।

तथा मानव संसाधन विभाग की संयुक्त पहल थी, में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में बढ़कर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* एक द्विआयामी योजना है। जिसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना और बेटियों को पढ़ाना है। देश की सामाजिक बनावट व आर्थिक श्रेणीबद्धता *सभी के लिए एक जैसी शिक्षा* के सिद्धान्त के सामने यक्ष प्रश्न रही है। विशेषकर बच्चियों की शिक्षा के महत्व को नकारा गया है। बालिका शिक्षा वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इस हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साधन सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना संचालित है।

यूनेस्को और *एजुकेशन फॉर ऑल* ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत प्राथमिक स्कूल प्रवेश में लैंगिक समानता हासिल कर चुका है परन्तु सरकार की चिंता का विषय स्कूल छोड़ती बच्चियां हैं। बेटियां क्यों स्कूल छोड़ देती हैं। इस विषय पर गैर सरकारी संगठन *प्लान इंडिया* द्वारा झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में किये गये एक शोधपत्र में तथ्य सामने आये हैं कि बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी हर पांच लड़कियों में से एक का मानना है कि उनके माता-पिता ही उनकी पढ़ाई में बाधक है। समाज में असुरक्षित माहौल एवं विभिन्न कुरीतियों के कारण आठवीं या उससे बड़ी कक्षा की पढ़ाई के लिए उनके परिवार वाले मना करते हैं। करीब 35 प्रतिशत लड़कियों का मानना है कि कम उम्र में शादी होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इन सब कारणों का एक मूलाधार 'आर्थिक समस्या' है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बेटियों का विवाह अभिभावकों के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है और इससे जुड़े आर्थिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, वह उनकी शिक्षा और उससे संबंधित अन्य पक्षों को बोझ समझते हैं।

यही कारण है कि केंद्र ने *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* योजना के तहत *सुकन्या समृद्धि खाता* की घोषणा 2 दिसंबर, 2014 को की थी। इस योजना का उद्देश्य अभिभावकों को अपनी बेटियों की शिक्षा और भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना अब तक भारत की सबसे ज्यादा लाभ प्रदान करने वाली बचत योजना है।

महिला और बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में, 1.56 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.84 लाख करोड़ कर दिया है। इस वर्ष 22,095 करोड़ रुपये के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बजट आवंटन में 20 प्रतिशत अधिक राशि प्राप्त हुयी है। पिछले वर्ष यह राशि 17,640 करोड़ रुपये थी। *पोषण योजना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ* और *मातृत्व योजनाओं* के लिए अनुदान में वृद्धि, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के आवंटन में 326 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में 634 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 2,700 करोड़ रुपये इस मद में दिए गए हैं जो कि प्रशंसनीय प्रयास है।

भारत के सर्वांगीण विकास में, अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वह है मां और बच्चे का स्वास्थ्य। भारतीय महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं। इसके कई कारण हैं, जो कि विभिन्न शोधों से स्पष्ट होते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की डाएन कोफे द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि 15 से 49 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं की तुलना में भारत में गर्भधारण के पहले 7 प्रतिशत ज्यादा महिलाएं कम वजन की होती है। दुनिया भर के स्वास्थ्य और विकास पर नजर रखने वाली वेबसाइट *ह्यूमनोस्फीयर* पर एक लेख में यूनिसेफ के हवाले से अनुमान लगाया गया है कि भारत में 83 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त है। *ह्यूमनोस्फीयर* के मुताबिक गरीबी कम होने के अनुपात में कुपोषण भी कम होने की सामान्य सोच भारत के परिप्रेक्ष्य में सही साबित नहीं हो रही है। भारत में महिलाओं के कुपोषण की एक बड़ी वजह लिंग भेद है। भारत में अमूमन महिलाएं पूरे परिवार के बाद बचा हुआ भोजन करती हैं जो पूरा पोषण नहीं देता। दूसरा कारण कमजोर खुराक और पोषण के प्रति जानकारी का अभाव भी है। इसके साथ ही स्वच्छता की कमी और खुले में शौच प्रवृत्ति भी एक महत्त्वपूर्ण घटक है। हाल की में आई एन.एफ.एच.एस.-IV की रिपोर्ट भी महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य स्तर के प्रति चिंता जाहिर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 राज्यों में 50 प्रतिशत बच्चे रक्त की कमी यानि एनीमिया से पीड़ित है। परन्तु स्थिति पूर्णतया निराशाजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि साल 2015 में करीब एक दशक बाद एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में 12 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है।

इंडिया *स्पेंड* विश्लेषण के एन.एफ.एच.एस.-IV आंकड़े के अनुसार रक्तहीनता से पीड़ित गर्भवती महिलाओं (15 से 49 वर्ष) की संख्या में कमी का संबंध स्वच्छता और महिलाओं की शिक्षा के सुधार से है। 14 राज्यों में रक्तहीनता से पीड़िता गर्भवती महिलाओं की संख्या में सर्वाधिक कमी पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में देखी गयी, जो 39 प्रतिशत थी। इस राज्य में अब ऐसी महिलाएं सिर्फ 24 प्रतिशत है। बेहतर स्वच्छता के उपयोग के मामलों में भी सिक्किम वर्ष 2014-15 में देश में तीसरे स्थान पर तथा 2005-06 से 2014-15 के मध्य महिला साक्षरता में वृद्धि के मामले में भी सिक्किम दूसरे स्थान पर था। एन.एफ.एच.एस.-IV के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि रक्तहीनता से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का सबसे अधिक अनुपात 58 प्रतिशत पूर्वी राज्य बिहार में था, इस मामले में विगत एक दशक में यद्यपि 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन यह सभी राज्यों की तुलना में सबसे

ग्राम स्तर पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित किये जाएंगे

14 लाख आई सी डी एस आंगनबाड़ी केंद्रो को ग्राम स्तर पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ उनके लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाएंगी। राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खतों में जमा की। यह सुविधा उन गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाएगी, जो संस्थागत प्रसव और उनके बच्चों का ठीका करण करवायेंगी।

सभी मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला और बाल कल्याण के लिए आवंटन वर्ष 2016-17 में 1,56,528 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 1,84,632 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

कम है। शिक्षित महिला, स्वच्छता के महत्त्व को बेहतर तरीके से समझती है एवं गर्भावस्था के दौरान पोषण के महत्त्व को भी समझती है। जच्चा-बच्चा के स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन का एक बड़ा मुद्दा संस्थागत प्रसव के प्रति जागरुकता की कमी है। एक तीसरा और सबसे महत्त्वपूर्ण घटक, जो नवजात शिशुओं के जीवन के लिए घातक बनता है वह है टीकाकरण के प्रति अवहेलना।

इन सभी कारकों के निवारण हेतु विगत दशकों में सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में *राष्ट्रीय पोषण मिशन* के लिए बजट में 28 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में 19 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 550 करोड़ रुपये हुआ है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु 31 दिसंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 6,000 रुपये सीधे उन गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में डाले जाएंगे जिनका प्रसव संस्थागत होगा और जिनके बच्चों का पूरा टीकाकरण होगा। गौरतलब है मिशन इन्द्रधनुष के तहत टीकाकरण का एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। मिशन इन्द्रधनुष के दूसरे चरण के दौरान 26 नवबंर, 2015 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 4.49 लाख सत्र आयोजित हुए हैं। इसके दौरान बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 70 लाख टीके लगाए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, गांव स्तर पर 14 लाख आई.सी.डी.एस. आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपये के आंवटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गयी है। यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए '*वन-स्टॉप*' सामूहिक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा।

इस वित्तीय वर्ष में, शिशु मृत्यु दर 2019 तक 28 तक लाने और मातृ मृत्यु दर 2020 तक 167 से कम करके 100 तक लाने लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य व तंदुरूस्ती केंद्रों में बदलने की घोषणा की गयी। स्वस्थ भारत की ओर कदम बढ़ाती नीतियों के बीच महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2016-17 में *निर्भया फंड* में दिल्ली पुलिस को 3.4 करोड़ रुपये आंवटित किए गए गए थे जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 28.9 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही निर्भया फंड में भी 90 प्रतिशत का इजाफा किया गया।

महिला एवं बच्चों के सभी आवश्यक आयामों को समायोजित करने की चेष्टा वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में परिलक्षित होती है परन्तु जिस घोषणा की अपेक्षा महिलाकर्मी कर रही थीं वह अभी भी प्रतीक्षारत रह गयी और वह है कार्यस्थलों पर क्रेच के लिए ऐसे प्रावधान जिससे औद्योगिक श्रमशक्ति में हिस्सेदारी करने वाली महिलाएं बिना किसी तनाव के अपने करियर और मातृत्व के दायित्व को पूर्ण कर सकें। उल्लेखनीय है कि मातृत्व और करियर के संतुलन को स्थापित न कर पाने की स्थिति में महिलाएं काम छोड़ रही हैं। एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष जिसे सम्मिलित करके देश की बच्चियों के भविष्य को सुनहरा किया जा सकता था वह यह है कि निर्धनता रेखा से जीवन जीने वाले परिवारों में बच्चियों के जन्म पर एक सुनिश्चित राशि का *फिक्स डिपोजिट* के रूप में भुगतान, जिसकी परिपक्वता की शर्त बच्ची की 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना है, शिक्षा के परिदृश्य को बदल सकती है। 'शिक्षा' का तात्पर्य आखर ज्ञान मात्र नहीं है। शिक्षा निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक स्वावलंबन और अधिकारों की प्रति जागरूकता का मार्ग प्रशस्त करती है।

उम्मीद है भविष्य में केंद्र इस ओर दृष्टिपात करेगा परन्तु अभी आवश्यक यह है कि महिला और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो बजट प्रावधान किए गये हैं, उनका उपयोग समय सीमा पर संबंधित विभागों द्वारा किया जाया, जिससे देश में पारिवारिक इकाई का एक मजबूत ढांचा स्थापित हो सके। ❑

संदर्भ

1. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट -finmin.nic.in/hindi/index.asp
2. indiabudget.nic.in/ub2017-18/bs/hbs.pdf
3. indiabudget.nic.in/ub2016-18/impbud.pdf
4. www.mea.gov.in/speeches.statements.hi.htm
5. www.indiaspendhindi.com/cover-storey/भारतीयमां-और-बच्चे-अब-तक-स
6. www.indiaspendhindi.com/cover-story/Dयों-है-कुपोषण-भारत-के-लिए
7. विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिक वेबसाइट : www.who.int/en/
8. संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक वेबसाइट : http://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable.development.goals/
9. Pib.nic.in/newsite/printRelease.aspx?retid=k15786
10. in.dailyhunt.in/news/india/indiaspend.epaper/indianin
11. hindi.business_standar.com/storypage.php?autono.126222
12. www.div.in/लड़कियों की-शिक्षा-की-हालत-चिंताजनक/ 9-19386113
13. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mpwcd.in
14. www.google.co.in/amp/m.punjabbesari.in/national/new
15. www.deepawali.co.in/beti_bachao.beti.padhao.jojana.in
16. https://casi.sas.upenn.edu/hindi/iit/social.hierarchy.maternal.health and.development
17. me.scietificworld.in/2015/04 sukanya_samridhi_yojana_hindi.html?

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453
ई-मेल: pdjucir@gmail.com

कमनगद समाज की नींव मजबूत करने वाला बजट

राकेश बी चौरसिया

विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत की अर्थव्यवस्था में इस तरह की जरूरत महसूस की जा रही है कि भारत नोटों के मुद्रण और उसके प्रचलन पर निर्भरता कम करके ऑनलाइन लेन-देन की प्रक्रिया को विकसित देशों के स्तर तक ले जाए। केंद्र सरकार लेसकैश ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भीम एप्प पहले ही लांच कर चुकी है। सरकार ने 2017 के बजट में कमनगद अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में भी विशेष प्रावधान करके अपना संकल्प जताया है। बजट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए रेल की टिकट, पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन और फिंगरप्रिंट रीडर मशीनें सस्ती की गयी हैं। बजट में डिजिटल अवसंरचना के लिए विशेष रियायतों की घोषणा की गयी है

प्रधानमंत्री ने *मन की बात* कार्यक्रम में कमनगद समाज बनाने के लिए जनता का सहयोग मांगते हुए संकेत दिया कि अर्थव्यवस्था को नगदरहित नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन कमनगद यानि लेसकैश अर्थव्यवस्था आज वक्त की जरूरत बन गयी है। प्रधानमंत्री के इस संदेश के साथ अगर परंपरावादी सोच और आदतों को दरकिनार करके इस दिशा में आगे बढ़ा जाए तो यह लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल किया जा सकता है। इस दिशा में कुछ प्रयास बजट में भी दिखे हैं। सरकार ने 2017 के बजट में कमनगद अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में भी विशेष प्रावधान करके अपना संकल्प जताया है। बजट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए रेल की टिकट, पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन और फिंगरप्रिंट रीडर मशीनें सस्ती की गयी हैं। बजट में डिजिटल अवसंरचना के लिए विशेष रियायतों की घोषणा की गयी है।

अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा आधार कार्ड को भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मुख्य आधार बनाया जाएगा। इसके लिए 20 लाख पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनों की खरीद की जाएगी। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने नेटवर्क में 10 लाख पीएसओ मशीनों को जल्द से जल्द जोड़ लें। इस तरह सितंबर 2017 तक आधार कार्ड पर आधारित पीओएस मशीनों की संख्या 20 लाख हो जाएगी। वैश्विक परिदृश्य में दुनिया के तमाम मुल्क कैश जीडीपी अनुपात लगातार कम किए जाने पर जोर दे रहे हैं। ताकि साइबर युग में विश्व सचमुच ग्लोबल विलेज का आकार ले सके। जहां तरलता और लेन-देन स्तर पर पहुंच जाए। ऐसे में भारत की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की कारोबारी बिरादरी के तौर-तरीकों को अपनाने के लिए दबाव बढ़ रहा है।

सरकार ने न केवल इस जरूरत को रेखांकित किया, बल्कि उस पर तत्काल अमल शुरू किया। (इस समय भारत का नगद जीडीपी लगभग 12-13 प्रतिशत है। जबकि विश्व का औसत नगद जीडीपी अनुपात 4-5 प्रतिशत है। भारत का कैश जीडीपी अनुपात (भविष्य की अर्थव्यवस्थाएं) कही जाने वाले 5 ब्रिक्स देशों में भी सर्वाधिक है। ब्रिक्स देशों में चीन में 9.1 प्रतिशत, रूस में 9 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका में सबसे कम डू पॉइंट 2.5 प्रतिशत कैश जीडीपी अनुपात है।) भारत का यह अनुपात अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा है। इसलिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत की अर्थव्यवस्था में इस तरह की जरूरत महसूस की जा रही है कि भारत नोटों के मुद्रण और उसके प्रचलन पर निर्भरता कम करके ऑनलाइन लेन-देन की प्रक्रिया को विकसित देशों के स्तर तक ले जाए। केंद्र सरकार लेसकैश ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भीम एप्प पहले ही लांच कर चुकी है। यूपीआई आधारित डिजिटल ट्रांजेक्शन एप्प भीम को अब तक लगभग डेढ़ करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड भी किया जा चुका है। इस एप्प का प्रयोग करने वाले दुकानदारों को न केवल कैशबैक स्कीम का लाभ मिलेगा, बल्कि इसका प्रयोग करने वालों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाने की भी योजना है।

सरकार द्वारा जो 20 लाख आधार कार्ड आधारित पीओएस मशीनें शुरू करने की योजना है। उसकी शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकता सकती हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि अब आधार कार्ड इतना जरूरी दस्तावेज हो गया है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों में कार्ड बनवाने के लिए सरगर्मी देखी जा सकती है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। *नई दुनिया, नेशनल दुनिया* और *अमर उजाला* सहित कई समाचार पत्रों में काम करने का व्यापक अनुभव रखते हैं।
ईमेल: rakeshchrs@gmail.com

केंद्र सरकार ने कमनगद व्यवस्था के लिए जरूरी इंटरनेट परियोजना के विकास पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इस बजट से न केवल नगरीय बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट का प्रसार किया जाएगा। इंटरनेट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिन जरूरी डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होगी, उन पर एक्साइज ड्यूटी हटा ली गयी है।

गरीबों लिए कई तरह की रियायतें भी सीधे बैंक खातों में भेज रही है और बैंकों ने खातों के लिए पैन कार्ड और आधार को अनिवार्य शर्त के रूप में लागू कर दिया है। इसलिए आधार कार्ड पर आधारित एप्प से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन गरीबों में भी लोकप्रिय हो सकता है।

बजट 2017 में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए किए गए प्रावधानों और उपायों के बारे में एक्सिस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संग्राम सिंह का कहना है कि इन उपायों के पूरी तरह लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से नकद लेन-देन 9 प्रतिशत तक घट जाएगा। बजट में सरकार ने आईटी विशेषज्ञों की आशंका का खासतौर पर संज्ञान लिया है कि कमनगद अर्थव्यवस्था के तहत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर साइबर हमले बढ़ जाएंगे। साइबर हमलों की सुरक्षा के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने 3 लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। इस नियम के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसलिए इस नियम के सख्ती से लागू होने की पूरी संभावना है। इस सूरत में ऑनलाइन लेन-देन को भी बल मिलेगा। 3 लाख रुपये से अधिक राशि का लेन-देन करने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक, ड्राफ्ट ही मुख्य जरिया रह जाएगा। राजनीतिक दलों के चंदे पर भी 2000 से अधिक नकद लेन-देन पर करने की पाबंदी लगायी गयी है। यह व्यवस्था भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देगी।

केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थतंत्र में कमनगद अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने के लिए एक 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें छह राज्यों के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा के नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग, पांडिचेरी के वी. नारायण स्वामी और महाराष्ट्र के देवेंद्र फड़नवीस शामिल हैं। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, इसके सदस्य बनाए गए हैं। यह समिति देश के बड़े, मझोले और छोटे कारोबारियों और उद्यमियों से बात करके कमनगद व्यवस्था का ताना-बाना बुनेगी। समिति ने सभी संबंधित पक्षों और आमजन से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

समिति को विशेषज्ञों ने सुझाव दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों और संस्थाओं को कुछ इंसेंटिव की घोषणा करनी चाहिए। एक यह भी सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित पक्षों और संस्थाओं को भी रियायत दी जानी चाहिए। ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की दिशा में आगे बढ़ जाएं। तब कर छूट समाप्त भी की जा सकती है।

कैशलेस ट्रांजेक्शन में व्यापारियों और विशेषज्ञों द्वारा मुख्य रूप से कुछ परेशानियों को रेखांकित किया गया है। इनमें पीओएस मशीन से कार्ड स्वाइप करते हुए भुगतान का अटकना, ई-वॉलेट से भुगतान के दौरान इंटरनेट केनिक्टिविटी का गायब होना, सरकारी सेवाओं में भुगतान के दौरान सर्वर डाउन होना, यूपीआई से भुगतान के दौरान कनेक्टिविटी न होना, इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान के दौरान बैंक वेबसाइट हैंग हो जाना, तकनीकी परेशानी से भुगतान अटकने पर घंटों इंतजार करना, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल की कमी से कनेक्टिविटी कमजोर होना, इंटरनेट की गति धीमी होने से घंटों में महज एक डिजिटल भुगतान हो पाना, डिजिटल भुगतान अटकने पर बैंकों से जवाब नहीं मिलना और कनेक्टिविटी नहीं होने पर कई बार कार्ड स्वाइप करने पर कार्ड खराब हो जाने जैसी परेशानियां हैं।

इन परेशानियों के मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने कमनगद अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी इंटरनेट परियोजना के विकास पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इस बजट से न केवल नगरीय बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट का प्रसार किया जाएगा। इंटरनेट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिन जरूरी डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होगी, उन पर एक्साइज ड्यूटी हटा ली गयी है। इसके अलावा केंद्र सरकार देशव्यापी टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 14444 शुरू करने की तैयारी में है। इस पर कॉल कर डिजिटल भुगतान में आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत के बारे में जानकारी हासिल की जा सकेगी।

कमनगद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो मूलमन्त्र दिया है, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। रेलवे बोर्ड के अपर महानिदेशक, पब्लिक रिलेशन, अनिल कुमार सक्सेना के मुताबिक रेलवे ने कमनगदी की दिशा में ई-टिकटिंग और ई-कैटरिंग पर विशेष जोर देने की तैयार की है। ट्रेनों की पेंट्रीकार को कमनगद करने की योजना तैयार की है। यात्री ट्रेनों में सफर के दौरान भी अपने डेबिट व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेंट्रीकार से खाने-पीने का सामान खरीद सकेंगे। पेंट्रीकार के ठेकेदार विभिन्न ट्रेनों में चलने वाले अपने कर्मचारियों को स्वाइप मशीनें देंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पेंट्रीकार के वेंडर ओवर चार्जिंग नहीं कर पाएंगे। पहले लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके बाद अन्य ट्रेनों में भी लागू कर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार की पहल के बाद राज्यों में भी कमनगद अर्थव्यवस्था का असर दिखना शुरु हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों की एक विशेष टीम को नियुक्त किया है। जो जिलों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने

रेलवे कमनगदी की दिशा में ई-टिकटिंग और ई-कैटरिंग पर विशेष जोर देने को तैयार है। ट्रेनों की पेंट्रीकार को कमनगद करने की योजना तैयार की है। यात्री ट्रेनों में सफर के दौरान भी अपने डेबिट व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेंट्रीकार से खाने-पीने का सामान खरीद सकेंगे। पेंट्रीकार के ठेकेदार विभिन्न ट्रेनों में चलने वाले अपने कर्मचारियों को स्वाइप मशीनें देंगे।

के लिए प्रशिक्षण की निगरानी करेंगे। इन अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधीशों और विभागाध्यक्षों को संबोधित किया है। हरियाणा सरकार ने अपने विभागों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से ही भुगतान करने पर विशेष जोर दिया है।

हरियाणा में '*मेरा मोबाइल, मेरा बटुआ*' नामक योजना लागू की गयी है। मध्य प्रदेश में किसानों को और ग्रामीणों को कमनगद लेन-देन के बारे में प्रशिक्षण दिए जाने के लिए नाबार्ड द्वारा कई शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में डिजिधन मेले लगाए जा रहे हैं। हरियाणा और मध्य प्रदेश की मंडियों में फसलों का भुगतान ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए किए जाने की योजना है। ❑

बजट से कृषि एवं कृषकों का नियोजन

लालकृष्ण मिश्रा

बजट में नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान करना भी अच्छा कदम है। इससे गांव में आधारभूत संरचना का विकास होगा। जो कृषि कार्य में सहायक होगा। बजट में अनुबंधित खेती का मॉडल बनाने का प्रावधान करने को कहा गया है। यह कदम सराहनीय होगा। इससे किसानों को मंडीकरण की जरूरत नहीं होगी। फसल की बर्बादी रोकी जा सकेगी जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू एवं हरियाणा, पंजाब में गेंहू की फसल और उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक जिलों में गन्ने की फसल के साथ होता है। बजट में इस व्यवस्था से किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त होगी, फसलों की उचित कीमत मिलेगी। कृषि का स्वरूप जीवन निर्वाह से व्यवसाय उन्मुख होगा

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र है। कुल कृषि श्रमिकों में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। 2016-17 के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषकों का योगदान लगभग 18 प्रतिशत रहा। देश की विशाल जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कृषि से कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार और कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन के अलावा पशुपालन, बागवानी, मत्स्यन, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल, जूट, कपास, रेशम, मेडिसिन प्लांट आदि का उत्पादन जैसे सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। जो सीधे तौर पर भूमि से जुड़े हुए हैं। यदि देश में कृषि को निर्धारित एवं नियंत्रित करने वाले भौगोलिक कारक अनुकूल हों तो देश के लगभग 55 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जा सकता है।

हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है । कृषि एवं कृषकों के विकास हेतु प्रादेशिक नियोजन प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ है किन्तु आज भी कृषि तथा कृषकों की स्थिति सम्मानजनक नहीं है। कृषि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव, जलवायु परिवर्तन, गांवों में कृषि परिवार के युवाओं का कृषि कार्य से घटता लगाव, कृषि परिवार का गांवों से नगर की ओर पलायन इस क्षेत्र की नयी समस्या उभरकर सामने आ रही है। आज भी कृषकों का जीवन गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ है। आये दिन कृषकों की आत्महत्या की घटनायें सुनने को प्राप्त होती हैं। अत: बजट 2017-2018 के माध्यम से कृषि एवं कृषकों के नियोजन का प्रयास किया जा रहा है।

केन्द्रीय बजट 2017-18 को कृषि क्षेत्र के लिए आशाजनक प्रभावी बजट बताया जा रहा है जिसमें कृषि एवं कृषकों के समेकित विकास पर फोकस किया गया है। बजट में *मनरेगा* के तहत दस लाख नये तालाब बनाने पर जोर दिया गया है। जो पंजाब तथा प्रायद्वीपीय भारत के विशेष रूप से उपयोगी होगा। दक्षिण भारतीय राज्यों की धरातलीय संरचना पथरीली है। यहां सिंचाई का मुख्य साधन तालाब है। अत: तालाबों से कृषकों को सिंचाई हेतु जल प्राप्ति होगी। इससे भूमिगत जल रिचार्ज होगा एवं तालाबों का उपयोग मछली पालन के लिए भी सुनिश्चित कर भूमिहीन कृषकों को मत्स्यन व्यवसाय से जोड़ा जायेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने से फसल सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की फसलें बाढ़ के कारण; पंजाब, हरियाणा की फसलें पश्चिमी विक्षोभ के कारण तथा दक्षिण मध्यवर्ती भारतीय राज्य की फसलें आये दिन सूखे के कारण खराब हो जाती हैं। यह फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। बजट में फार्म लोन लक्ष्य 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपये करने व कृषि ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ रूपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपये करने की घोषणा से

लेखक उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में शोधार्थी हैं। ईमेल: lalkrishnamishra@gmail.com

तालिका 1: आम बजट 2017-2018 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में वित्तीय आवंटन

कृषि एवं कृषि क्षेत्र	आवंटित धनराशि करोड़ में	संभावित परिणाम
कृषि एवं कृषि कल्याण	₹51026 करोड़	समेकित कृषि विकास को प्रोत्साहन प्राप्त होगा
कृषि ऋण	₹1000000 करोड़	कृषकों को सूदखोरों से बचाने में सहायता एवं आर्थिक सशक्तीकरण
सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण	₹1900 करोड़	कृषि में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा एवं कृषकों तक सूचनाओं का प्रवाह शीघ्र
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (नाबार्ड)	₹40000 करोड़	कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होगा
फसल बीमा	₹9000 करोड़	फसल खराब होने पर कृषकों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा
मनरेगा	₹48000 करोड़	कृषकों को न्यूनतम 100 दिन की रोजगार गारंटी, मौसमी बेरोजगारी पर नियंत्रण
पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	₹8000 करोड़	फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे कृषि का स्वरूप व्यवसायोन्मुख होगा
फॉर्म लोन टारगेट	₹1000000 करोड़	कृषि कार्य हेतु कृषकों को त्वरित आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी

स्रोत: केन्द्रीय बजट 2017-2018, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, 01 फरवरी 2017 एवं अन्य

किसानों को सस्ता ऋण मिल सकेगा। यह स्थिति किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी एवं कृषक धन का उपयोग अपने कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए कर सकेंगे।

बजट में नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान करना भी अच्छा कदम है। इससे गांव में आधारभूत संरचना का विकास होगा। जो कृषि कार्य में सहायक होगा। बजट में अनुबंधित खेती का मॉडल बनाने का प्रावधान करने को कहा गया है। यह कदम सराहनीय होगा। इससे किसानों को मंडीकरण की जरूरत नहीं होगी। फसल की बर्बादी रोकी जा सकेगी जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू एवं हरियाणा, पंजाब में गेंहू की फसल और उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक जिलों में गन्ने की फसल के साथ होता है। बजट में इस व्यवस्था से किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त होगी, फसलों की उचित कीमत मिलेगी। कृषि का स्वरूप जीवन निर्वाह से व्यवसाय उन्मुख होगा। मनरेगा के तहत किसानों को 100 दिन रोजगार की गारंटी भूमिहीन कृषकों को मौसमी बेरोजगारी से सुरक्षा प्रदान करेगी। यह स्थिति कृषकों का गांव से नगर की ओर पलायन पर रोक लगायेगा। देश के लगभग 99 प्रतिशत कृषक गांव में निवास करते हैं। इस बजट में गांव में विद्युतीकरण, पक्की सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया गया है। इस व्यवस्था से गांव में आधारभूत संरचना का विकास होगा। जो कृषि तथा कृषकों के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

आम बजट 2017-18 में मझली जोत के किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्हें सूदखोरों से बचाने के लिए जहां पर्याप्त ऋण मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। वहीं अन्य जरुरतों को पूरा करने के लिए कृषिगत सामग्री, बौद्धिक परामर्श उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। कृषि क्षेत्र ने पिछले दो सालों में अच्छा प्रर्दशन किया है। जिससे बजट में कृषि को गति पकड़ाने के उपाय किए गए हैं। कृषकों में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बजट 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रूपये प्रावधान किया गया है। जो अब तक सर्वाधिक आवंटित धनराशि है। प्रति बूंद अत्यधिक उपज प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक रूप में 5 हजार करोड़ रूपये की संचित निधि से एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया जायेगा। 8 हजार करोड़ रूपये की सहायता से पशुपालन तथा डेयरी उद्योग का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शीत भण्डार गृह खोले जायेंगे, जहां कृषि उत्पादों का दीर्घकाल के लिए भण्डारण सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह सुविधा कृषकों के लिए सस्तें दर पर उपलब्ध होगी।

बजट 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रूपये प्रावधान किया गया है। जो अब तक सर्वाधिक आवंटित धनराशि है। प्रति बूंद अत्यधिक उपज प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक रूप में 5 हजार करोड़ रूपये की संचित निधि से एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया जायेगा।

सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं का कृषक त्वरित लाभ प्राप्त कर सकें इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सहकारी बैंकों का विस्तार किया जायेगा। सीमान्त व छोटे किसानों सहित पूर्वी राज्यों व जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था होगी। देश में 40 प्रतिशत छोटे सीमान्त किसान सहकारी ढांचे से कर्ज लेते हैं। अत: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कोर बैंकिग प्रणाली के सभी 63 हजार प्राथमिक ऋण सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया जायेगा। इसके लिए 19 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगले 3 सालों में राज्यों के सहयोग से इस काम को पूरा किया जायेगा। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कृषकों को बैंकिंग सुविधाओं का त्वरित लाभ प्राप्त हो सकेगा। आम बजट 2017-18 में कृषि एवं कृषक कल्याण हेतु 51026 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस धन का उपयोग

8 हजार करोड़ रूपये की सहायता से पशुपालन तथा डेयरी उद्योग का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शीत भण्डार गृह खोले जायेंगे, जहां कृषि उत्पादों का दीर्घकाल के लिए भण्डारण सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह सुविधा कृषकों के लिए सस्ते दर पर उपलब्ध होगी।

कृषि मंत्रालय कृषि विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जायेगा। देश में कृषि शोध अभी भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। साथ ही यहां प्रयोगशाला एवं खेत के बीच समुचित समन्वय का अभाव है। जिससे शोध के लाभ सामान्य किसान तक नहीं पहुंच पाता। कृषकों को नयी तकनीकों को अपनाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, कृषि को लाभकारी एवं पोषणीय बनाने हेतु बजट 2017-18 में एक हजार मिनी लैब खोले जाने का प्रावधान किया गया है। इन लैबों में होने वाले शोध विकास का लाभ कृषकों तक शीघ्रता से पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा।

भारत में प्रथम केन्द्रीय लोकतांत्रिक सरकार गठन के बाद से ही केन्द्रीय आम बजट के माध्यम से कृषि तथा कृषकों के विकास एवं कल्याण पर ध्यान दिया जा रहा है। हर साल बजट में कृषि से संबंधित नयी योजनाओं, परियोजनाओं, नयी नीतियों की घोषणा की जाती है। जिसका सकारात्मक प्रभाव रहा है। 1950 की तुलना में वर्तमान भारतीय कृषि अधिक कुशल एवं सक्षम है। आज देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है जिससे प्रभावित होकर खाद्यान्न सुरक्षा बिल लाया गया है। किन्तु खेद इस बात का है कि कृषि क्षेत्र एवं किसानों का सम्मानजनक विकास एवं कल्याण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। कृषकों की स्थिति आज भी दयनीय हैं। देश में अधिकांश कृषक आज भी अशिक्षित है और कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। इस कारण कृषि विकास कार्यक्रमों में जनसाधारण की भागीदारी बहुत कम होती है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जाने

देश में 40 प्रतिशत छोटे सीमान्त किसान सहकारी ढांचे से कर्ज लेते हैं। अतः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कोर बैंकिग प्रणाली के सभी 63 हजार प्राथमिक ऋण सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया जायेगा। इसके लिए 19 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगले 3 सालों में राज्यों के सहयोग से इस काम को पूरा किया जायेगा। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कृषकों को बैंकिंग सुविधाओं का त्वरित लाभ प्राप्त हो सकेगा।

वाले अनुदान, वित्तीय छूट एवं ऋणों का या तो समुचित उपयोग नहीं हो पाता अथवा वे गलत हाथों में चले जाते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण तब तक संभव नहीं है। जब तक कि गांव का आधुनिकीकरण न हो जाये। प्रत्येक गांव में जल आपूर्ति, परिवहन, संचार, विद्युत, किसान सुविधा केन्द्र एवं वित्तीय समावेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कृषकों को उनके फसल का समुचित मूल्य मिलना चाहिए। भारतीय कृषि एवं किसानों के समेकित सतत विकास के लिए आवश्यक है कि आम बजट के प्रावधानों को पारदर्शिता के साथ लागू किया जाये। इसके लिए गुड गवर्नेंस एवं ई-गवर्नेंस उपागम को अपनाया जाये। स्थानीय लोगों के सहयोग से योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सोशल ऑडिट किया जाये। ऐसी व्यवस्था के विकास से ही भारतीय कृषि के साथ कृषकों का भी सामाजिक-आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। तभी वर्तमान भारतीय कृषि अपने सम्मानजनक स्थान को प्राप्त कर सकेगी और कृषकों के जीवन में भी शांति, समृद्धि एवं वैभव का वातावरण बनाना संभव हो सकेगा। ❑

संदर्भ

- बजट 2017-2018, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, फरवरी 2017।
- तिवारी आर सी, 2010, भारत का भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- चौहान वी एस एवं अल्का गौतम, 2000, भारत का भूगोल, रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ।
- एस एन लाल, 2009, भारतीय अर्थव्यवस्था, शिवम पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
- तिवारी आर सी, 2010 कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

पृष्ठ 67 का शेषांश

वित्त मंत्री के अनुसार, "कौशल विकास को लेकर बजटीय योजना मिशन मोड में है। यह सार्वजनिक क्षेत्र, खासकर उद्यमियों व कौशल सेवा उपलब्ध कराने वालों के लिए रोचक अवसर प्रदान कर रहा है। उच्च स्तरीय कार्यक्रमों से युवों के लिए रोजगार और अवसरों में बढ़ोत्तरी के प्रयास किए जा रहे हैं।"

वित्त मंत्री ने बजट में इसके लिए पहले से चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखने और नए प्रयासों को पर्याप्त जगह दीया है। सरकार का साफ इरादा है कि उद्योग व घरेलू जरूरतों पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित हुनरमंदों की आबादी बढ़ाई जाए। जो हर मौके पर रोजगार के अवसरों की तलाश करने के बजाए खुद का रोजगार पैदा करने में सक्षम हो जाएं। खुद रोजगार खड़ा करें और अन्य बेरोजगारों के लिए अवसर बन जाएं। रोजगार सृजन और कौशल विकास पर ज्यादा जोर देते हुए बजट में अनुमान से ज्यादा धन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कल कारखानों और लघु, मध्यम व कुटीर उद्योग की जरुरत की पूर्ति करना है।

नौजवानों में सिर्फ घरेलू बाजार के लायक ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के अनरुप दक्ष बनाने का उपक्रम किए गए हैं ताकि भारत को विश्व के लिए कौशल की राजधानी के तौर पर विकसित किया जा सके। उम्मीद है कौशल विकास के जरिए तैयार युवाशक्ति से रोजगार की समस्या का व्यापक समाधान किया जा सकता है। ❑

संदर्भ

1- http://www-nsdcindia-org/ ¼ http://www-mudra-org-in½
2- http://www-pmindia-gov-in3-http://indiabudget-nic-in/hindeÛ-asp
4- http://hindi-goodreturns-in/classroom/2016/09/govt&will&fund&your&startup/slider&pf616&000575-html
5- http://hindi-news18-com/news/business/rbi&governor&urjit&patel&says&indian&companies&better&placed&to&weigh&risks&and&eÛpansion&948120-html

अपनी प्रति
अभी बुक कराएं

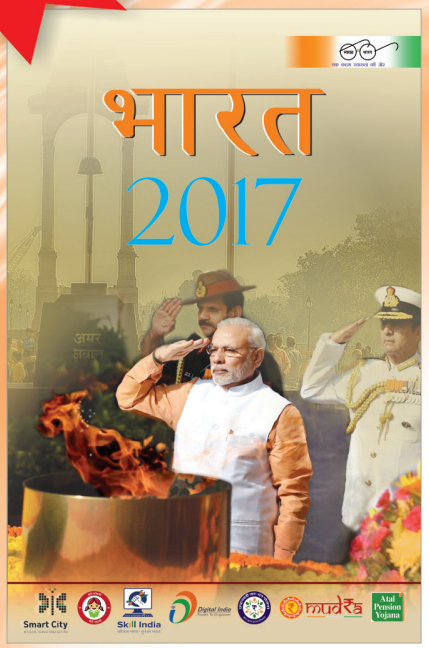

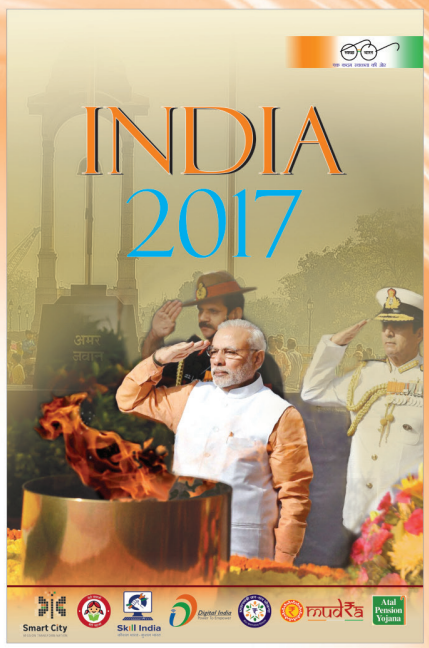

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

शोधकर्ताओं, नीति निर्धारकों, विद्वानों, मीडियाकर्मियों और रोजगार की तलाश में जुटे, खासतौर से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जानकारियों का अनमोल खज़ाना

ई बुक के रूप में उपलब्ध
ऑनलाइन बिक्री play.google.com, amazon.in, kobo.com पर

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
ऑडर के लिए संपर्क करें-
फोन : 011-24367260, 24365609, ई मेल : businesswng@gmail.com

@ DPD_India
www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत/इंडिया 2017 का लोकार्पण

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित दो प्रमुख वार्षिक संदर्भ ग्रंथों *भारत 2017* व *इंडिया 2017* का विमोचन शहरी विकास, आवास व शहरी गरीबी उपशमन तथा सूचना प्रसारण मंत्री श्री एम वेंकैया नायडु द्वारा हाल ही में किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति का समग्र सार प्रस्तुत करने के लिए ख्यात इस संदर्भ वार्षिकी ने इस वर्ष प्रकाशन के अपने 61वें वर्ष में प्रवेश किया। इस पुस्तक में 33 अध्याय हैं और इनमें ग्रामीण से शहरी, उद्योग से आधारभूत संरचना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कला व संस्कृति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा तथा जनसंचार सभी क्षेत्रों में हुए विकास की चर्चा की गयी है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री नायडु ने कहा कि *इंडिया 2017* पूर्णता के साथ देश का सर्वेक्षण करते हुए भारत के बारे में प्रामाणिक सूचना के साथ अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करती है। उन्होंने सूचनाओं की *विश्वसनीयता, निर्भरता और स्वीकार्यता* को इस सरकार की विशिष्ट पहचान बताया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडु भारत और इंडिया 2017 का लोकार्पण करते हुए। उनके साथ सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौर, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अजय मित्तल, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर, सूचना एवं प्रसारण संयुक्त सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह और प्रकाशन विभाग की अपर महानिदेशक डॉ. साधना राउत।

इस अवसर पर *इंडिया 2017* व *भारत 2017* के इलेक्ट्रोनिक संस्करण का विमोचन करते हुए श्री नायडु ने कहा कि इलेक्ट्रोनिक संस्करण नवीनतम तकनीकी विशिष्टताओं से युक्त होते हैं और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं। सोशल मीडिया पर आसानी से शेयर किए जा सकने के अलावा इन ई-संस्करणों में बेहतर संप्रेषण के लिए हाइपरलिंक, हाइलाइटिंग, बुकमार्किंग व इंटरएक्टिविटी जैसी कई पाठकानुकूल विशिष्टताएं होती हैं। इन किताबों में खोजनीय अंतर्वस्तु, संदर्भ, सुपाठ्यता, सुनिश्चित बैक-अप तथा पुनः प्राप्त करने जैसी विशेषताएं मौजूद हैं। सबसे अधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त ई-पब फॉर्मेट में उपलब्ध ई-बुक को टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, ई-रीडर्स तथा स्मार्टफोन जैसे उपकरणों से एक्सेस किया जा सकता है।

मंत्री महोदय ने प्रकाशन विभाग द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया जिसमें विभिन्न शीर्षकों से 750 से अधिक पुस्तकें संग्रहित हैं। ये पुस्तकें प्रकाशन विभाग की पुस्तक दीर्घा के आगंतुकों के लिए निःशुल्क ब्राउजिंग हेतु उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की डिजिटल पहलों पर ध्यान देते हुए प्रकाशन विभाग ने 750 से अधिक किताबों के डिजिटल संस्करण तैयार किये हैं और यह विभाग मार्च 2017 के आखिर तक 1000 किताबों को डिजिटल करने संबंधी 12वीं योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। भारतीय भाषाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि युवा पीढ़ी तक पहुंचने की दिशा में किताबों, जर्नल व पत्रिकाओं को सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ वार्षिकी के मुद्रित संस्करण प्रकाशन विभाग के 8 विक्रय केंद्रों व 3 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं देशभर में स्थित इसके प्राधिकृत एजेंटों के पास 350 रुपये की कीमत पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। विक्रय केंद्र व प्राधिकृत एजेंटों की सूची प्रकाशन विभाग की वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही, businesswng@gmail.com पर मेल करके भी अपनी प्रति बुक की जा सकती है। पुस्तकों की ऑनलाईन बिक्री भारतकोष पोर्टल पर भी की जा रही है जिसे प्रकाशन विभाग की वेबसाइट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है।

ई-संस्करण की कीमत 263 रुपये है और यह एमेजन, गूगल प्ले बुक्स तथा कोबो जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ❑

प्रकाशक व मुद्रकः डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादकः ऋतेश पाठक

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
23 फरवरी 2017 को प्रकाशित • 07-08 मार्च, 2017 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

Just Released

प्रतियोगिता दर्पण

का अतिरिक्तांक

संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

2017
Vol.1

परीक्षोपयोगी सीरीज-7

समसामयिक घटनाचक्र

(करेन्ट अफेयर्स)

राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य, समसामयिक सामान्य ज्ञान एवं खेलकूद

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षाओं हेतु

अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी

English Edition
Code No. 819 ₹ 99.00

Code No. 809
₹ 110.00

प्रतियोगिता दर्पण | 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088